



जिला आपदा प्रबंधन योजना, सहरसा संशोधित अगस्त-2022



जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहरसा, बिहार

विषय सूची

संलग्नक सूची
तालिका सूची
मानचित्र सूची
शब्द संक्षिप्त
शब्दावली
सारांश

1. परिचय (Introduction)	13-15
1.1 उद्देश्य	
1.2 योजना का कार्यक्षेत्र	
1.3 योजना विकसित करने की कार्य प्रणाली	
1.4 जिला आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन : प्रमुख हितभागी एवं उनकी जिम्मेदारियां	
1.5 योजना पुनरावलोकन एवं अपडेट करने की अवधि	
2. जिले का परिचय (Introduction of District)	16-24
2.1 भौगोलिक परिचय	
2.2 जलवायुविक विशेषताएं	
2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	
2.4 जनसंख्यात्मक परिचय	
2.5 प्रशासनिक ढांचा	
2.6 प्राकृतिक संसाधन	
3. खतरा, जोखिम, सम्बेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment (HRVCA))	25-48
3.1 आपदा की प्रकृति एवं स्वरूप	
3.2 सम्बेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण	
3.3 क्षमता आंकलन	
4. संस्थागत व्यवस्था (Institutional Arrangements)	53-57
4.1 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	
4.2 पंचायती राज संस्थाएं	
4.3 सामुदायिक संगठन	
4.4 जिला इमरजेंसी आपरेशन सेन्टर	
4.5 विभिन्न विभाग/एजेन्सी	
4.6 समन्वय तंत्र	
5. रोकथाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय (Measures for Prevention, Mitigation and Preparedness)	58-80
5.1 विभागों/एजेन्सियों के मुख्य कार्य	
5.2 सभी विभागों/एजेन्सियों के लिए मुख्य कार्य (समान रूप से)	
5.3 आपदावार विभागों/एजेन्सियों के कार्य	
6. क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building and Trainings)	81-92
6.1 संस्थागत क्षमता वर्धन	
6.2 जागरूकता	
6.3 प्रशिक्षण	
7. रिस्पान्स योजना (Response Plan)	93-109
8. पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्प्राप्ति (Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)	110-115
8.1 पुनर्निर्माण	
8.2 पुनर्वास	
9. बजट एवं वित्तीय संसाधन (Budget and Financial Resources)	116-119
9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक योजनाएं/कार्यक्रम, जुड़ाव का स्वरूप व कार्यदायी संस्थाएं	
9.2 केन्द्रीय सरकार की गैर योजना कार्यक्रम	
9.3 अन्य विकल्प	
10. निगरानी, मूल्यांकन एवं जिला आपदा प्रबन्धन योजना का अद्यतन (Monitoring, Evaluation and Updation of District Disaster Management Plan)	120-128

संलग्नक सूची

संलग्नक 1	:	आपदा प्रबन्धन के विषय में विभिन्न पदाधिकारियों की भूमिका एवं जवाबदेही
संलग्नक 2	:	औसत वार्षिक, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सम्बन्धी आंकड़े (1971–2021)
संलग्नक 3	:	जिला सहरसा में छत एवं दीवार में प्रयोग हुई सामग्री के आधार पर क्षति की संभावना
संलग्नक 4	:	जिले में पूर्वी व पश्चिमी तटबंध के बीच बसे गांव व उनकी जनसंख्या
संलग्नक 5	:	विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित संसाधन
संलग्नक 6	:	संभावित बाढ़ व सुखाड़ हेतु मानव एवं पशु शरणस्थली
संलग्नक 7	:	स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं
संलग्नक 8	:	पशु चिकित्सा से सम्बन्धित विवरण
संलग्नक 9	:	अग्निशमन विभाग से सम्बन्धित सूचनाएं
संलग्नक 10	:	आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्य
संलग्नक 11	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षित मुखिया एवं सरपंचों की सूची
संलग्नक 12	:	जिले की मुख्य क्रियाशील स्वैच्छिक संस्थाओं की सूची
संलग्नक 13	:	विभिन्न आपदाओं में की जाने वाली कार्यवाही के फ्लो चार्ट
संलग्नक 14	:	विभिन्न आपदाओं की स्थिति में रोक-थाम के उपाय
संलग्नक 15	:	अस्पताल सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश
संलग्नक 16	:	स्कूल सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा-निर्देश
संलग्नक 17	:	सड़क यातायात सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा-निर्देश
संलग्नक 18	:	प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की सूची
संलग्नक 19	:	बिहार आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के सन्दर्भ में जारी किये गये दिशा-निर्देश
संलग्नक 20	:	आपदाओं से निपटने हेतु विभागवार चेकलिस्ट
संलग्नक 21	:	जिले के विभिन्न प्रखंडों में भूकम्प रोधी निर्माण एवं रेटरो फिटिंग तकनीक पर प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित
संलग्नक 22	:	अनुभवी राजमिस्त्रियों की सूची
संलग्नक 23	:	भूकम्प रोधी निर्माण तकनीक पर प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं की सूची

तालिका सूची

तालिका 1	:	जिला में विगत 17 वर्षों का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा (2004–21)	20
तालिका 2	:	जिला : एक नजर में	22
तालिका 3	:	जिले में पशुधन एवं उनकी संख्या हजार में	24
तालिका 4	:	जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं की स्थिति	26
तालिका 5	:	जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का मौसमी चित्रण	26
तालिका 6	:	बाढ़ प्रभावित अंचल, पंचायतों एवं गांवों का विवरण	27
तालिका 7	:	प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति (1987–2021)	27
तालिका 8	:	जिला में बाढ़ से होने वाला नुकसान (1991–2021)	28
तालिका 9	:	जिले में सुखाड़ का वर्ष एवं आवृत्ति	30
तालिका 10	:	2020–21 के अन्तर्गत जिला में अगलगी की घटनाएं	31
तालिका 11	:	2021–22 के अन्तर्गत जिला में ठनका/बज्रपात की घटनाएं	32
तालिका 12	:	पानी में डूबने से वर्ष 2021 एवं 2022 का मृतको का विवरणी	33
तालिका 13	:	सड़क दुर्घटना से वर्ष 2021 का मृतको का विवरणी	34
तालिका 14	:	बिहार में काल्पनिक भुकम्प के तहत क्षति विवरणी	40
तालिका 15	:	बहुआपदा सम्वेदनशीलता एवं जोखिम वाले क्षेत्र	41
तालिका 16	:	समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों पर बाढ़ के कारण पड़ने वाले प्रभाव	43
तालिका 17	:	जिले में उपलब्ध संसाधन	44
तालिका 18	:	बाढ़ आपदा के दौरान प्रखण्डवार मानव शरणस्थली	45
तालिका 19	:	प्रखण्डवार पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधन	45
तालिका 20	:	सुखाड़ आपदा के दौरान प्रखण्डवार पशु शरणस्थली हेतु ऊँचे स्थल	45
तालिका 21	:	खाद्यान्न भण्डार हेतु गोदामों/चिन्हित स्थलों की सूची	46
तालिका 22	:	अंचलवार पेयजल स्रोतों व सार्वजनिक शौचालयों की सूची	46
तालिका 23	:	सहरसा जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं	47
तालिका 24	:	जिला में पुलिस थाना	47
तालिका 25	:	सहरसा के शहरी क्षेत्र के तालाबों की सूची	47
तालिका 26	:	इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर हेतु आवश्यक संसाधन	55
तालिका 27	:	विभागवार अपेक्षित प्रशिक्षण विषय एवं लाभार्थियों की सूची	82
तालिका 28	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक केन्द्र व राज्य की योजनाएं एवं जुड़ाव का स्वरूप	

मानचित्र की सूची

मानचित्र 1	:	जिले का धरातलीय स्वरूप	16
मानचित्र 2	:	जिले में कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन एवं उसकी छाड़न/पुरानी धाराएं	17
मानचित्र 3	:	जिले में अधिकतम तापमान (1971–2022)	18
मानचित्र 4	:	जिले में न्यूनतम तापमान (1971–2022)	19
मानचित्र 5	:	जिले में वार्षिक वर्षा की स्थिति (2004–22)	19
मानचित्र 6	:	सहरसा जिला का प्रशासनिक क्षेत्र	23
मानचित्र 7	:	जिला में बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड	29
मानचित्र 8	:	सहरसा जिला में अगलगी की घटनाएं	31
मानचित्र 9	:	जिला में ठनका/बज्रपात की दृष्टि से नाजुक प्रखण्ड	32
मानचित्र 10	:	बिहार राज्य का भुकम्प मानचित्र	36
मानचित्र 11	:	जिला में भूकम्प की दृष्टि से नाजुक प्रखण्ड	37
मानचित्र 12	:	1934 के भुकम्प से संबंधित आइसो-सिसमल मैप	38
मानचित्र 13	:	1988 के भुकम्प से संबंधित आइसो-सिसमल मैप	40
मानचित्र 14	:	सड़क मानचित्र	48
मानचित्र 15	:	जिले का रेल मानचित्र, मानव रहित समपार आदि को दर्शाते हुये	48
मानचित्र 16	:	सहरसा जिला अन्तर्गत प्रखंड ग्रामीण सड़क योजना सिमरी बख्तियारपुर	50
मानचित्र 17	:	सहरसा जिला अन्तर्गत प्रखंड ग्रामीण सड़क योजना सलखुआ	51
मानचित्र 18	:	सहरसा जिला अन्तर्गत प्रखंड ग्रामीण सड़क योजना बनमा ईटहरी	52

शब्द संक्षिप्त

ए0एन0एम0	:	आक्जिलरी नर्स मिडवाइफ
बी0एम0टी0पी0सी0	:	बिल्डिंग मटेरियल टेक्नालाजी प्रमोशन काँसिल
बी0पी0एम0यू0	:	ब्लाक प्रोग्राम मैनेजमेण्ट यूनिट
बी0एस0एन0एल0	:	भारत संचार निगम लिमिटेड
सी0बी0ओ0	:	कम्यूनिटी बेस्ड आर्गनाइजेशन
सी0डी0आर0टी0	:	कम्यूनिटी डिजास्टर रिस्पान्स टीम
सी0आई0एस0एफ0	:	सेण्ट्रल इण्डस्ट्रियल सिक्वोरिटी फोर्स
सी0ओ0	:	सर्किल आफिसर
सी0आर0पी0	:	कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन
सी0एस0ओ0	:	सिविल सोसायटी आर्गनाइजेशन
सी0एच0सी0	:	कम्यूनिटी हेल्थ सेण्टर
सी0एस0आर0	:	कारपोरेट सोससल रिस्पान्सबिलिटी
डी0ए0एच0ओ0	:	डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बैण्डरी आफिसर
डी0डी0एम0ए0	:	डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेण्ट अथारिटी
डी0डी0एम0सी0	:	डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेण्ट सेण्टर
डी0एम0टी	:	डिजास्टर मैनेजमेण्ट टीम
डी0पी0एम0यू0	:	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेण्ट यूनिट
डी0आर0आर0	:	डिजास्टर रिस्क रिडक्शन
डी0टी0ओ0	:	डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट आफिस
ई0ओसी	:	इमरजेन्सी आपरेसन सेण्टर
ई0एस0एफ	:	इमरजेन्सी सपोर्ट फंक्शन
एफ0सी0आई	:	फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया
एफ0आई0आर0	:	फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट
एच0बी0	:	हेल्थ बिजीटर
एच0आर0वी0सी0ए0	:	हजर्ड, रिस्क, वलनरेबिलिटी एण्ड कैपेसिटी एससेमेण्ट
आई0सी0डी0एस0	:	इण्टीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेण्ट सेण्टर
आई0ई0सी0	:	इन्फार्मेशन, एजुकेशन एण्ड कम्यूनिकेशन
आई0एम0ए0	:	इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन
आई0आर0एस0	:	इमरजेन्सी रिस्पान्स सिस्टम
आई0टी0	:	इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी
आई0वी0	:	इण्ट्रावेनस
जे0ई0	:	जूनियर इंजीनियर
के0वी0के0	:	कृषि विज्ञान केन्द्र
एम0ओ0आई0सी0	:	मेडिकल आफिसर इनचार्ज
एम0आई0एस0	:	मैनेजमेण्ट इन्फार्मेशन सेण्टर
एम0आई0एस0पी0	:	मिनिमम इनीशियल सर्विस पैकेज

एन0ए0पी0सी0	:	नेशनल एसोसियेशन आफ प्लानिंग कौंसिल
एन0डी0एम0ए0	:	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेण्ट अथारिटी
एन0डी0आर0एन0	:	नेशनल डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स
एन0जी0ओ0	:	नॉन गवर्नमेण्ट आर्गनाइजेशन
एन0एच0	:	नेशनल हाइवे
एन0एस0एस0	:	नेशनल सर्विस स्कीम
एन0सी0सी0	:	नेशनल कैडेट कोर
एन0वाई0के0	:	नेहरू युवा केन्द्र
ओ0आर0एस0	:	ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन
पी0डी0एस0	:	पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम
पी0एच0सी0	:	प्राइमरी हेल्थ सेण्टर
पी0एच0ई0डी0	:	पब्लिक हेल्थ एण्ड इंजीनियरिंग डिपार्टमेण्ट
पी0पी0पी0	:	पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप
पी0आर0ए	:	पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथारिटी
पी0डब्ल्यू0डी0	:	पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट
क्यूआरटी	:	क्विक रिस्पान्स टीम
आर0ए0एफ0	:	रैपिड एक्शन फोर्स
आर0टी0ए0	:	रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी
आर0डब्ल्यू0एस0एस0	:	रूरल वाटर सप्लाई एण्ड सैनिटेशन
एस0डी0एम0ए0	:	स्टेट डिजास्टर मैनेजमेण्ट अथारिटी
एस0डी0ओ0	:	सब डिवीजनल आफिसर
एस0डी0आर0एन0	:	स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क
एस0डी0आर0एफ0	:	स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फोर्स
एस0पी0 सिग्नल	:	सिग्नल ट्रांसफर प्वाइण्ट
एस0आर0टी0एम0	:	शटल रडार टोपोग्राफी मिशन
एस0एस0सी0	:	स्टाफ सेलेक्शन कमीशन
एस0टी0ओ0	:	स्टेट ट्रान्सपोर्ट आफिस
यू0एन0	:	यूनाइटेड नेशन्स
यू0एन0डी0पी0	:	यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेण्ट प्रोग्राम
यूनीसेफ	:	यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमरजेन्सी फण्ड
यूआरएस	:	यूनाइटेड रिस्पान्स स्ट्रेटजी
वी0एच0एफ0	:	वेरी हाई फ्रिक्वेन्सी

शब्दावली

Acceptable Risk	:	स्वीकार्य जोखिम
Adaptation	:	अनुकूलन
Biological Hazard	:	जैविक संकट
Building Code	:	भवन निर्माण संहिता
Capacity	:	धारिता
Capacity Development	:	धारिता विकास
Climate Change	:	जलवायु परिवर्तन
Contingency planning	:	आकस्मिकता नियोजन
Coping Capacity	:	शिखर क्षमता
Corrective disaster risk management	:	सुधारात्मक आपदा जोखिम प्रबन्धन
Critical facilities	:	क्रान्तिक सुविधाएं
Disaster	:	आपदा
Disaster Risk	:	आपदा जोखिम
Disaster Risk Management	:	आपदा जोखिम प्रबन्धन
Disaster Risk Reduction	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
Disaster Risk Reduction Plan	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना
Early Warning System	:	पूर्व चेतावनी तंत्र
Ecosystem Services	:	पारिस्थितिकी सेवाएं
Emergency management	:	आपातकालीन प्रबन्धन
Emergency services	:	आपातकालीन सेवाएं
Environmental degradation	:	पर्यावरण अवनयन
Environmental impact assessment	:	पर्यावरण पर प्रभाव आकलन
Exposure	:	प्रभाविता
Extensive risk	:	विस्तृत जोखिम
Forecast	:	पूर्वानुमान
Geological hazard	:	भौगर्भिक आपदा
Greenhouse gases	:	हरित गृह गैसों
Hazard	:	संकट
Hydrometeorological hazard	:	जलीय मौसमी संकट
Intensive risk	:	गहन जोखिम
Land-use planning	:	भूमि उपयोग नियोजन
Mitigation	:	न्यूनीकरण
National platform for disaster risk reduction	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच
Natural hazard	:	प्राकृतिक संकट
Preparedness	:	तैयारी

Prevention	:	निवारण
Prospective disaster risk management	:	संभावित आपदा जोखिम प्रबन्धन
Public awareness	:	जन चेतना
Recovery	:	पुनर्प्राप्ति
Residual risk	:	अवशेष जोखिम
Resilience	:	लोचकता (रेसीलेंस)
Response	:	अनुक्रिया
Retrofitting	:	सुदृढीकरण
Risk	:	जोखिम
Risk assessment	:	जोखिम आकलन
Risk management	:	जोखिम प्रबन्धन
Risk transfer	:	जोखिम हस्तान्तरण
Socio-natural hazard	:	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
Structural and non-structural measures	:	संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय
Sustainable development	:	संदृष्ट विकास
Technology hazard	:	तकनीकी आपदा
Vulnerability	:	घातकता या सम्वेदनशीलता

सारांश

आपदा एवं विकास का सम्बन्ध नकारात्मक है। विगत 5-6 दशकों में विकास के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं जैसे— बाढ़, सूखाड़, भूकम्प, अगलगी आदि की प्रकृति भी परिवर्तित हुई है। जलवायु परिवर्तन ने इस आपदाओं के परिवर्तन को एक नया आयाम दिया है। जो क्षेत्र सुरक्षित माने जाते थे अब आपदाओं के चपेट में आते जा रहे हैं जिससे न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीव-जन्तु भी गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में आपदाओं के प्रभावों को कम करने की दृष्टि से व्यवस्थित कार्य प्रणाली अपनाये जाने की जरूरत है जिससे इस दिशा में बनायी गयी नीतियों एवं दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत लक्ष्यों को सही मायने में धरातल पर लागू किया जा सके एवं आपदा योजना की प्रासंगिकता को बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना एवं राज्य आपदा प्रबन्धन योजना की तर्ज पर जिले में आपदाओं से निपटने हेतु जिले स्तर पर भी जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। वर्ष 2005 में, भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम (2005) की धारा 25 की उपधारा (1) में दिये गये निर्देश के अनुसार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इसके अलावा अधिनियम की धारा 31 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सभी तरह की आपदाओं से निपटने हेतु सम्बन्धित विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए गतिविधियां संचालित करने की दृष्टि से जिला आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जायेगा।

इस योजना के माध्यम से न सिर्फ रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों पर विस्तृत समझ विकसित की जा सकती है, वरन् जिले के अन्दर विभिन्न आपदाओं की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों/संवेदनशील संवर्गों एवं समुदायों की पहचान की जा सकेगी। इसके साथ ही अलग-अलग आपदाओं के लिए अलग-अलग गतिविधियों की पहचान भी की जा सकेगी।

जिले की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करते समय आपदा प्रबन्धन के सभी चरणों में की जाने वाली गतिविधियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों के विकासीय कार्य योजना को भी ध्यान रखा गया है। योजना में यह भी ध्यान दिया गया है कि कैसे विभागीय कार्य योजना को जोखिम संवेदी बनाया जाय।

गौरतलब है कि विभागीय कार्य योजना विकासीय मुद्दों के ऊपर बनते हैं और आपदायें इन विकास कार्यों की निरन्तरता को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्य योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करने से स्थाई विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

इस आपदा प्रबन्धन योजना का मुख्य लक्ष्य विभिन्न आपदाओं के प्रभावों को कम करना है। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान विभिन्न विभागों के बीच सक्रिय सहभागिता स्थापित करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिला, अनुमण्डल व प्रखण्ड स्तर पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गयी साथ ही विभागों के पास मौजूद संसाधनों व क्षमताओं के साथ विभाग की कमियों को भी जानने का प्रयास किया गया।

इस दस्तावेज को तैयार करने में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 14 की उपधारा (1) व (2) में वर्णित उपबंधों का सहारा लिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देश, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा तैयार बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप, बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न आपदाओं के लिए जारी किये गये एस0ओ0पी आदि दस्तावेजों का भी सहारा लिया गया।

आपदा की दृष्टि से बिहार अतिसंवेदनशील राज्य है और आपदा से बचाव के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाये गये हैं। जिसके अन्तर्गत 2015 में आपदा प्रबन्धन विभाग के तत्वाधान में आपदा के दृष्टिकोण से विस्तृत विचारमंथन कर बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप का निर्माण किया गया। इस दस्तावेज का निर्माण SFDRR के अन्तर्गत बताये गये लक्ष्यों एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया गया, जिसमें राज्य से लेकर ग्राम पंचायत तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उपायों को विभागवार बताया गया है। विभागवार गतिविधियों का निर्धारण करने में पांच मुख्य तत्वों— सुरक्षित (रिजीलियेण्ट) गांव, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों, सुरक्षित आधारभूत सेवाओं तथा सुरक्षित शहरों को ध्यान में रखा गया है। सहरसा जिले की आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय बिहार डीआरआर रोडमैप के अन्तर्गत दिये गये विभागीय प्रावधानों को भी समाहित किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

सहरसा जिले की आपदा प्रबन्धन योजना को कुल 10 अध्यायों में विभक्त किया गया है। विषयवार प्रत्येक अध्याय के अन्तर्गत निहित विषय तत्त्व निम्नलिखित हैं—

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का पहला अध्याय परिचय का है। इस अध्याय में जिला आपदा प्रबन्धन योजना का परिचय देने के साथ ही योजना निर्माण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में योजना बनाने की रणनीति एवं प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है साथ ही जिला आपदा प्रबन्धन योजना की अनिवार्यता एवं महत्ता को बताते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के बारे में चर्चा की गयी है एवं योजना को अद्यतन करने के विषय में बताया गया है।

दूसरा अध्याय सहरसा जिले के परिचय से सम्बन्धित है, जिसके अन्तर्गत जिले का विस्तार बताने के साथ ही मिट्टी की प्रकृति आदि के बारे में चर्चा की गयी है। जिले की जलवायु एवं मौसमों के बारे में चर्चा करने के साथ ही जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला गया है। जिले का जनसंख्यात्मक परिचय देने के साथ ही जिले के अनुमण्डलों, प्रखण्डों एवं गांवों के बारे में इस अध्याय में सविस्तार चर्चा की गयी है।

तीसरे अध्याय में जिला को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं जैसे — बाढ़, भूकम्प, अगलगी, ठनका, चक्रवात, सुखाड़, सड़क दुर्घटना आदि आपदाओं की प्रकृति व उनसे होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा की गयी है। विभिन्न आपदाओं का मौसमी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मुख्य रूप से द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित इस अध्याय में समुदाय के साथ की गयी चर्चाओं से निकली प्राप्ति को भी समाहित किया गया है। प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों के अनुसार बाढ़ जिले की प्रमुख आपदा है।

योजना के चौथे अध्याय में प्रभावी आपदा प्रबन्धन हेतु संस्थागत प्रणाली की चर्चा की गयी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं एवं एजेंसियों के बारे में व्यापक चर्चा की गयी है। इस अध्याय में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का परिचय देते हुए उसके अधिकार एवं शक्तियों के बारे में चर्चा की गयी है। आपदा के रोक—थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के साथ किसी आपदा के दौरान त्वरित रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न हितभागियों के साथ प्रभावी समन्वयन करने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संगठनों), सामुदायिक संगठनों व अन्य निजी संगठनों/एजेंसियों की भूमिका एवं जवाबदेही की चर्चा की गयी है। इसी अध्याय में जिले में स्थापित इमरजेंसी रिस्पान्स सेण्टर, उसमें उपलब्ध सामग्रियों तथा आपदा के दौरान एवं सामान्य समय में ई0ओ0सी0 द्वारा किये जाने वाले कार्यों की भी चर्चा की गयी। एक इमरजेंसी आपरेशन सेण्टर में पर्याप्त मानव संसाधनों सहित आधुनिक संचार सुविधाएं, कम्प्यूटर, इण्टरनेट एवं पर्याप्त मात्रा में कुर्सी मेज की भी उपलब्धता को आवश्यक बताया गया है।

योजना के पांचवे अध्याय “रोक—थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय” में आपदा के रोक—थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी उपायों के ऊपर विभागवार चर्चा की गयी है। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अध्याय 5 के अन्तर्गत 40वें अनुच्छेद के अनुसार सभी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जाना है। साथ ही राज्य के डी0आर0आर0 रोड मैप में दिये गये पांच स्तम्भों में भी विभागों की गतिविधियों को विनिर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त दोनों के आलोक में पांचवा अध्याय सम्बन्धित हितभागियों/विभागों के लिए सुझायी गयी गतिविधियों पर आधारित है। जिसके अन्तर्गत कुल 20 विभागों के लिए आपदा निवारण हेतु शमन, रोक—थाम, पूर्व तैयारी एवं क्षमता निर्माण से सम्बन्धित गतिविधियों को शामिल किया गया है। गतिविधियों का निर्धारण करते समय विभाग की पूर्व विकासीय योजनाएं, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा उनकी विभागीय सीमाओं को ध्यान में रखा गया।

छठा अध्याय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण का है। जिसके अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन हेतु आवश्यक दक्षता पर चर्चा की गयी है। इन दक्षताओं को प्रदान करने हेतु चिन्हित संस्थाओं/एजेंसियों के ऊपर व्यापक चर्चा की गयी है। इस अध्याय में संस्थागत क्षमता वर्धन के साथ ही समुदाय, सामुदायिक संगठनों एवं पंचायती राज संगठनों के क्षमता वर्धन के बारे में चर्चा की गयी है। साथ ही तालिका के माध्यम से विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक प्रशिक्षणों एवं प्रशिक्षण लेने वाले स्टाफ/पदनाम को भी दर्शाया गया है। यह तालिका विभिन्न विभागों के साथ की गयी बैठकों तथा उनसे निकले बिन्दुओं के आधार पर तैयार की गयी है।

योजना के सातवें अध्याय में रिस्पान्स द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु विभिन्न विभागों के आपसी समन्वयन एवं समन्वय के घटकों पर चर्चा की गयी है। इसी अध्याय में जिला में गठित विभिन्न कोषांगों, उसके नोडल

विभाग, सहयोगी विभागों तथा आपदा के समय उनके द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं के बारे में व्यापक चर्चा की गयी है। इसके साथ सेना, एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0, पुलिस एवं अग्निशमन विभागों द्वारा आपदा के दौरान निभाई जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों के ऊपर भी चर्चा की गयी है।

आठवां अध्याय आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्प्राप्ति के विभिन्न उपायों पर आधारित है। इस अध्याय में पुनर्निर्माण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों को मुख्य रूप से दो भागों – तात्कालिक एवं दीर्घकालिक गतिविधियों में बांटकर उसी के अनुरूप कार्य करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि क्षति आकलन करते समय किन-किन बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए? राहत का वितरण आपदा राहत कोष में दिये गये मानकों के अनुरूप होना चाहिए तथा सुधार, मरम्मत एवं निर्माण के दौरान किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? दीर्घकालिक गतिविधियों में आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुद्दों को ध्यान में रखने की बात की गयी है। जबकि पुनर्प्राप्ति के अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, कृषिगत व पर्यावरण पुनर्प्राप्ति तथा सामाजिक पूंजियों के पुनर्स्थापन के ऊपर चर्चा की गयी है।

नवें अध्याय में आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों की पहचान की गयी है। इस अध्याय में आपदा प्रबन्धन हेतु केन्द्रीय एवं राज्य स्तर से मिलने वाले अनुदानों के साथ ही यह भी देखने का प्रयास किया गया है कि किन योजनाओं के साथ जुड़ाव स्थापित कर आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन आसानी से किया जा सकता है।

दसवां एवं अन्तिम अध्याय आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन का है, जिसके अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण से सम्बन्धित धारा 31 की उपधारा 4, 5, 6 एवं 7 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निगरानी हेतु आवश्यक बिन्दुओं की पहचान की गयी है।

संलग्नक

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का दूसरा खण्ड संलग्नक का है, जिसमें आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक दस्तावेजों, संसाधनों, दिशा-निर्देशों एवं जिले से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं को संलग्नक के तौर पर समाहित किया गया है। इस खण्ड में –

संलग्नक 1 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन हेतु जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों – जिला पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, आपदा, असैनिक एवं शल्य चिकित्सा पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अंचल पदाधिकारियों तथा पंचायत की आपदा के दौरान भूमिका एवं जवाबदेही के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है।

संलग्नक 2 में 1971-2021 तक के अधिकतम, न्यूनतम एवं वार्षिक औसत तापमान के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है।

संलग्नक 3 में जिला में छत एवं दीवार में प्रयोग की गयी निर्माण सामग्री के आधार पर विभिन्न आपदाओं के दौरान क्षति की संभावनाओं को दर्शाया गया है। यह तालिका भारतीय सम्वेदनशीलता एटलस द्वारा तैयार की गयी है।

आपदा प्रबन्धन योजना की संलग्नक सं0 4 में जिले के चार प्रखण्डों- नौहट्टा, महिषी, सलखुआ व सिमरी बख्तियारपुर के उन 136 गांवों की सूची प्रस्तुत की गयी है, जो कोसी नदी के दो तटबंधों के बीच में बसे हुए हैं और सम्वेदनशीलता की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

संलग्नक 5 में जिले में विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित संसाधनों का सविस्तार वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत बाढ़ से बचाव हेतु जिले स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, नाव नाविकों, मोटरबोट चालकों, गोताखोरों, तैराकों, स्वयंसेवकों आदि का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

संलग्नक 6 में बाढ़ आपदा से प्रभावितों हेतु प्रखण्डवार मानव शरणस्थली

संलग्नक 7 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सूचनाये

संलग्नक 8 में जिले में उपलब्ध पशु स्वास्थ्य केन्द्रों एवं संसाधनों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

संलग्नक 9 में अग्निशमन विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की चर्चा की गयी है।

संलग्नक 10 में जिले में स्थापित आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के सन्दर्भ में अधिकार एवं शक्तियों की चर्चा की गयी है।

संलग्नक 11 में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर सहरसा के प्रशिक्षित किये गये मुखिया एवं सरपंच की सूची प्रस्तुत की गयी है। वहीं संलग्नक 12 के अन्तर्गत जिले में काम करने वाली मुख्य क्रियाशील स्वैच्छिक संगठनों की सूची प्रदर्शित की गयी है।

संलग्नक 13 के अन्तर्गत विभिन्न आपदाओं के ऊपर जारी एस0ओ0पी0 को ध्यान में रखते हुए आपदा के दौरान त्वरित कार्यवाही के माध्यम को फ्लो चार्टों के माध्यम से दर्शाया गया है।

संलग्नक 14 में विभिन्न आपदाओं की स्थिति में “क्या करें” व “क्या न करें” की चर्चा की गयी है। यह संलग्नक बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जागरूकता हेतु जारी किये गये पोस्टर एवं अन्य जागरूकता सामग्रियों पर आधारित है।

संलग्नक 15, 16 व 17 में क्रमशः अस्पताल, सड़क एवं स्कूल सुरक्षा हेतु समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का वर्णन किया गया है।

संलग्नक 18 में आपदाओं की नवीनताओं से परिचित कराने तथा उनसे निपटने के उपायों पर बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सहरसा जिला के प्रशिक्षित प्रशासनिक अधिकारियों की सूची प्रस्तुत है।

संलग्नक 19 में बिहार सरकार एवं बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदाओं एवं उसके सन्दर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों को संकलित किया गया है। इसके अन्तर्गत राहत वितरण हेतु एस0डी0आर0एफ0 में दिये गये मानदरों का उल्लेख किया गया है।

संलग्नक 20 में विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु विभागवार चेकलिस्ट दी गयी है, ताकि विभाग एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा के सन्दर्भ में विभाग की तैयारी को जान सकें।

संलग्नक 21 जिले के विभिन्न प्रखंडों में भूकंप रोधी निर्माण एवं रेटरो फिटिंग तकनीक पर प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अनुभवी राजमिस्त्रीयों की सूची।

और अन्त में संलग्नक 22 में भुकम्प रोधी निर्माण तकनीक पर प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं की सूची।

अध्याय : 1

परिचय (Introduction)

बिहार का सहरसा जिला कोसी परिमण्डल में पड़ने के कारण बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील है। विगत दो दशकों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण सुखाड़, आंधी-तूफान, शीतलहर, लू जैसी अन्य आपदाएं भी यहां दिखने लगी हैं जिनका प्रभाव यहां के लोगों, संसाधनों, आजीविका के स्रोतों आदि पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा है। आपदाओं एवं उससे उत्पन्न प्रभावों से निपटने हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के खण्ड 31 को संज्ञान में लेते हुए सहरसा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन, अन्य सम्बन्धित विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर जिला की आपदा प्रबन्धन योजना का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना में आपदा के दौरान रिस्पान्स व राहत एवं बचाव के साथ ही रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी एवं पुनर्प्राप्ति सहित आपदा प्रबन्धन के सभी चरणों के दौरान अपनाये जाने वाले उपायों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है।

सहरसा जिला की जिला आपदा प्रबन्धन योजना की विभागीय कार्ययोजना निर्धारित करते समय बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015-2030 में विभागों के लिए सुझाई गयी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और इसका समय-समय पर अद्यतन होना आवश्यक है।

1.1 उद्देश्य

इस योजना के निर्माण के निम्न मुख्य उद्देश्य हैं:-

- आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सहरसा जिले की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करना।
- पूर्व एवं वर्तमान की आपदाओं व संभावित खतरों के सन्दर्भ में विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं को समझना एवं उसके निराकरण हेतु सुझाव देना।
- विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित खतरों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना।
- समुचित नियोजन करते हुए सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों, विशेषकर महत्वपूर्ण सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं के नुकसान को कम से कम करना।
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए समुदाय, सरकार के लाइन डिपार्टमेंट एवं अन्य हितधारकों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इमरजेन्सी रिस्पान्स एवं पुनर्स्थापन (रिकवरी) हेतु कार्य योजना विकसित करना।
- आपदा प्रबंधन योजना के विकास में हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी करा कर उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना एवं उत्तरदायी बनाना।
- योजना को नियमित रूप से अद्यतन (update) करने हेतु प्रक्रिया निर्माण करना।
- जिला स्तर के संस्थागत तंत्र में नवाचार एवं अच्छे उदाहरणों को शामिल कराना तथा सभी स्तर पर एक समन्वित योजना बनाना।
- समुदाय को आपदा से निपटने हेतु तैयार करने की दृष्टि से पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना।
- किसी भी आपदा के दौरान प्रभावी तरीके से खोज, बचाव एवं रिस्पान्स करने हेतु जिले स्तर पर एक इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर की स्थापना करना।
- जिले की चिन्हित जोखिमों के शमन हेतु विविध हितधारकों के लिए शमन के उपाय सुझाना।
- भावी विकास की आवश्यकता को समझाते हुए विभिन्न दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से समुदाय को जागरूक करना ताकि वे आपदा सहनशील निर्माण प्रणाली को अपना सकें।
- आपदा प्रबन्धन में मीडिया की सक्रिय भूमिका एवं उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना।
- प्रभावित लोगों के लिए पुनर्स्थापन योजना तैयार करना तथा जिले के विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्य करने के लिए पुनर्निर्माण उपायों को बताना।

1.2 योजना का कार्यक्षेत्र

जिले को प्रभावित करने वाली प्रत्येक प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदा और उससे सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं उससे प्रभावित समुदाय की सम्वेदनशीलता व क्षमता की पहचान करने की बात योजना में शामिल की गयी है। इसके अन्तर्गत जिले स्तर की आपदा से जुड़े सभी विभागों, एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं, नगर परिषद, निजी क्षेत्र, सामुदायिक संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों एवं समुदाय द्वारा आपदा के विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की गयी है। यह योजना जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावी होगी। इसके आधार पर ही वहां के लिए कृषि, आजीविका, बुनियादी सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं के लिए पूर्व तैयारी, रोक-थाम एवं शमन आदि के उपायों को विशिष्टता से इस योजना में शामिल किया गया है। इसके साथ ही रिस्पान्स के दौरान प्रभावी कार्यों को करने हेतु विभागीय संसाधनों के ऊपर भी योजना में प्रकाश डाला गया है।

1.3 योजना विकसित करने की कार्यप्रणाली

जिले में व्याप्त विभिन्न आपदाओं की स्थिति को देखते हुए योजना तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन तक के सभी चरणों को सम्पादित करने के लिए क्षेत्रीय स्थितियों का विश्लेषण किया गया। हितभागियों की पहचान करने के पश्चात् हितभागियों के साथ समय-समय पर बैठकों में जानकारीयां/आंकड़े, सूचनाएं एकत्र कर, आंकड़ों का विश्लेषण करने का कार्य किया गया। इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन में विभागीय समन्वयन तथा वित्तीय संसाधनों के ऊपर भी चर्चा की गयी (चित्र सं0 1)।



तत्पश्चात् निम्न प्रक्रियाओं के तहत जिला आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की गयी –



1.4 जिला आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन : प्रमुख हितभागी एवं उनकी जिम्मेदारियां

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के खण्ड 25 (2) (क) के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का अध्यक्ष होने के नाते आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी सहरसा जिला के जिला पदाधिकारी की होगी। जिला में स्थापित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला पदाधिकारी के निर्देशन व नेतृत्व में कार्य करेगी। योजना के क्रियान्वयन में जिला पदाधिकारी का सहयोग जिला के आपदा नोडल अपर जिला पदाधिकारी आपदा करेंगे। इसके साथ आपदा पूर्व, दौरान एवं बाद के सभी चरणों में जिला में कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षक मुख्य भूमिका में होंगे। आपदा के दौरान एवं बाद में प्रभावितों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिविल सर्जन की प्रमुख भूमिका होगी। आपदा पूर्व एवं आपदा के बाद पूर्व तैयारी, शमन, पुनर्स्थापन तथा पुनर्निर्माण के कार्यों में सम्बन्धित विभाग जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन में जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में अंचल पदाधिकारी अंचल स्तर पर आपदा प्रबन्धन में प्रभावी भूमिका में होंगे। इसके साथ ही जिले स्तर पर कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठन, पंचायती राज संस्थाएं एवं स्वयं सहायता समूह आदि भी आपदा के दौरान प्राथमिक रूप से रिस्पान्स गतिविधियों को करने, आपदा पूर्व समुदाय को पूर्व तैयारी हेतु सक्षम बनाने तथा आपदा के प्रभावों के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से प्रमुख भूमिका निभायेंगे (संलग्नक-1)।

1.5 योजना पुनरावलोकन एवं अद्यतन करने की अवधि

योजना निर्माण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अतः आपदा की बदलती परिस्थितियों के सन्दर्भ में योजना का पुनरावलोकन प्रत्येक वर्ष होना आवश्यक होगा। पहले से तैयार योजना का पुनरावलोकन एवं उसमें समय के अनुसार सुधार करते समय जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक होगा—

1. **व्यापकः**— आपदा के सन्दर्भ में सभी तरह के प्रभाव, सभी हितधारक सहित सभी काल या चरणों को ध्यान में रखते हुए योजना में सुधार करना।
2. **विकासात्मकः**— आपदाओं से प्रभावित समुदाय के क्षमता निर्माण हेतु भावी आपदाओं का अनुमान करना, उनके निवारण हेतु पूर्व तैयारी का कार्य होना।
3. **जोखिमः**— खतरों/नये खतरों की पहचान, जोखिम एवं प्रभाव विश्लेषण जैसे ठोस जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से प्राथमिकताएँ एवं संसाधन तय करना।
4. **समेकितः**— सरकार एवं अन्य हितधारकों के सभी स्तरों पर सभी प्रयासों की उपयोगिता सुनिश्चित करना।
5. **सहयोगीः**— सभी हितधारकों द्वारा किये गये कार्यों की उपयोगिता को एक-दूसरे से साझा करने और व्यक्ति तथा एजेंसियों के बीच प्रभावी सम्बंध बनाने हेतु साझा मंच विकसित करना।
6. **सुरक्षितः**— आपदा की चुनौतियों के समाधान के लिए सुरक्षित रचनात्मक एवं नवीन तरीका अपनाना।
7. **पेशेवरः**— शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, सार्वजनिक नेतृत्व, नैतिक आचरण जवाबदेही और निरंतर सुधार आदि मूल्यों पर आधारित ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देना।

अध्याय : 2

जिले का परिचय (District Profile)

कोसी बेसिन के अन्तर्गत पड़ने वाला जिला सहरसा प्राचीन काल से ही बाढ़, अकाल, सूखा आदि के विभिन्न उतार-चढ़ावों को झेलता रहा है। जल एवं मृदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध सहरसा जिले के दक्षिण से कोसी नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा सुरसर, तिलाबे, धेमुरा सहित कई छोटी-बड़ी नदियां जिले से होकर बहती हैं। कोसी नदी प्रतिवर्ष अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, जिससे यहां की मृदा काफी उर्वर है और काफी अच्छी खेती होती है।

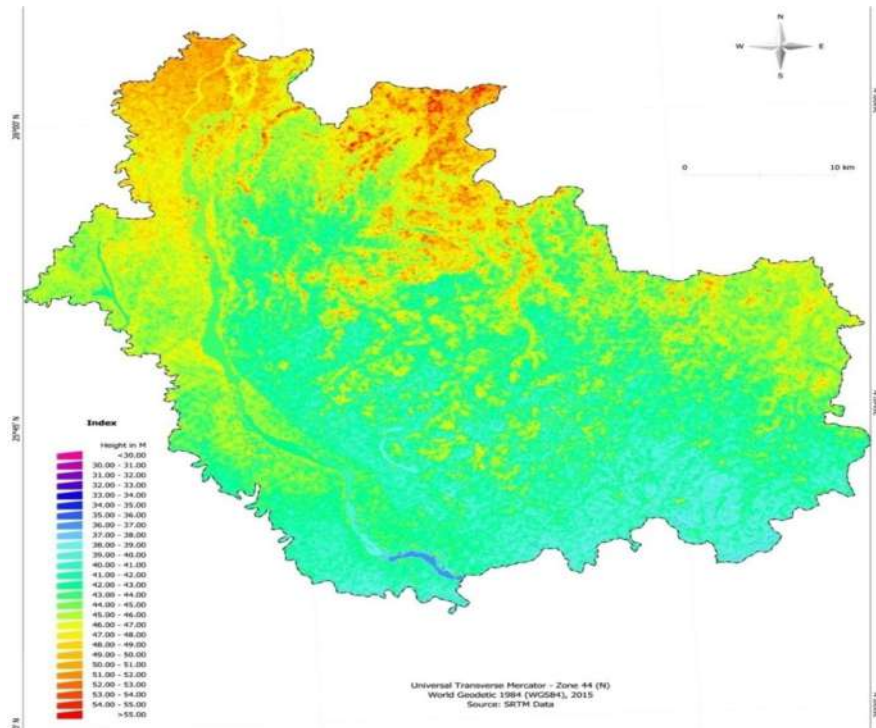
2.1 भौगोलिक परिचय

सहरसा जिला बिहार राज्य के उत्तर में कोसी बेसिन में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1687 वर्ग कि०मी० है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह जिला 25°37' से 26°32' उत्तरी अक्षांश और 86°22' से 87°55' मिनट पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। यह जिला उत्तर में सुपौल और मधुबनी, दक्षिण में खगरिया, पूर्व में मधेपुरा एवं पश्चिम में दरभंगा जिले की सीमा से आबद्ध है।

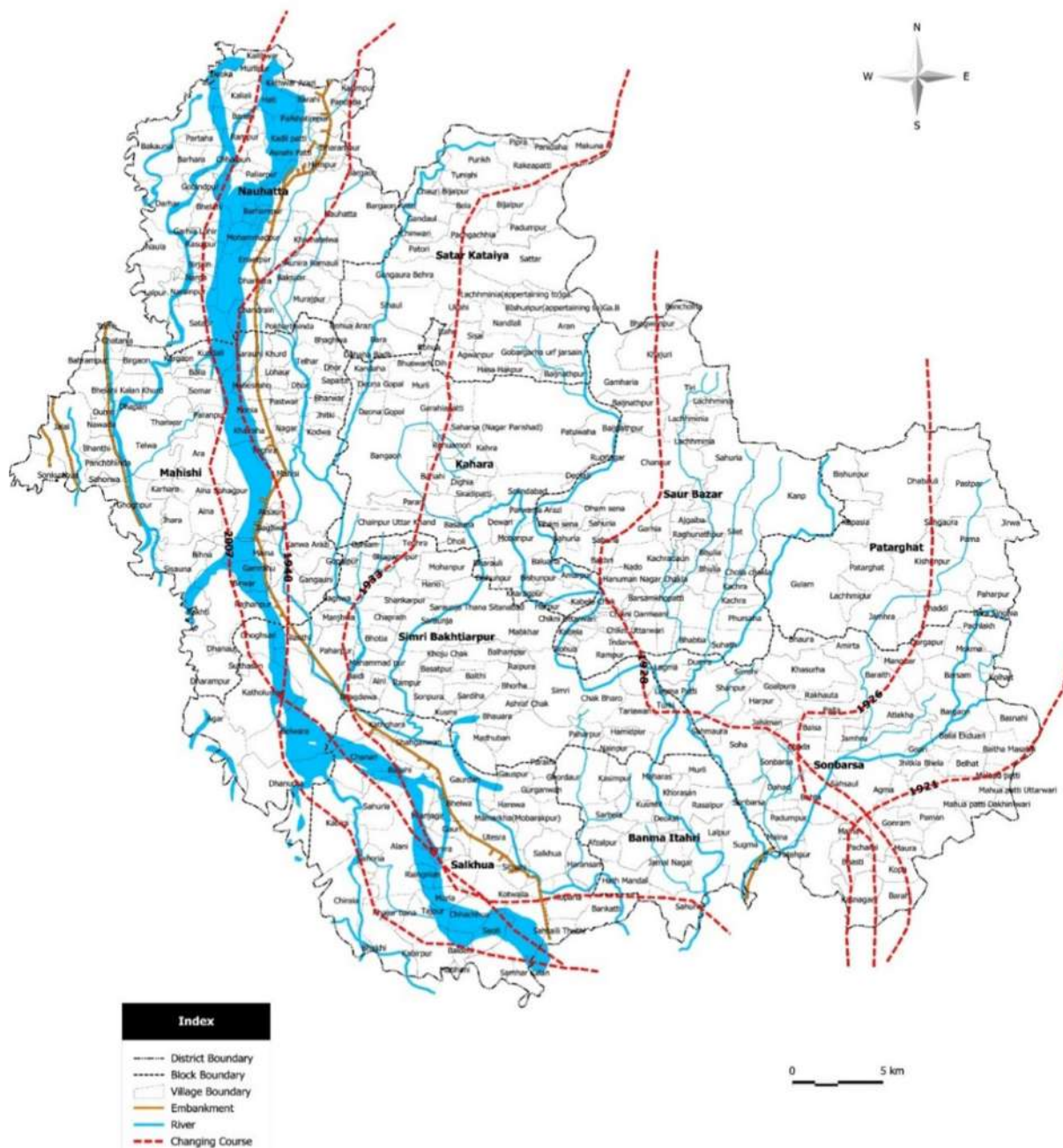
जिले की धरातलीय ऊँचाई 30-55 मीटर (समुद्र तल से) के बीच है एवं ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ है। (मानचित्र- 1) कोसी यहाँ की मुख्य नदी है। अपनी धाराओं को परिवर्तित करने के लिए प्रख्यात यह नदी विगत 200 वर्षों में 120 कि०मी० पूरब से पश्चिम की तरफ परिवर्तित हुई है जिसका सबूत वर्तमान में छोटी-छोटी धाराओं के रूप में देखा जा सकता है। (मानचित्र संख्या- 2)

स्रोत : एस०आर०टी०एम० आंकड़ों पर आधारित

मानचित्र संख्या- 1 : जिले का धरातलीय



मानचित्र संख्या- 2 : जिले में कोसी नदी का मार्ग परिवर्तन एवं उसकी छाड़न/पुरानी धाराएं



स्रोत : एस0आर0टी0एम0 आंकड़ों पर आधारित

2.2 जलवायुविक विशेषताएं

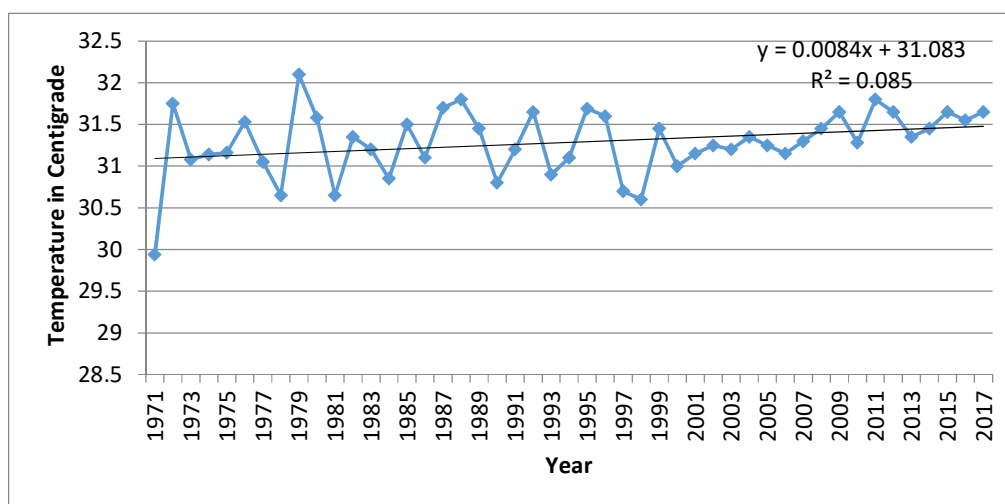
सहरसा जिले की समुद्र तल से औसत उंचाई 30–55 मीटर (134 फीट) है। सम्पूर्ण क्षेत्र कोसी (दुधकोसी) द्वारा निर्मित समतल जलोढ़ मैदान है, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि वाला है। लेकिन कोसी नदी के लगातार मार्ग परिवर्तन के कारण मृदा अपरदन एक प्रमुख समस्या है और इसके बाढ़ से पुलों के बह जाने के कारण समीपवर्ती क्षेत्रों से इसकी सड़क मार्ग से सम्बद्धता बहुत ही खराब है। यह जिला प्रायः प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ से प्रभावित होता है, जिससे जीवन और सम्पत्ति का बहुत नुकसान होता है।

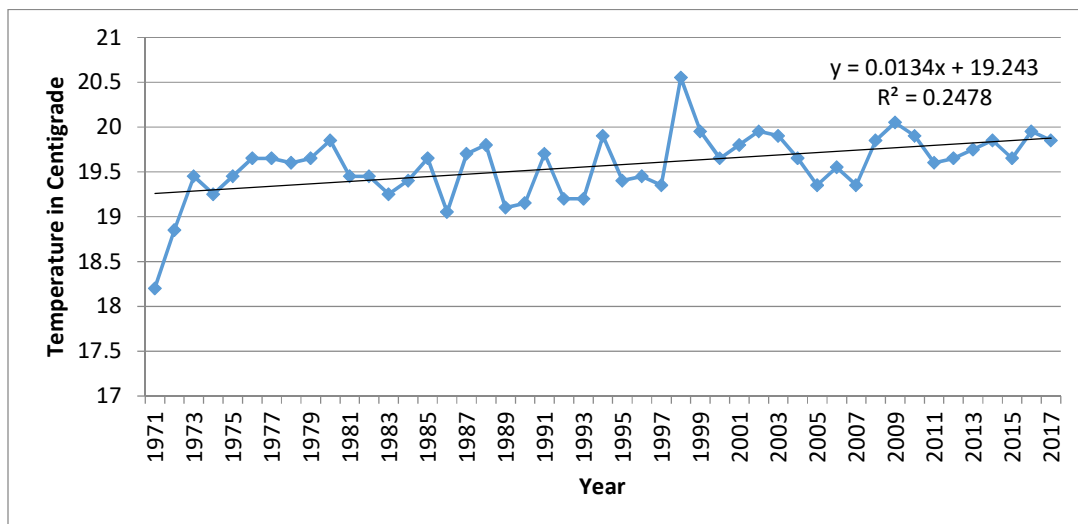
सहरसा जिला के जलवायु की मुख्य विशेषता गर्म शुष्क से आर्द्र दशा है। मात्र ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष जिले की जलवायु में नमी अधिक रहती है। नवम्बर से फरवरी तक शीत ऋतु होता है तथा मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु रहता है। जून के मध्य में वर्षा शुरू होती है, जो सितम्बर तक चलती है। अक्टूबर एक संक्रमण महीना होता है। इस जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1385.4 मिमी. है, जो दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। जिले की 82 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर माह के मध्य होती है। जुलाई यहां सबसे आर्द्र महीना होता है जब वार्षिक वर्षा का एक चौथाई इसी महीने में वर्षा होती है। औसत रूप से यहां वर्षा के दिनों की संख्या 59 है (24 घण्टों में वर्षा की मात्रा 205 मिमी. से अधिक हो)।

तापमान के सन्दर्भ में जनवरी सबसे ठण्डा महीना होता है। जब औसत दैनिक तापमान 24° सेण्टीग्रेट तथा कभी-कभी गिर कर $2-3^{\circ}$ डिग्री सेण्टीग्रेट हो जाता है। मार्च से क्रमशः तापमान बढ़ने लगता है और अप्रैल यहां का सबसे गर्म महीना होता है। इस महीने में या कभी-कभी मई महीने में यहां का दैनिक अधिकतम तापमान 43° सेण्टीग्रेट तक पहुंच जाता है, लेकिन सामान्यतः यह 28° से 36° सेण्टीग्रेट के मध्य रहता है। जून में मानसून प्रारम्भ होने के बाद तापमान में एकाएक गिरावट आती है जबकि रात का तापमान उसी प्रकार अधिक बना रहता है। सितम्बर के बाद दिन व रात दोनों का तापमान गिरना प्रारम्भ होता है, जो रात में अपेक्षाकृत तीव्र गति से गिरता है।

वर्ष 1971 से 2017 तक के अधिकतम व न्यूनतम तापमान के आंकड़ों (संलग्नक-2) का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि न्यूनतम व अधिकतम तापमान दोनों में काफी उतार-चढ़ाव आ रहा है (मानचित्र सं0 3 व 4)।

मानचित्र संख्या- 3 व 4 : जिले में अधिकतम-न्यूनतम तापमान (1971–2017)

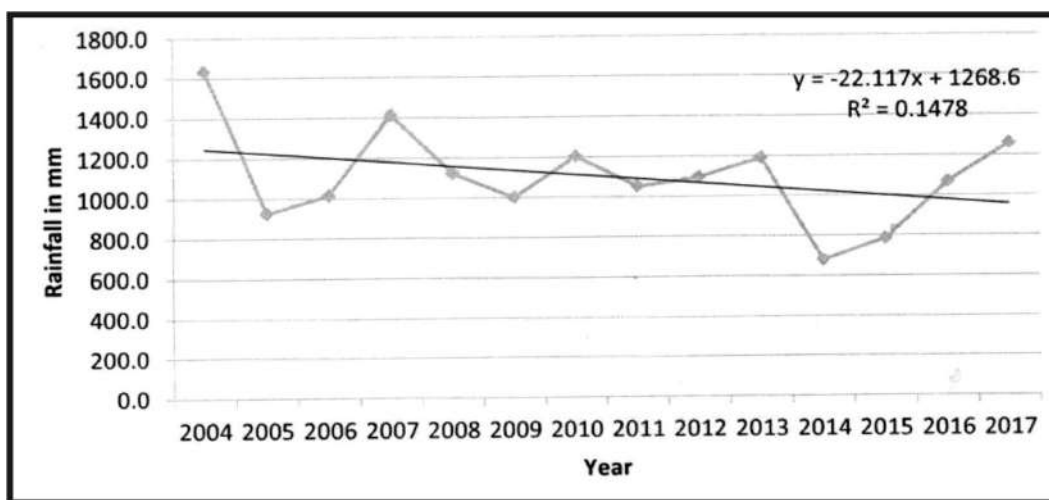




स्रोत : आईएमडी के आंकड़ों पर आधारित

तालिका सं० 1 में प्रदर्शित पिछले 13 वर्षों में जिले में हुई वर्षा के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जिले में वर्षा की मात्रा में कमी आयी है (मानचित्र सं० 5)

मानचित्र संख्या-5 : जिले में वार्षिक वर्षा की स्थिति (2004-2017)



स्रोत : आईएमडी के आंकड़ों पर आधारित

तालिका संख्या-1 : जिला में विगत 17 वर्षों का वार्षिक वर्षा का आंकड़ा (मिमी0) (2004-2021)

वर्ष	जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस	कुल वार्षिक वर्षा
2004	0.2	1	0	12.2	41.2	315.9	881.7	156.8	164.1	61.4	0	0	1634.5
2005	0	2.2	5.5	10.5	62.5	95.9	322.5	284	137.8	3	2	0	925.9
2006	5.5	1	3.2	5.5	25.5	184	337.4	92.6	354.9	4.5	0	0	1014.1
2007	0	3	4.5	20.5	35.6	105.7	438.3	400	399	3.1	0	2.2	1411.9
2008	0	1	0	2.5	55.6	103.1	399.6	310	216.2	32.6	0	1	1121.6
2009	2.2	0	6.5	30.2	31	66.1	333.5	386.4	60.2	85.2	0	1.1	1002.4
2010	0	4.2	0	21	54	143	495.9	212.9	197.3	72.1	2	0	1202.4
2011	0	1	5	11.5	36.2	201.2	336.5	195.8	200.8	63.2	0	0	1051.2
2012	2.2	11.2	6.2	30.5	62	185.5	362.5	145.5	232.5	55.4	2	0.2	1095.7
2013	0	10.6	3.2	132.4	22.4	191.6	225.5	173	285.8	144.6	0	0	1189.1
2014	0	7.4	0	0	80.4	84.6	175.4	182.5	142.5	6	0	0	679
2015	6	0	13	28	36	119.7	176.6	243.7	162.8	0	0	0	785.8
2016	0	0	0	0	106.2	87.4	298.7	70.7	444.1	60.9	0	0	1068
2017	0	0	83.1	0	124.7	120.2	510.5	307.2	81.7	30.2	0	0	1257.6
2018	0	0	0	6.1	22.7	117.2	141.3	271.6	73.2	35.1	0	2.1	669.3
2019	7.4	28.3	1.6	48.2	35.4	121.4	413.7	156.8	408.4	17.5	0	7.5	1256.3
2020	4.24	23.2	41.2	74.0	60.6	247.4	438.6	164.0	301.2	39.6	0	0	1394.0
2021	0	0	0	0	264.1	304.1	26.5	292.3	109.9	244.7	0	8.9	1250.5

स्रोत : आई0एम0डी0

2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

सहरसा जिला सांस्कृतिक दृष्टि से काफी प्राचीन तथा भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जिला पहले भागलपुर मंडल में था। 2 अक्टूबर, 1972 को एक नया मंडल कोसी बनाया गया, जिसमें सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले को सम्मिलित किया गया। इस नये मण्डल का मुख्यालय सहरसा बनाया गया। इस जिले को 1 अप्रैल, 1954 में एक अलग जिला बनाया गया। इसके पहले इसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था और यह पुराना मुंगेर और भागलपुर जिले में सम्मिलित था। हिमालय से उत्पन्न नदियों के द्वारा जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूतकाल में ही वार्षिक बाढ़ और जल प्लावन से प्रभावित रहा है। कोसी के असंभावित प्रकोप के पहले यह उत्तरी उप तराई क्षेत्र चावल के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। यह जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। इस क्षेत्र में जो कुछ भी ऐतिहासिक महत्व के स्थल थे, वे सभी कोसी नदी की बाढ़ के द्वारा विगत 50 वर्षों में अपरदित होकर समाप्त हो गये हैं।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी सहरसा जिला कोसी परिमण्डल एवं उत्तरी बिहार का एक समृद्ध क्षेत्र है। जहां महर्षि मण्डन मिश्र जैसे विद्वान का आश्रम अवस्थित है। साथ में जिला में महिषी प्रखण्ड में देवी शक्ति पीठ मां उग्रतारा देवी का धार्मिक स्थल है, जो राज्य पर्यटन विभाग के अन्तर्गत आता है।

2.4 जनसंख्यात्मक परिचय

जिले की कुल जनसंख्या 1900661 है। जिसमें 997174 पुरुष तथा 903487 महिलाएं हैं। जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 25.79 प्रतिशत (2001-2011) है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली कुल जनसंख्या 1744121 है जबकि नगरीय जनसंख्या 156540 है। कुल जनसंख्या का 16.69 प्रतिशत अनुसूचित जाति हैं। जिले का जनसंख्या घनत्व 1127 व्यक्ति/वर्ग किमी. है जो बहुत ही अधिक है तथा विभिन्न प्रकार की आपदाओं के सन्दर्भ में इन्हें नाजुक बनाता है। सहरसा जिले का स्त्री-पुरुष अनुपात 906/1000 है तथा साक्षरता की दर 63.56 प्रतिशत है। जिले से सम्बन्धित सामान्य विवरण निम्नवत् है :

तालिका 2— जिला : एक नजर में

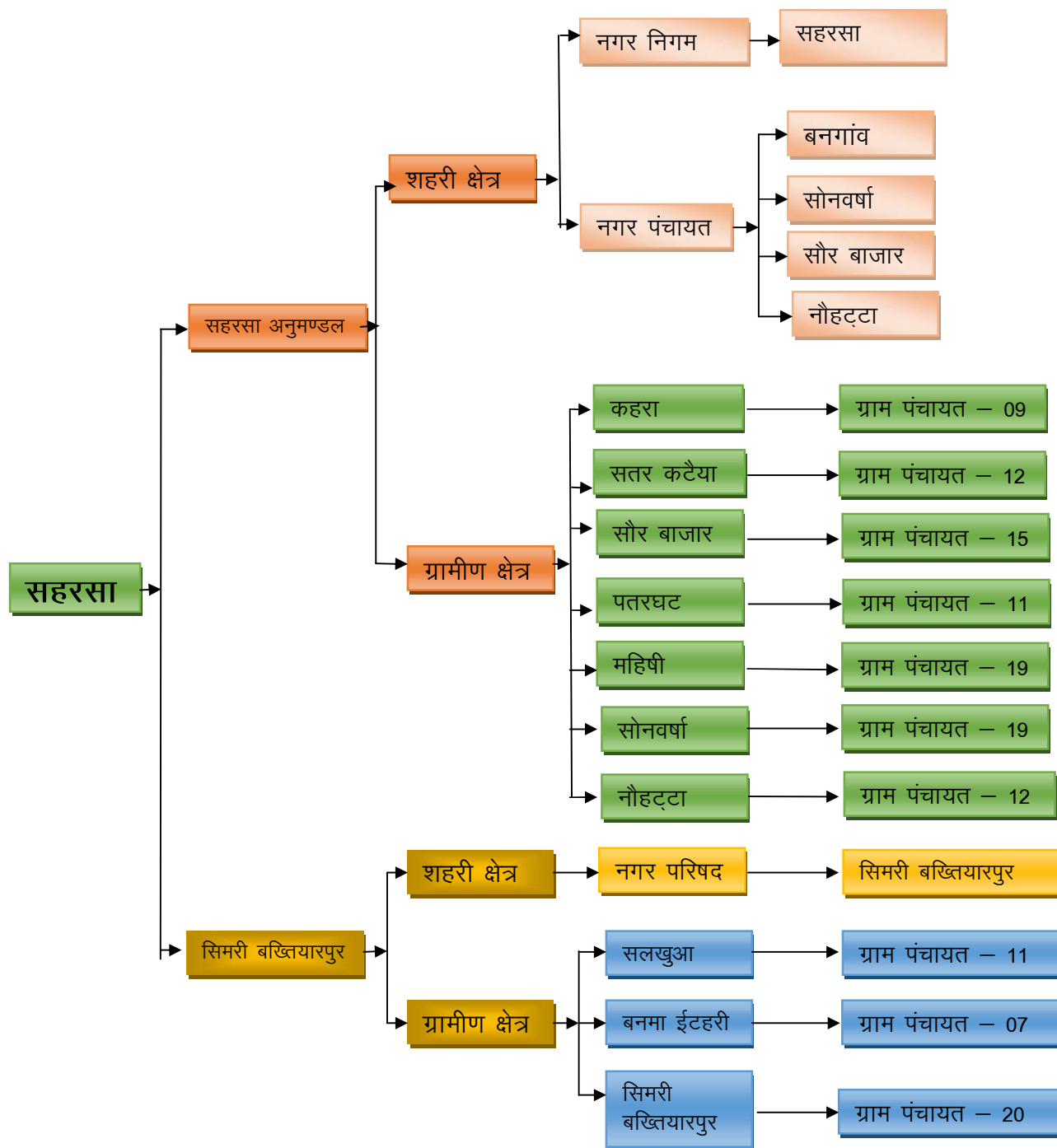
जनसंख्या :		लिंग अनुपात	906
व्यक्ति	1900661	घनत्व	1127
पुरुष	997174	ग्राम पंचायत की संख्या	153
महिला	903487	सामुदायिक विकास ब्लॉक	10
वृद्धि (2001–2011)	25.79	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	69
ग्रामीण	1744121	कुल जनसंख्या का प्रतिशत	..32
शहरी	156540	पूर्ण टीकाकृत बच्चों का %	41
अनुसूचित जाति जनसंख्या	317249	सामान्य वर्षा	1259.8 मिमी.
कुल जनसंख्या का प्रतिशत	16.69	धरातलीय स्वरूप	समतल
परिवार की संख्या	368212	मुख्य ढाल की दिशा	उत्तर से दक्षिण
परिवार का साइज	5.2	आयु वर्ग :	
साक्षरता तथा शैक्षणिक स्तर		0–4	260766
साक्षरता दर		5–14	547726
व्यक्ति	53.56	15–59	965273
पुरुष	62.90	60 वर्ष तथा ऊपर	125660
महिला	37.09		
कार्यशील जनसंख्या :		महत्वपूर्ण टाउन	
कुल कार्यशील जनसंख्या	6,49,898	सहरसा	156540
मुख्य कार्यशील जनसंख्या	3,63,326		
सीमान्त कार्यशील	2,86,572	धर्म :	
अकार्यशील	1,25,0763	हिन्दू	85.7
अनुमंडलों की संख्या	2	मुस्लिम	14.0
घर का प्रकार प्रतिशत में		ईसाई	0.07
स्थाई	36.4		
अर्ध स्थाई	18.4		
अस्थायी	44.9		

स्रोत : जनगणना, 2011, भारत सरकार

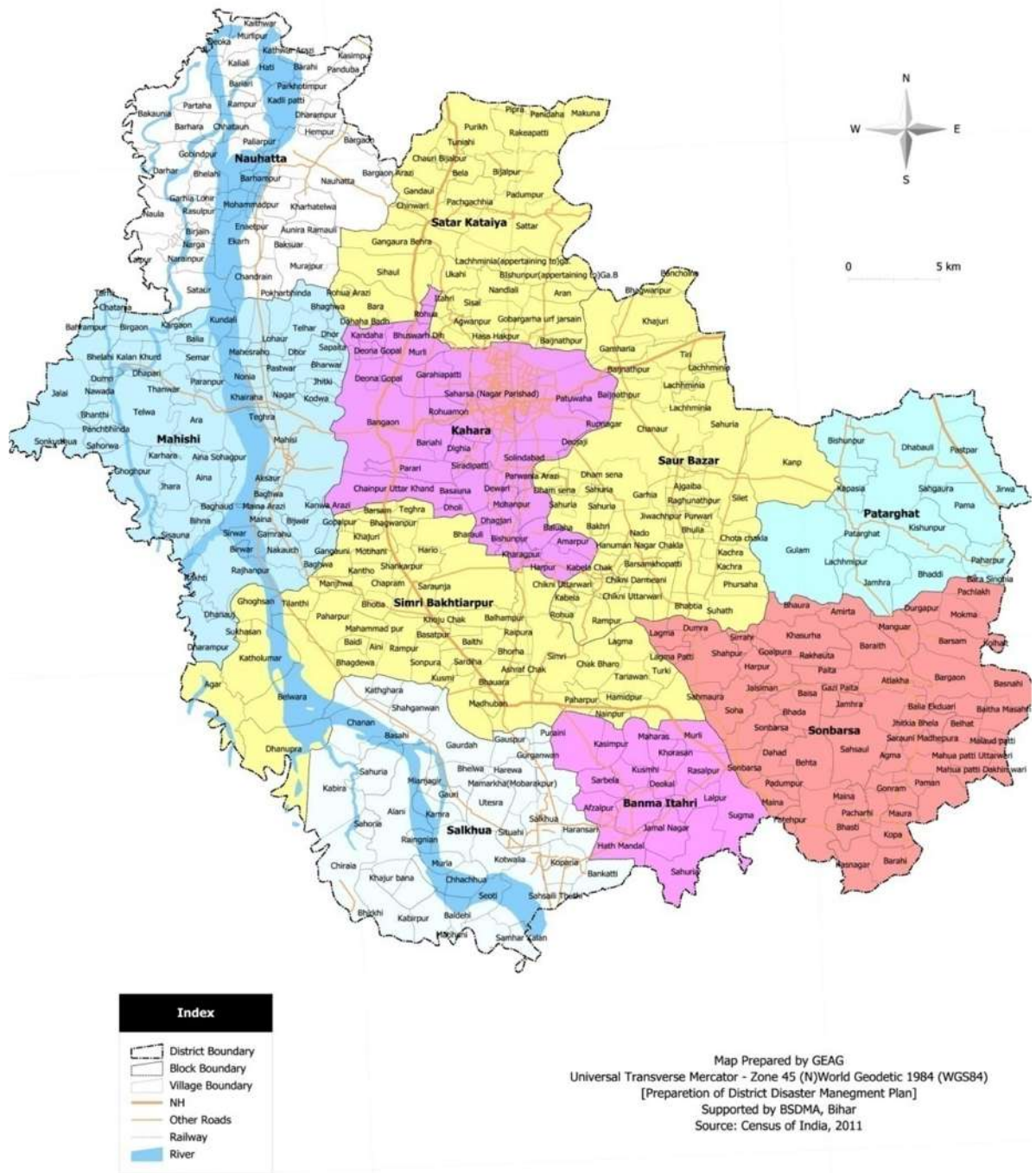
2.5 प्रशासनिक ढांचा

प्रशासनिक दृष्टि से इस जिले में दो अनुमण्डल – सहरसा और सिमरी बख्तियारपुर सम्मिलित हैं। सहरसा अनुमण्डल में 7 प्रखण्ड – सहरसा, कहरा, सत्तरकटैया, पतरघाट, महिषी, सोनबरसा, नौहट्टा शामिल हैं, जबकि सिमरी बख्तियारपुर अनुमण्डल में 3 प्रखण्ड – सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ और बनमा इटहरी हैं। सहरसा 01 नगर निगम, 04 नगर पंचायत— नवहट्टा, सौरबाजार, सोनवर्षा एवं बनगांव और सिमरी बख्तियारपुर 01 नगर परिषद जिले के नगरी क्षेत्र है। जिले में गांवों की कुल संख्या 468 है। सहरसा इस जिले का मुख्यालय है (मानचित्र सं0 6)। सहरसा जिले के अन्तर्गत आने वाले अनुमण्डलों, नगर निगम, नगर पंचायतों, प्रखण्डों एवं ग्राम पंचायतों को निम्नवत् देख सकते हैं –

जिले के अनुमण्डल, नगर निगम, नगर पंचायत, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायतों की सूची।



मानचित्र संख्या- 6 : सहरसा जिला का प्रशासनिक क्षेत्र



स्रोत : भारतीय जनगणना, 2011

2.6 प्राकृतिक संसाधन

जल एवं मृदा जैसे प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टि से सहरसा जिला समृद्ध है। यहाँ कोसी, सुरसर तिलाबे, धेमुरा सहित कई छोटी-बड़ी नदियाँ हैं। कोसी प्रतिवर्ष अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है जिससे यहाँ की मृदा उर्वर है।

जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। वर्षा की मात्रा (1325.8 मिमी) भी अच्छी होती है। यहाँ जून से सितम्बर के महीने में 1082 मिमी की वर्षा होती है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र होने के कारण यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है जो कृषि के लिए लाभकारी है। जिले का कृषिगत क्षेत्र का क्षेत्रफल 1,07,143 हेक्टेयर है। इसके अलावा 11 हजार हेक्टेयर भूमि परती के रूप में तथा 4,273 हेक्टेयर झाड़ियों से अच्छादित है।

जिले में खाद्यान्न, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त कृषि-जलवायुविक दशा है। जिले के अन्तर्गत कुल बोया गया क्षेत्र 1,07,143 हेक्टेयर है। कुल सिंचित क्षेत्र 76,000 हेक्टेयर है तथा 52,825 हेक्टेयर भूमि पर वर्षा आधारित खेती की जाती है। यहां की मृदा उर्वर है। जिले में 32.1 प्रतिशत बलुई-दोमट, 27.6 प्रतिशत (Clay Loam/ Loamy clay), 15.4 प्रतिशत (Clay Loam) तथा 24.9 प्रतिशत बलुई है।

चावल एवं मक्का खरीफ की मुख्य फसल है। रबी के मौसम में गेहूँ, दाल, सरसों बोयी जाती है।

फलों की खेती में आम का बागीचा यहाँ सबसे अधिक क्षेत्रफल 2581 हेक्टेयर में है। इसके अतिरिक्त अमरुद, केला, लीची एवं मखाना की खेती भी की जाती है। सब्जियों में आलू, पत्तागोभी, प्याज, टमाटर, भिण्डी एवं लतावर्गीय परिवार की सब्जियाँ उगाई जाती हैं।

मत्स्य पालन विभाग के अनुसार जिले में कुल 1,882 पोखर-पोखरियाँ हैं। यहाँ भूमिजल जल स्तर से काफी ऊँचा है। सामान्यतः 20-25 फीट पर ही पानी मिल जाता है। जिले की अधिकांश जनसंख्या अपने घरेलू तथा कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए भूमिगत जल पर निर्भर करती है।

मुख्य पेशा

कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। 2011 की जनगणना के अनुसार खेतिहर किसानों की संख्या 1,64,600 है जो कुल कामगार का 25.32 प्रतिशत है। कृषकों के अलावा खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत 40.92 है।

पशुपालन

जिले में मुख्य तौर पर गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं का पालन किया जाता है। यहाँ अधिकांशतः देशी नस्ल की पशुओं का पालन किया जाता है, जो कम दूध देती हैं। अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ मात्रा में मुर्गी पालन भी किया जाता है। जिले में उपलब्ध पशुधन एवं उनकी संख्या को तालिका सं० 3 में दिखाया गया है।

तालिका संख्या- 3 : जिले में पशुधन एवं उनकी संख्या हजार में

गाय (कम दूध देने वाली)	संकर गाय	भैंस (कम दूध देने वाली)	संकर भैंस	बकरी	मुर्गी-मुर्गा
247.74	11.69	126.85	—	275.021	159.90

स्रोत : जिला पशुपालन विभाग, सहरसा

अध्याय : 3

खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (एच.आर.वी.सी.ए.)

(Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis (HRVCA))

जिला बाढ़, भूकम्प, अगलगी, आंधी-तुफान जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होता रहता है। जिले की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। और यही कारण है कि बाढ़ एवं वर्षा की अनिश्चितता के कारण खेतिहर समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होता है।

खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण (Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Assessment (HRVCA)) एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष में व्याप्त विभिन्न खतरों, उससे उत्पन्न जोखिमों तथा उससे प्रभावित होने वाले नाजुक वर्गों की पहचान की जाती है। साथ ही उस क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक, भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का आकलन किया जाता है ताकि उसके आधार पर आपदा जोखिम प्रबन्धन की दिशा में बेहतर नियोजन किया जा सके।

एच0आर0वी0सी0ए0 प्रक्रिया करने का मुख्य प्रयोजन निम्न है—

- सुनियोजित प्रगति हेतु व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर आत्मविश्वास का आकलन करना।
- ग्राम स्तरीय संस्थानों के निर्माण द्वारा आपदा जोखिम एवं समुदाय की सम्वेदनशीलता को समझना तथा न्यूनीकरण के उपाय ढूंढना।
- आपदा प्रबन्धन हेतु विभिन्न विभागों के साथ-साथ समुदाय की क्षमताओं, विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों एवं कमियों की पहचान करना

खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता, क्षमता आकलन में प्रयुक्त साधन/तकनीक

विभागों एवं समुदाय के साथ खतरा, जोखिम, सम्वेदनशीलता, क्षमता (एच0आर0वी0सी0ए0) प्रक्रिया में निम्न साधनों, तकनीकों का उपयोग किया गया —

- आपदा संभाव्य मानचित्रण
- दूर संवेदी चित्र अथवा गुगल इमेज
- कारण सम्बन्ध आरेख
- सेवा सुविधा का चपाती चित्रण एवं तालिकाबद्ध (Tabulation)
- समस्याओं का चिन्हीकरण एवं उनका प्राथमिकीकरण
- समस्या प्राथमिकीकरण की प्रक्रिया
- उद्देश्यपूर्ण गतिविधि मॉडल

उपरोक्त उद्देश्यों को लेकर जिले के सभी प्रखण्डों में समुदाय के साथ आपदाओं के सन्दर्भ में चर्चा की गयी। विभागों से बात-चीत एवं समुदाय के साथ एचआरवीसीए के विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर जिले की आपदाओं के बारे में समझ विकसित की गयी। प्राप्त बिन्दुओं के आधार पर आपदाओं को प्राकृतिक एवं मानव जनित दो श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिसे निम्नवत् तालिका सं0 4 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4 : जिले में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं की स्थिति

प्राकृतिक आपदाएं	मानवजनित आपदाएं
बाढ़	बिजली का करेण्ट लगना
सुरखाड़	सड़क दुर्घटना
आंधी-तूफान (तेज हवाएं)	नाव दुर्घटना
लू लगना	संक्रामक बीमारियां
ठनका/बज्रपात	पानी में डूबने की घटनाएं
भूकम्प	
शीतलहर	
ओलावृष्टि	
अगलगी	

स्रोत : विभागीय आंकड़े एवं सामुदायिक बैठकें, सहरसा

समुदाय के साथ की गयी चर्चाओं में उपरोक्त आपदाओं के आने के समय को भी जानने का प्रयास किया गया और इस प्रकार समुदाय की सहभागिता से आपदाओं का मौसमी चित्रण तैयार किया गया, जो तालिका सं0 5 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 5 : जिले में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का मौसमी चित्रण

आपदा	जन.	फर.	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	प्रभावित प्रखण्ड/क्षेत्र
बाढ़													नौहट्टा, महिषी, सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर
सूखा													सम्पूर्ण जिला
भूकम्प													सम्पूर्ण जिला
अगलगी													सलखुआ, महिषी, पतरघट, सोनबरसा, नौहट्टा, कहरा
ओलावृष्टि													सम्पूर्ण जिला
आंधी-तूफान													सम्पूर्ण जिला
शीतलहर													सम्पूर्ण जिला
लू लगना													सम्पूर्ण जिला
ठनका													सम्पूर्ण जिला
बिजली का करेण्ट													सम्पूर्ण जिला
सड़क दुर्घटना													सम्पूर्ण जिला
नाव दुर्घटना													सम्पूर्ण जिला
संक्रामक बीमारियां													सम्पूर्ण जिला
डूबने की घटनाएं													सम्पूर्ण जिला

स्रोत : विभागीय आंकड़े एवं सामुदायिक बैठकें, सहरसा

3.1 आपदा की प्रकृति एवं स्वरूप (Hazard Profile)

आपदाएं, संकट तथा सम्वेदनशीलता (vulnerability) का संयुक्त परिणाम होती हैं। यह तब प्रभावी होती हैं जब प्रभावित समुदाय अथवा व्यक्ति की किसी संकट से जूझने की योग्यता उनकी अनुकूलन क्षमता से बाहर चली जाती है। यह वह स्थिति है जिसमें मानव समुदाय अपने-आप को असहाय और असहज महसूस करने लगता है। जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, मनुष्य हक्का-बक्का रह जाता है और कुछ समय के लिए किर्कर्टव्यविमूढ़ हो जाता है। परिणामस्वरूप बृहत् पैमाने पर जान-माल की क्षति होती है।

3.1.1 आपदा के प्रकार बाढ़

जिले की मुख्य आपदा बाढ़ है, जिससे जिले की अधिकांश जनसंख्या प्रभावित होती है। बाढ़ से जुड़े कुछ तथ्य निम्नवत् हैं –

- जिला सहरसा से कोसी एवं उसकी सहायक नदियां गुजरती हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष जिले के 4 अंचल नौहट्टा, महिषी, सलखुआ, सिमरी बख्तियारपुर बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। इन अंचलों से सम्बन्धित विवरण को तालिका सं० 6 के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है (मानचित्र सं० 7)।
- जिले के 17 पंचायत के कुल 77 गाँव प्रतिवर्ष बाढ़ से पूर्ण रूप से तथा 13 पंचायत एवं 39 गाँव आंशिक रूप से प्रभावित होते हैं।

तालिका 6 : बाढ़ प्रभावित अंचल, पंचायतों एवं गांवों का विवरण

अंचल का नाम	पूर्ण प्रभावित			आंशिक प्रभावित		
	पंचायत	गाँव	जनसंख्या (अनुमानित)	पंचायत	गाँव	जनसंख्या (अनुमानित)
नौहट्टा	06	26	50000	01	01	2500
महिषी	11	29	70000	04	10	13000
सलखुआ	0	13	11000	04	11	33484
सिमरी बख्तियारपुर	0	9	7000	04	17	50743
कुल	17	77	138000	13	39	99727

स्रोत : जिला प्रशासन, सहरसा

आपदा संभाव्य मानचित्रण, केन्द्रित समूह चर्चा एवं द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर जिले में प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति को निम्नवत् तालिका सं० 7 तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान को तालिका सं० 8 के माध्यम से देखा जा सकता है –

तालिका संख्या- 7 : प्रखण्डवार बाढ़ आपदा की आवृत्ति (1987–2021)

क्रम	प्रखण्ड	बाढ़ आपदा का वर्ष	आवृत्ति
1	नौहट्टा	87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,2000,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21	32
2	महिषी	87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99,2000,01,02,03,04,05,06,07,09,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21	30
3	सलखुआ	87,88,89,90,91,93,95,96,98,99,2000,01,02,03,04,05,07,08,09,10,13,14,16,17,18,19,20,21	28
4	सिमरी बख्तियारपुर	87,88,89,90,91,93,95,96,97,98,99,2000,01,02,03,04,07,08,10,13,16,17,18,19,20,21	26
5	सोनबरसा	87,88,89,91,93,95,96,97,98,99,2000,01,02,04,05,07,08,17	18
6	बनमा इटहरी	96,97,98,99,2000,01,02,03,04,05,07,08,10,17	14
7	सौर बाजार	87,04,08,17	04
8	कहरा	87	01
9	सत्तर कटैया	04	01

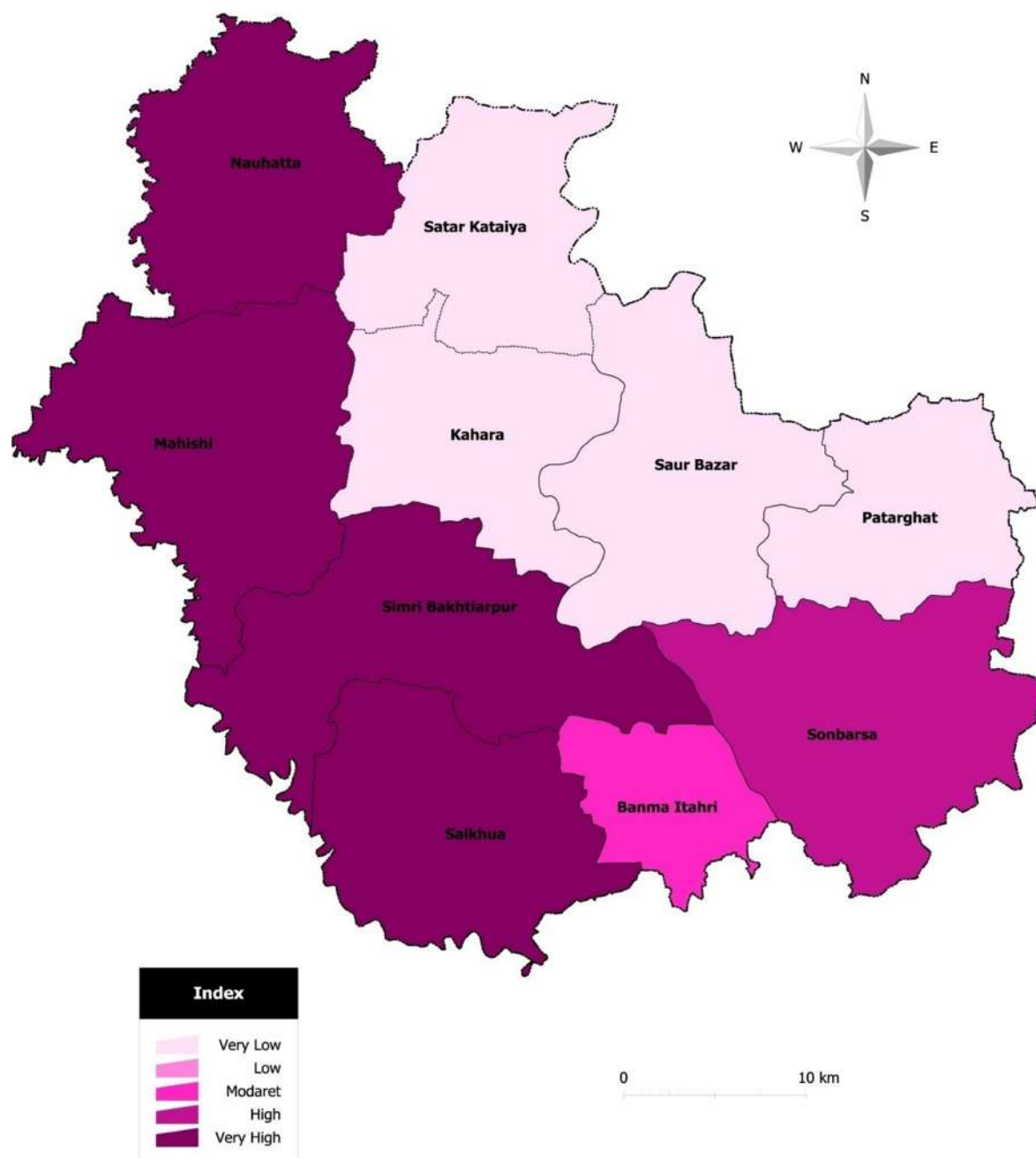
स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, सहरसा

तालिका संख्या- 8 : जिला में बाढ़ से होने वाला नुकसान (1991-2021)

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र — लाख हेक्टे० में	प्रभावित जनसंख्या — लाख में	फसल क्षति		मकान क्षति		पशुधन क्षति — सं० में	मानव क्षति	सार्वजनिक सम्पत्तियों की क्षति —लाख में	कुल फसलों, मकानों एवं सार्वजनिक ढांचों की क्षति— लाख रु० में
			क्षेत्रफल — लाख हेक्टे० में	मूल्य — लाख रु० में	सं०	मूल्य (लाख में)				
1991	0.63	2.15	0.32	14.92	323	4.61	—	1	—	19.53
1992	0.01	0.15	0.01	2.65	37	0.01	—	—	—	2.66
1993	0.73	2.95	0.22	177.24	1004	69.10	—	13	2.15	248.49
1994	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1995	0.77	2.67	0.44	152.00	851	10.62	—	1	—	162.62
1996	0.74	3.66	0.69	28.50	3841	162.23	5	30	4.50	195.23
1997	0.59	2.56	0.13	342.02	1001	38.83	—	11	10.24	391.09
1998	0.51	4.61	0.21	821.72	—	—	—	—	—	821.72
1999	0.04	3.28	0.04	240	1134	75.85	—	1	—	315.85
2000	0.04	2.99	0.02	87.04	1857	84.90	—	7	—	171.94
2001	0.13	2.16	0.03	3.69	454	12.17	—	9	—	15.86
2002	1.68	5.99	0.23	1155.26	8072	417.12	2	20	2065.24	3637.62
2003	2.15	3.4	1.38	26.90	1484	55.74	4	6	—	82.64
2004	1.62	6.74	0.67	305.60	5996	183.50	—	8	2180.48	2669.58
2005	0.1	0.49	0.02	—	245	27.46	—	—	89.00	116.46
2006	—	0.01	—	—	57	2.69	—	—	—	2.69
2007	0.3	3.65	0.27	1133.76	14024	925.65	—	42	140.38	2199.79
2008	0.38	4.55	0.15	3679.68	25367	3456.00	11	48	2377.25	9512.93
2009	0.07	0.81	—	—	846	65.42	23	22	2.10	67.52
2010	0.01	0.05	0.01	22.00	1215	16.8	—	8	8.00	46.80
2011	—	0.15	—	—	1398	29.88	—	11	2.50	32.38
2012	—	0.06	—	—	36	0.6	—	4	—	0.6
2013	—	0.08	—	—	720	23.12	—	—	—	23.12
2014	0.22	2.97	0.03	277.02	1307	4189	02	09	0	321.88
2015	—	0.02	—	—	206	11.29	—	—	3.00	14.29
2016	0.11	1.39	0.11	1539.82	59	77.07	—	11	5.0	1621.89
2017	0.27	3.68	0.27	3708.50	517	21.20	04	10	0.00	3729.70
2018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2019	0.0138	2.391	0.013	109.08	275	10.978	0	01	—	120.058
2020	0.445	3.363	0.445	6017.6	686	28.524	02	02	—	6046.124
2021	0.607	1.380	0.607	6328.68	35	1.435	0	0	—	6330.115

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन विभाग, सहरसा

मानचित्र संख्या- 7 : जिला में बाढ़ प्रभावित प्रखण्ड



स्रोत : आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार के आंकड़ों पर आधारित

सुखाड़

जिले में सुखाड़ की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, पटना से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार विगत पचास वर्षों में सहरसा कुल 10 बार सुखाड़ आपदा से प्रभावित रहा है। जिसे तालिका सं0 9 के माध्यम से निम्नवत् देख सकते हैं –

तालिका 9 : जिले में सुखाड़ का वर्ष एवं आवृत्ति

सुखाड़ का वर्ष	कुल संख्या	आवृत्ति
1996, 1971, 1972, 1979, 1982, 1992, 2001, 2010, 2013, 2018	10	5.6

सुखाड़ एक ऐसी आपदा है, जिसका कुप्रभाव काफी लम्बे समय बाद प्रकट होता है। सुखाड़ का प्रभाव आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक सभी स्तरों पर पड़ता है। कृषि उत्पादन में कमी, मत्स्य संसाधन पर प्रतिकूल असर, रोजगार की कमी आदि आर्थिक कुप्रभाव हैं, जबकि भू-गर्भ जलस्तर में कमी, जलाशयों, नहरों आदि का सूखना, जैविक विविधताओं आदि पर पड़ने वाले प्रभाव पर्यावरणीय कुप्रभाव हैं। इन कुप्रभावों के चलते जिले के छोटे, मझोले, सीमान्त व महिला किसानों की आय में गिरावट हो रही है, परिणामतः उनके बच्चों की शिक्षा, लालन-पालन, वैवाहिक कार्यक्रम आदि में कठिनाई आ रही है और उन्हें इन कार्यों के लिए या तो सेठ साहूकार से ऋण लेना पड़ता है अथवा अपनी जमीनें, पशु, जेवर आदि बेचने पड़ते हैं। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी गिरावट आ रही है। समुदाय के साथ बात-चीत में निकला कि जिले में अधिकांश घरों से पलायन हो रहा है।

शीतलहर

शीतलहर :- सामान्यतः बिहार में यह आपदा दिसम्बर से जनवरी के बीच ठंढ की व्यापकता और तीक्ष्णता जब प्रचण्ड एवं भयावह रूप लेती है तो यह शीतलहर कहलाती है।

खतरे का पैमाना : शीतलहर की श्रेणी में लाने हेतु ठण्ड की तीव्रता का पैमाना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। बिहार सरकार, आपदा प्रबन्धन विभाग का पत्रांक 4285 दिनांक 18.10.2012 खंड-2 के अनुलग्नक - 56 पर देखा जा सकता है।

शीतलहर की स्थिति	तापमान
शीतलहर	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10°C या उससे अधिक पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7°C कम हो जाए।
	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10°C या इससे कम पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 5°C से कम हो जाए।
पाला	जहाँ तापमान 0°C से कम हो जाए या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहा जायेगा।

अगलगी

जिले में विगत कुछ वर्षों से अगलगी की घटनाये बढ़ी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में 30 परिवार अगलगी से प्रभावित हुए। (मानचित्र सं0 08)) जिसका तालिका संख्या 10 के माध्यम से विवरण निम्नवत् है—

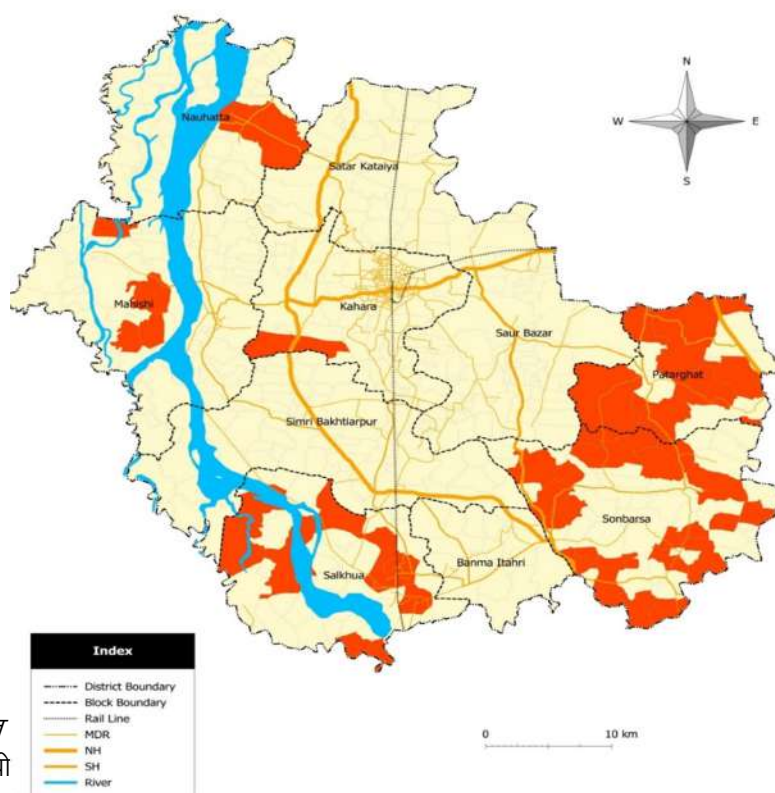
तालिका 10: 2021-22 के अन्तर्गत जिला में अगलगी की घटनाएं

क्र. सं.	प्रखण्ड	घटनाओं की संख्या	गाँव का नाम
1	सलखुआ	02	चानन
			खजुआहा
2	सोनवर्षा	24	तम्कुल्हा
			सिरहट्टी
			भस्ती
			अतलखा
3	नवहट्टा	02	मोहनपुर
			केदली
4	महिषी	01	धपारी
5	सि० बख्तियारपुर	01	बेलवाड़ा

स्रोत : आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार

गर्मियों में खड़ी फसलों, खलिहानों, झोपड़ियों तथा कच्चे मकानों में मानवीय भूल के कारण आग लग जाती है। अप्रैल, मई व जून के महीनों में चलने वाली गर्म हवाएं इस आग को और बढ़ाती हैं। अगलगी की घटनाओं से जिले का सूखा प्रवण दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पतरघट, सोनबर्षा, सलखुआ अधिक प्रभावित होता है (मानचित्र सं० 8)।

मानचित्र संख्या- 8 : सहरसा जिला में अगलगी की घटनाएं



उनका/बज्रपात

बिहार राज्य में बी

तालिका सं. 11 के

शामिल किया गया है, जिसमें मानव क्षति हुई एवं जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा दिया गया।

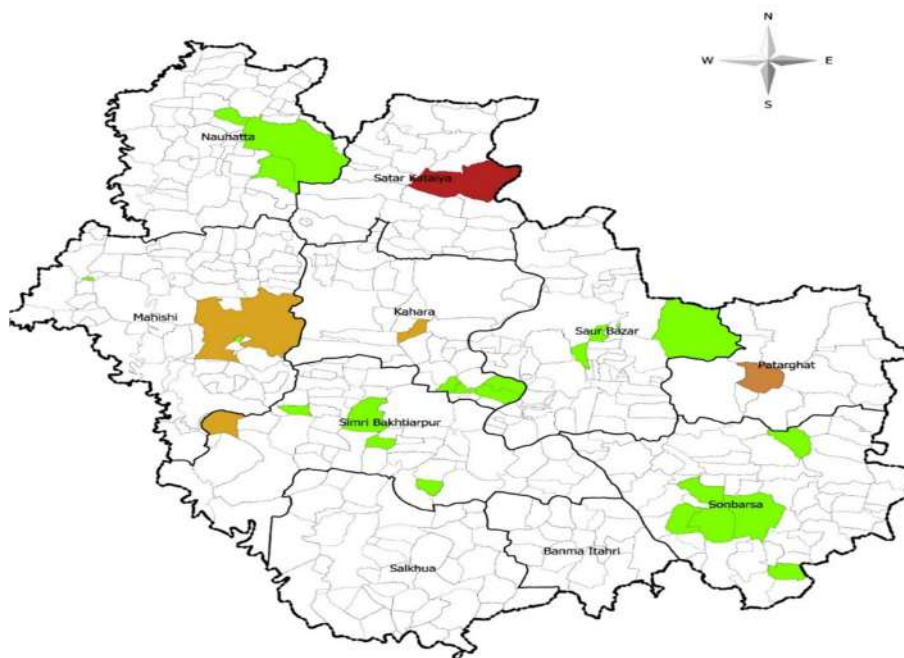
त की घटनाओं को

उन्हीं घटनाओं को

तालिका 11 : 2020-21 के अन्तर्गत जिला में ठनका/बज्रपात की घटनाएं

जिला में वज्रपात की घटनाये				
क्र.सं.	वर्ष	आवृत्ति	अंचल का नाम	गाँव का नाम
1	2020-21	8	सौरबाजार	खेरा
2			सत्तर कटैया	सिहौल
3			महिषी	राजनपुर
4			पतरघट	गोलमा
5			सोनवर्षा	मंगवार
6			सिमरी बख्तियारपुर	धनपुरा
7				चकभारो
8				कांडो
9	2021-22	7	सिमरी बख्तियारपुर	सरोजा
10				पहाड़पुर
11				सरडिहा
12				---
13				---
14			सौरबाजार	चिकनी उत्तरदायी
15			सत्तर कटैया	विशुनपुर

मानचित्र संख्या- 9 : जिला में ठनका/बज्रपात प्रभावित क्षेत्र



स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सहरसा

आंधी-तूफान व ओलावृष्टि-

पिछले कुछ वर्षों में अन्य आपदाओं के साथ आंधी-तूफान एवं ओलावृष्टि भी इस जिले को प्रभावित करने वाली एक बड़ी आपदा के रूप में सामने आयी है। यद्यपि आंधी-तूफान से प्रभावित प्रखण्डों एवं क्षति का कोई स्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त है।

पानी में डूबने से-

छोटे-छोटे पोखरों, नहरों तथा तालाबों में डूबने से होने वाली मृत्यु की घटनाएं होती रहती हैं। ज्यादा घटनाएं नहाने, मवेशियों को नहलाने के दौरान तथा बच्चों के खेलने के दौरान हुई हैं। निम्नलिखित तालिका में डूबने से हुई मृत्यु को दर्शाया गया है:-

पानी में डूबने से वर्ष 2021 में हुई मृतको का विवरणी

क्र.सं.	अंचल का कनाम	घटनाओं की संख्या	लिंग	
			पुरुष	महिला
1	बनमा ईटहरी	4	3	1
2	कहरा	10	9	1
3	महिषी	12	9	3
4	सिमरी बख्तियारपुर	11	5	6
5	पतरघट	2	1	1
6	सौरबाजार	8	5	3
7	सोनवर्षा	4	2	2
8	सतरकटैया	3	1	2
9	सलखुआ	9	6	3
10	नौहट्टा	10	5	5
	कुल	73	46	27

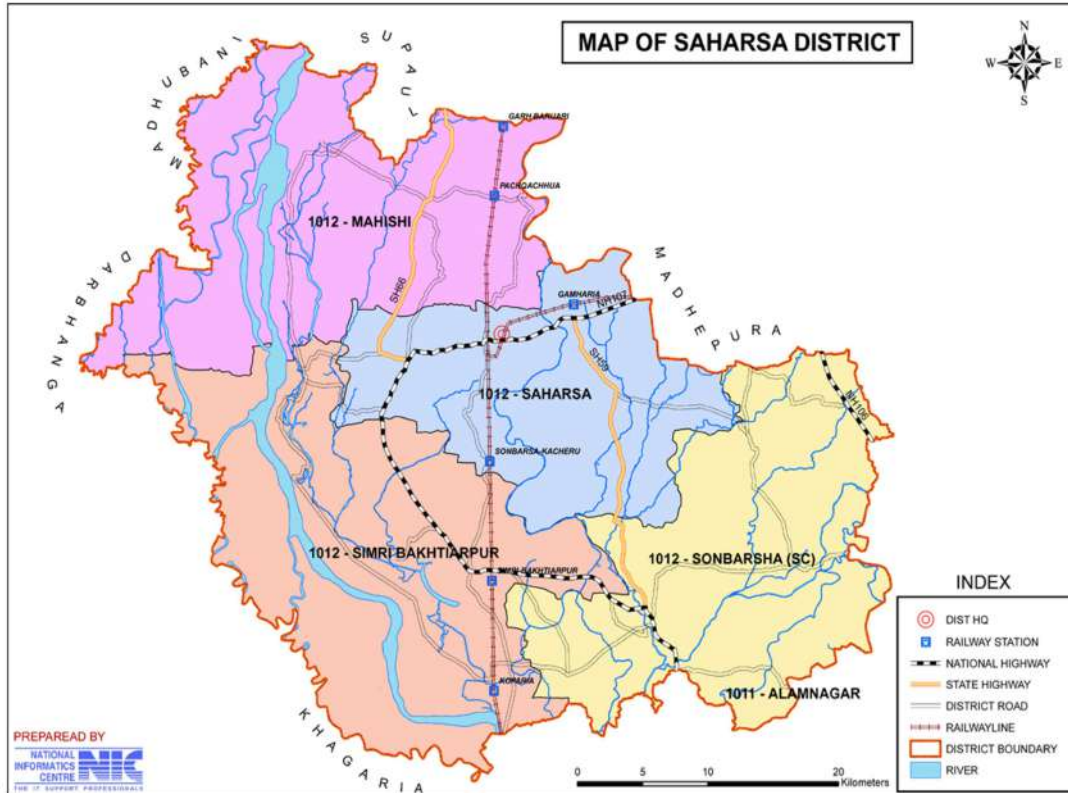
पानी में डूबने से वर्ष 2022 में हुई मृतको का विवरणी

क्र.सं.	अंचल का कनाम	घटनाओं की संख्या	लिंग	
			पुरुष	महिला
1	कहरा	1	0	1
2	सौरबाजार	1	0	1
3	सोनवर्षा	4	4	0
4	सतरकटैया	3	1	2
5	सलखुआ	4	3	1
6	पतरघट	2	2	0
	कुल	15	10	5

सड़क दुर्घटना:-

सहरसा जिले में सड़क दुर्घटना से संबंधित संवेदनशीलता एवं जोखिम का आकलन राज्य तथा जिले में पूर्व घटित सड़क दुर्घटनाओं के आधार पर किया जा सकता है। राज्य द्वारा तेज परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पक्का रोड धनत्व में तेजी से वृद्धि की गई है। ये नई सड़कें घनी आबादी के बीच से गुजरती हैं। इन सड़कों पर दुर्घटनाएँ हाल के दिनों में काफी बढ़ी हैं। सहरसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में काफी वृद्धि की गई है। इन सड़कों पर बढ़ती हुई सड़क हादसा अर्थव्यवस्था, जनस्वास्थ्य एवं जनकल्याण के कार्यों पर ऋणात्मक प्रभाव छोड़ती है।

सड़क दुर्घटना से वर्ष 2021 में हुई मृतकों का विवरणी				
क्र.सं.	अंचल का कनाम	घटनाओं की संख्या	लिंग	
			पुरुष	महिला
1	बनमा ईटहरी	1	1	0
2	कहरा	2	2	0
3	महिषी	1	1	0
4	सिमरी बख्तियारपुर	1	1	0
5	पतरघट	2	1	1
6	सौरबाजार	4	4	0
7	सोनवर्षा	2	2	0
8	सतरकटैया	4	4	0
9	सलखुआ	2	1	1
10	नवहट्टा	1	1	0
	कुल	20	18	2



गर्मी,

गर्मी/लू:- 14वीं वित्त आयोग के प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने कुछ अन्य आपदाओं समेत लू को स्थानीय आपदा घोषित किया है ताकि ऐसे मौकों पर विशेष कार्य योजना बनाने तथा विशेष सहायता देने में सुविधा हो सके।

गर्मी के मौसम में वातावरण में गर्मी एवं नमी का बदलाव होना स्वाभाविक है इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी, लू या उष्माघात को परिभाषित किया है। केन्द्र की परिभाषा के अनुसार अगर किसी समय सामान्य तापक्रम से 4.5–6.4 डिग्री अधिक हो तो उसे भीषण गर्मी या लू की संज्ञा दी जाती है। मैदानी इलाकों में जब तापमान लगातार 40 डिग्री सेन्टीग्रेड से ज्यादा बना रहे तो मे उसे भीषण गर्मी या लू की स्थिति कहते हैं। उपरोक्त स्थिति अगर दो-तीन दिनों तक बनी रहे तो एक कार्य योजना के तहत मौसम विभाग के पुर्वानुमान को आधार मानकर तैयारी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र ने भीषण गर्मी या लू की स्थिति को 'कलर कोड' से चिन्हित किया है। इससे जनमानस को भी आसानी से समझने में सहुलियत होगी।

नीचे की सारणी में कलर कोड को दर्शाया गया है—

ग्रीष्म लहर की चेतावनी हेतु कलर कोड :

कलर कोड	ग्रीष्म लहर की स्थिति	तापमान
लाल रंग गंभीर परिस्थिति	अत्यन्त गर्म हवा से सचेत करने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से लगभग 6° डिग्री सेंटीग्रेड या और ज्यादा होने पर
नारंगी रंग मध्यम परिस्थिति	गर्म हवा से सतर्क रहने का दिन	सामान्य (अधिकतम) तापमान से 4° से 5° डिग्री सेंटीग्रेड
पीला रंग गर्मी की लहर की चेतावनी	गर्म दिन	सामान्य (अधिकतम) के आसपास का तापमान
सफेद रंग सामान्य	सामान्य दिन	सामान्य से कम तापमान होने पर

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र

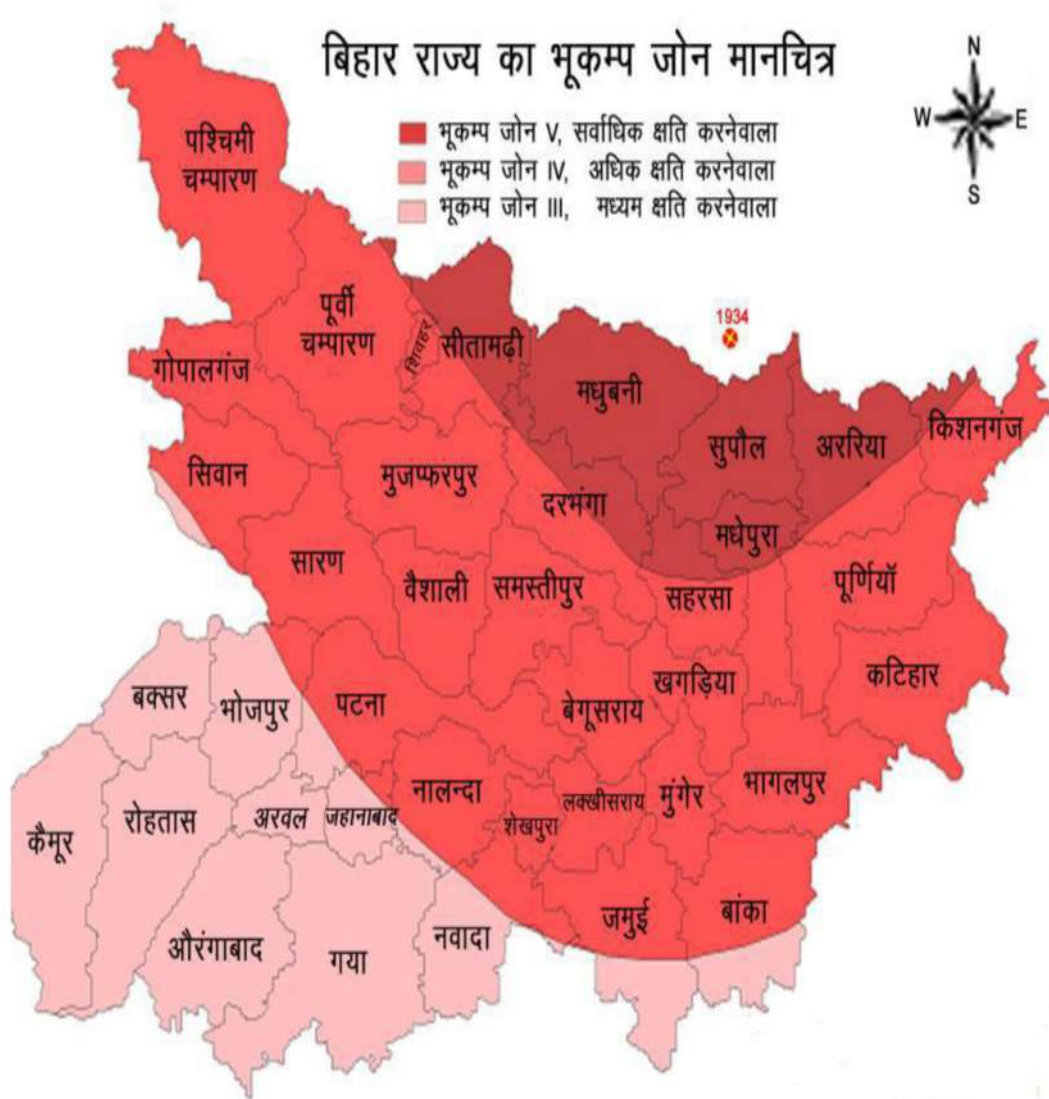
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार हीटवेब (लू) के लिए मानदंड

ग्रीन अलर्ट	किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं	अधिकतम तापमान सामान्य	किसी भी प्रकार की सावधानी की आवश्यकता नहीं
येलो अलर्ट (40 सेंटीग्रेड तक)	हीट वेव अलर्ट	2 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना	आम जनता के लिए सहन करने योग्य तापमान परंतु शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, पुरानी बीमारी वाले बुजुर्गों के लिए माध्यम चिंता
ऑरेंज अलर्ट (45 सेंटीग्रेड तक)	गंभीर चेतावनी का स्तर	दिन के लिए गंभीर गर्मी की चेतावनी	उच्च तापमान के कारण हीट वेव (लू) की संभावना बढ़ जाती है जिससे शिशुओं, गर्भवती महिलाओं, बीमारों, पुरानी बीमारी वाले बुजुर्गों के लिए उच्च चिंता का विषय है गर्मी के जोखिम से बचे (विशेषकर दिन में 11 बजे से 3 बजे के दौरान) तथा निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिये
रेड अलर्ट (प्रबंधन एवं कार्यवाही करें) (45+ सेंटीग्रेड तक)	अत्यधिक चेतावनी का स्तर	गंभीर गर्मी की लहर दो दिनों तक बनी रह सकती है (गर्म हवा/लू 6 दिनों से अधिक बने रहने की संभावना रहती है)	हीट वेव (लू) के कारण सभी उम्र के लोग जोखिम के श्रेणी में आजाते हैं, कमजोर और मजदूर वर्ग में हीट स्ट्रोक उच्च संभावना होती है कमजोर लोगों के लिए अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है (विशेषकर दिन में 11 बजे से 3 बजे के दौरान सावधानी बरते)

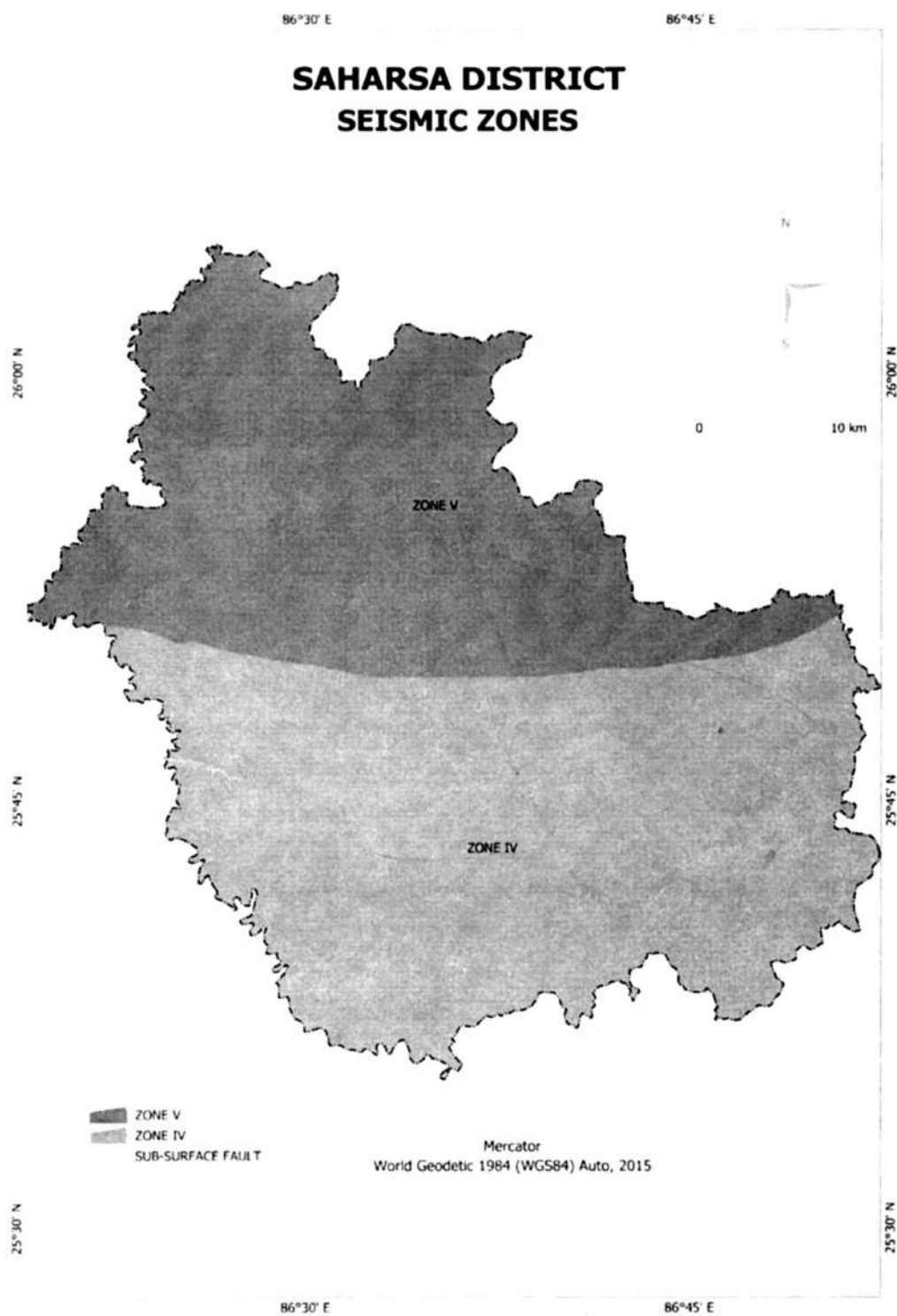
भगदड़

भीड़ (मेला)/भगदड़ :- अफवाह का फैलना, असामाजिक तत्वों की सक्रियता, धैर्य का अभाव, शीघ्रता से भीड़ भरे स्थल को छोड़ने की मानसिकता, भीड़ से बच निकलने की जल्दी आदि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो भीड़ को भगदड़ में बदल डालती है। भगदड़ की स्थिति बनने के उपरान्त मरने एवं घायल होने वालों की संख्या का अन्दाजा लगाना कठिन हो जाता है। अपनी जान बचाने की मानसिकता के फलस्वरूप जो शारीरिक गतिविधियाँ बनती हैं वे दूसरों के जान की परवाह नहीं करती। तभी तो भगदड़ में यदि कोई जमीन पर गिर जाता है तो उसके शरीर के उपर से पुरी भीड़ गुजर जाती है तथा उसे उठ खड़ा होने का मौका नहीं देती। तात्पर्य यह कि दूसरों के जान की चिंता किए वगैरे भगदड़ में बदल जाती है। पटना में गुरु गोविन्द सिंह के 350वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विश्वस्तरीय प्रकाश उत्सव के दौरान सरकार द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए बनाई गयी योजना एवं इसका क्रियान्वयन एक मील का पत्थर है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ प्रबंधन की इस अनुठी योजना की काफी सराहना की गई है जो इस जिले के लिए अनुकरणीय हो सकता है

मानचित्र संख्या-10



मानचित्र संख्या -11 : जिला में भुकम्प की दृष्टि से नाजूक प्रखण्ड



स्रोत : भारतीय जनगणना, 2011 एवं श्री ए०एस० आर्या के अध्ययन के आधार पर संकलित

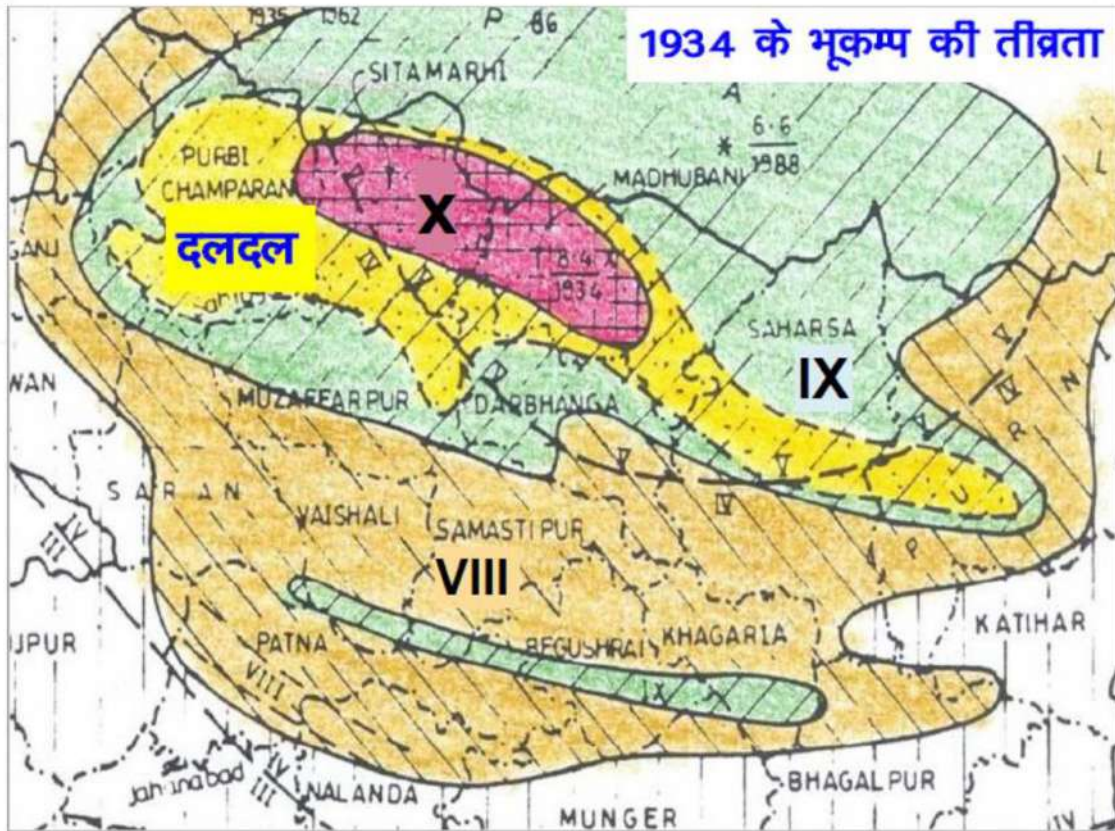
भूकम्प

जिला सहरसा भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील है एवं सिसमिक जोन चार व पाँच में आता है। इस जोन के अन्तर्गत निर्माण गतिविधियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तथा रेग्युलेटरी तंत्र को और अधिक उन्नत एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। हाल के वर्षों में देश-विदेश सभी स्तरों पर भूकम्प की घटनाओं में तेजी आयी है। ऐसे में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी न करने, निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी न होने, उपयुक्त तकनीकी दक्षता का अभाव तथा भूकम्प जोखिम के शमन उपायों पर आम जनता के बीच जागरूकता न होने आदि कारणों से पहले से ही नाजुक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों/समुदाय या फिर क्षेत्रों की सम्वेदनशीलता और भी बढ़ जाती है।

वर्ष 1934, 1988 एवं 2015 में सहरसा जिला में भूकम्प के तेज झटके महसूस किये गये थे। 1934 एवं 1988 के भूकम्प में हुए नुकसान को तो लोग नहीं याद कर पाये, परन्तु 2015 में आया भूकम्प सभी को याद था। यद्यपि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी, परन्तु लोगों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई दिनों तक अवश्य दिखा।

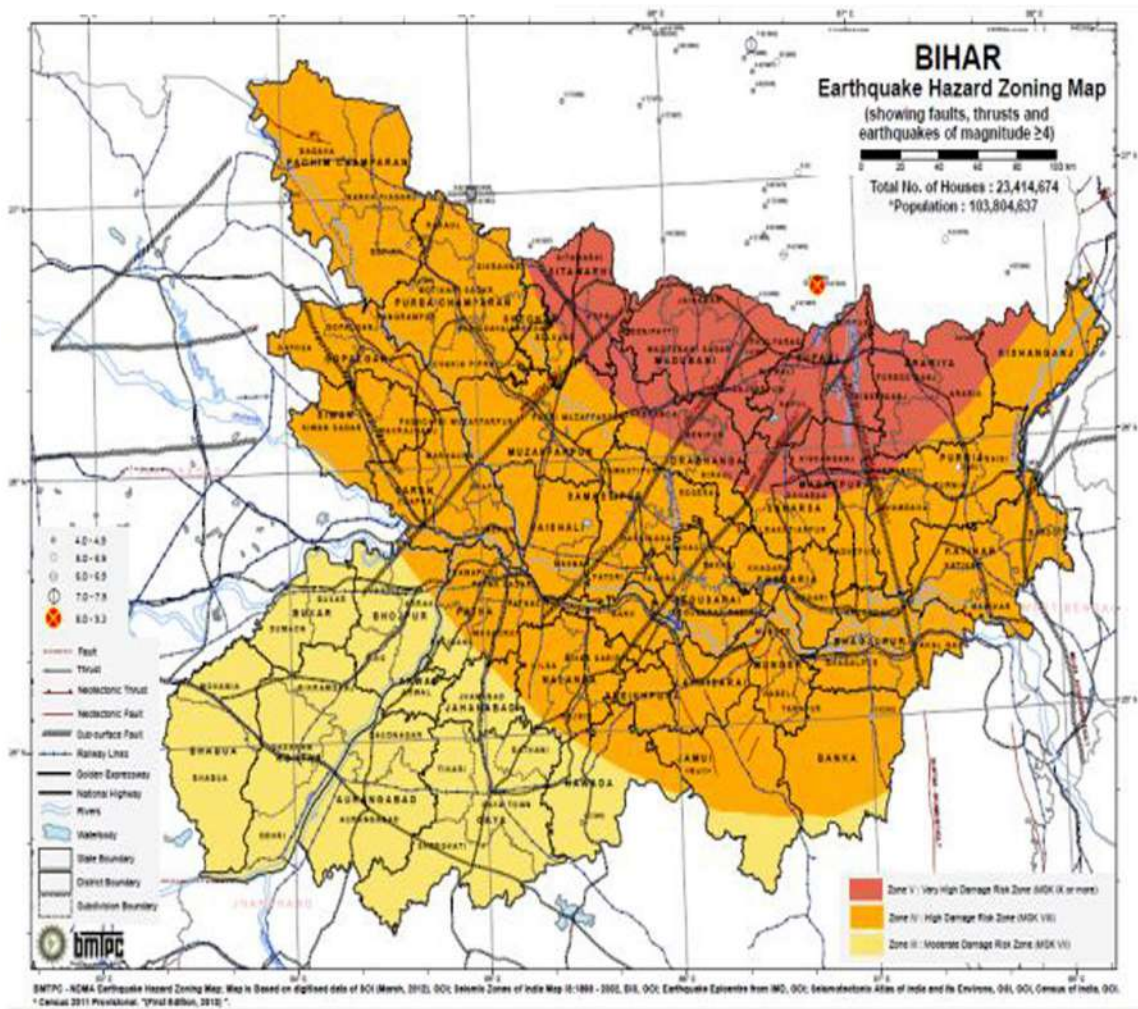
संलग्नक सं० 3 में जिले स्तर पर भूकम्प की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के भवनों की सम्वेदनशीलता का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। श्री ए०एस० आर्या ने 1934 में आये भूकम्प की तीव्रता से बिहार में हुए घरों के नुकसान का अध्ययन किया था। उसी अध्ययन पद्धति को आधार बनाकर जिला सहरसा में भूकम्प की संवेदनशीलता का विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2011 की भारतीय जनगणना के आधार पर प्रखण्डों में परिवारों की संख्या एवं घरों की बनावट के आंकड़ों के लेकर मानचित्र सं० 10 तैयार किया गया है। इस मानचित्र के आधार पर कहा जा सकता है कि भूकम्प की दृष्टि से नौहट्टा, महिषी, सत्तरकटैया एवं कहरा प्रखण्ड भूकम्प की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं।

मानचित्र संख्या- 12 : 1934 के भूकम्प से संबंधित आइसो-सिसमल मैप



बिहार राज्य के आठ जिले भारत के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के भूकंपीय क्षेत्र V में स्थित हैं। ये जिले हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज भूकंपीय क्षेत्र V में MSK तीव्रता IX या उच्चतर को संभावित माना जाता है। चौबीस जिले अर्थात् पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर और बांका को संभावित अधिकतम भूकंप के साथ भूकंपीय क्षेत्र IV में वर्गीकृत किया गया है तीव्रता, एमएसके आठवीं। राज्य के दक्षिण-पश्चिम कोने में केवल पांच जिले स्थित हैं भूकंपीय क्षेत्र III जहां अधिकतम संभावित तीव्रता MSK VII होने की संभावना है। बिहार का भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र चित्र 3 में दिखाया गया है। उल्लेखनीय है कि 1934 के बिहार-नेपाल भूकंप के दौरान एक अण्डाकार क्षेत्र 120 किमी पूर्व-पश्चिम और 30 किमी उत्तर-दक्षिण को तीव्रता MMX के आइसो-सेस्मल में रखा गया था 300 किमी पूर्व-पश्चिम और 120 किमी उत्तर-दक्षिण के अण्डाकार क्षेत्र से घिरा हुआ है जो नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र और मैदान का कवर करते हुए डड तीव्रता IX के आइसो-सीस्मल में रखा गया है।

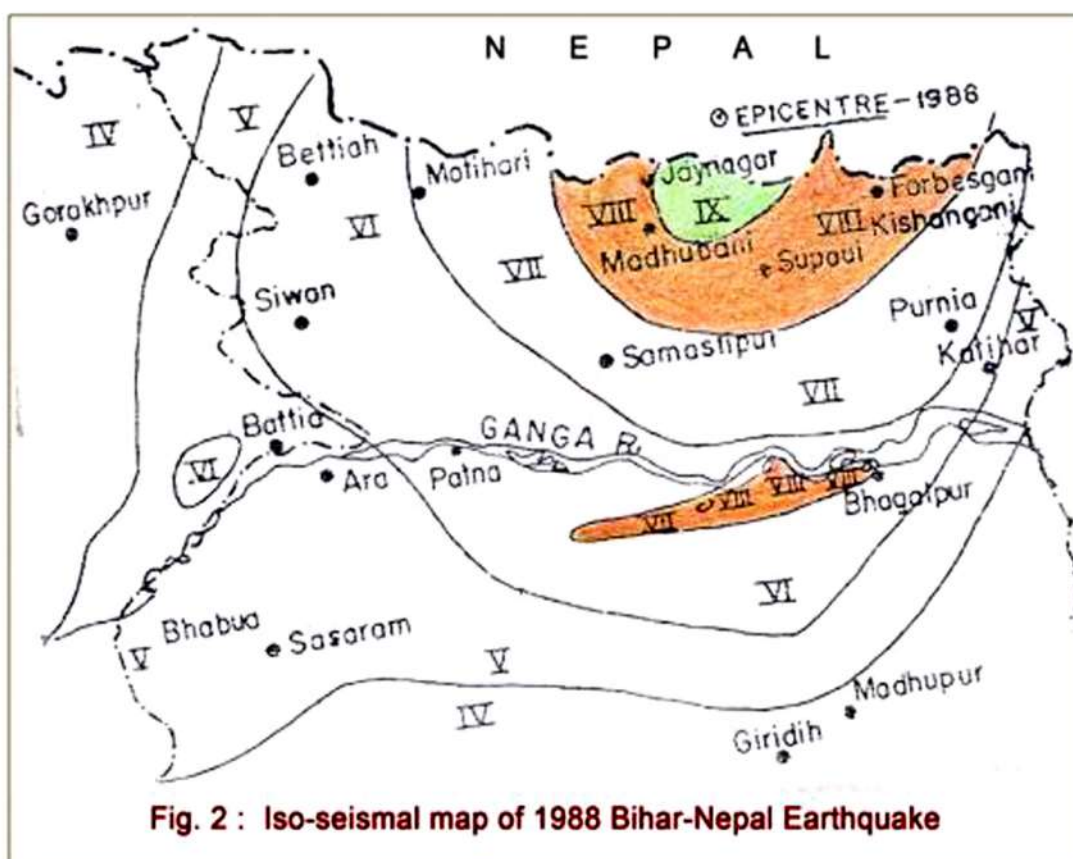
मानचित्र 12(ब) : Earthquake Hazard Zoning Map



तालिका 12 – : बिहार में काल्पनिक भूकंप के तहत क्षति विवरणी।

District	Block	Seismic Zone	District Factors	Number of census houses of different Types and their Vulnerability						Number of Houses under various Damage Grades				Estimated Damages			
				nA (H)	nB (M)	nC1 (L)	nC2 (L)	Type X (VL)	Total	NG5	NG4	NG3	NG2	Loss of Human Lives		Re-construction	Repairing
														Unfavourable	Favourable		
Saharsa		V & IV	R = 4.03	55,073	171,199	1,622	1,535	232,179	461,608	30,580	87,110	99,678	11,866	4,469	1,430	117,690	111,544
Naughatta		V	L = 0.31	1,264	8,768	135	100	33,747	44,014	1,509	4,724	3,941	94	231	74	6,232	4,035
Satar Kataiya		V	F = 0.32	5,458	18,822	152	78	12,958	37,468	4,611	10,799	9,008	92	615	197	15,410	9,100
Mahishi		V		2,139	9,746	70	68	36,505	48,528	2,044	5,422	4,502	55	289	92	7,466	4,557
Kahara		V		14,508	44,107	250	454	11,584	70,903	11,665	25,751	21,622	282	1,518	486	37,416	21,903
Saur Bazar		V		8,655	23,645	166	158	19,436	52,060	6,692	14,019	11,784	130	852	273	20,711	11,913
Patarghat		V		2,162	8,894	80	148	23,001	34,285	1,970	5,010	4,212	91	273	87	6,981	4,303
Sonbarsa		IV		1,406	15,406	105	112	38,546	55,575	141	2,595	11,682	2,579	75	24	2,736	14,261
Simri Bakhtiarpur		IV		12,299	26,913	231	263	26,652	66,358	1,230	11,916	21,157	5,330	390	125	13,145	26,486
Sakhuva		IV		3,665	7,786	243	97	18,520	30,311	367	3,527	6,148	1,698	116	37	3,894	7,846
Banma Itahari		IV		3,517	7,112	190	57	11,230	22,106	352	3,349	5,622	1,516	110	35	3,701	7,138

मानचित्र संख्या-13 : The 1988 Bihar-Nepal Earthquake



3.2 सम्बेदनशीलता एवं जोखिम विश्लेषण

जिले के अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत हैं जहां जनसंख्या का दबाव अधिकतम होने के साथ ही संसाधनों की कमी भी है। यद्यपि बहुआपदा के प्रभाव क्षेत्र के सभी वर्गों में दिखाई देते हैं किन्तु अविकसित क्षेत्रों, जहां मकान एवं सड़क, नालियां, बांध आदि कच्चे हैं, वहां इनके परिवर्तन के प्रभाव प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेते हैं जिसके दुष्परिणाम से पूर्व में किये गये विकास कार्य भी परिलक्षित नहीं हो पाते हैं। भारी वर्षा से ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समुदाय की बुनियादी सुविधाएं जैसे कृषि एवं आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित होती है। निम्न तालिका सं0 13 के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के संभावित समय, उससे प्रभावित होने वाले संसाधन, असुरक्षित सेक्टर एवं सम्बेदनशीलता वाले प्रभावित प्रखण्डों को दर्शाया गया है –

तालिका संख्या- 15 : बहु आपदा, सम्बेदनशीलता एवं जोखिम वाले क्षेत्र

आपदाओं का प्रकार	संभावित माह	प्रभावित वस्तु	असुरक्षित क्षेत्र
बाढ़	15 जून से 15 अक्टूबर	मानव, पशु, फसल, अन्य सम्पत्ति, मकान	- कृषि – फसल - आवागमन – सड़क एवं पक्का निर्माण - सम्पत्ति – कच्चा एवं पक्का मकान - पेयजल – हैण्डपम्प, कुआ, ट्यूबवेल - पशुधन – भैंस, गाय, बैल, बकरी आदि - सिंचाई – ट्यूबवेल, बिजली - शैक्षणिक संस्थान – प्राथमिक स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय - असुरक्षित आबादी – अपंग, वयोवृद्ध, गर्भवती महिला एवं बच्चे - असुरक्षित सम्पत्ति – बांध, बाग, फलदार वृक्ष
सूखा	15 जून से अक्टूबर	फसल, पशुधन एवं मानव की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा कच्चे एवं पक्के मकानों की क्षति, कोशी बराज, कटैया पावर प्लांट, जिले में अवस्थित सभी दूरभाष केन्द्र
भूकम्प	कोई निश्चित समय नहीं	मकान, पशुधन, मनुष्य की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा कच्चे एवं पक्के मकानों की क्षति, पुल-पुलिया, कोशी बांध, कोशी बराज, कटैया पावर प्लांट, जिले में अवस्थित सभी दूरभाष केन्द्र
अगलगी	अप्रैल, मई एवं मध्य जून	जन पशु एवं सम्पत्तियों का नुकसान	मानव सम्पत्ति (जान-माल) का नुकसान
ओला वृष्टि	जनवरी, फरवरी, मार्च	फसल, मनुष्य, मकान एवं सम्पत्ति	फसल, जान-माल एवं फूस के मकानों की क्षति
आंधी एवं तूफान	मार्च, अप्रैल, मई	फसल, सम्पत्ति, मनुष्य एवं पशुधन	फसल, सड़क, कच्चा एवं पक्का मकान, पशुधन, स्कूल एवं कालेज, संचार, विद्युत आपूर्ति एवं यातायात अपंग, वयोवृद्ध, बीमार, गर्भवती, महिला व बच्चे
शीतलहर	दिसम्बर एवं जनवरी	मनुष्य, पशुधन तथा फसल की क्षति	मनुष्य, पशुधन तथा फसल की क्षति
लू लगना	अप्रैल अन्तिम सप्ताह, पूरा मई एवं जून प्रथम सप्ताह	मानव क्षति	मानव
ठनका	अगस्त-सितम्बर मार्च-अप्रैल	मानव, पशुधन क्षति	मानव एवं पशुधन
सड़क दुर्घटना	पूरे वर्ष	मानव क्षति	मानव
नाव दुर्घटना	जून –सितम्बर	मानव क्षति	मानव
डूबने की घटनाएं	पूरे वर्ष	मानव क्षति	मानव
संक्रामक बीमारियां	जुलाई-नवम्बर	मानव एवं पशुधन क्षति	मानव विशेषकर छोटे बच्चे, जानवर

स्रोत : विभागीय आंकड़े एवं सामुदायिक बैठकें

भारत सरकार के बीएमटीपीसी संस्था द्वारा जारी सम्बेदनशीलता एटलस देश के विभिन्न जिलों की सम्बेदनशीलता एवं जोखिम का आकलन बाढ़, भूकम्प, आंधी-तूफान के सन्दर्भ में किया है। इसके अन्तर्गत घरों की बनावट, उसमें प्रयुक्त सामग्री एवं दीवाल, छत आदि के आधार पर उपरोक्त आपदाओं के आधार पर किया है। इसी रिपोर्ट के सन्दर्भ में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों व घरों की विशेषताओं के आधार पर जिले में घरों की सम्बेदनशीलता का विश्लेषण किया गया (संलग्नक 3) है।

आपदा के प्रभाव एवं समुदाय का सम्बेदनशीलता विश्लेषण

सहरसा जिला गांव से शहर बनने की तरफ अग्रसर जिला है। आस-पास के जिलों की अपेक्षा बाढ़ आपदा से अधिक सुरक्षित होने के कारण इस जिले के मूल निवासियों के अतिरिक्त आस-पास के जिलों से आकर बसने वाले लोगों की संख्या भी पर्याप्त है। जिले में जनसंख्या घनत्व के सापेक्ष संसाधनों की कमी प्रत्यक्ष तौर पर प्रदर्शित होती है। इस कारण यद्यपि आपदा का प्रभाव क्षेत्र के सभी वर्गों में दिखाई देता है किन्तु अविकसित क्षेत्रों, जहां मकान एवं सड़क, नालियां, बंधे आदि कच्चे हैं, वहां इनके परिवर्तन के प्रभाव प्राकृतिक आपदा का रूप ले लेते हैं जिसके दुष्परिणाम से पूर्व में किये गये विकास कार्य भी नहीं दिख पाते हैं। भारी वर्षा से ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समुदाय की बुनियादी सुविधाएं जैसे आजीविका पूर्ण रूप से प्रभावित होती है।

कृषि इस जनपद में निवास करने वाले समुदाय की मुख्य आजीविका है, परन्तु संसाधनों की कमी के कारण यह भी पूर्णतः जलवायु पर आधारित ही है। अनिश्चित वर्षा, जलजमाव, बाढ़, सूखा और ठनका जैसी प्राकृतिक आपदाएं जहां ग्रामीण स्तर पर वंचित समुदायों की आजीविका को असुरक्षित करती हैं, वहीं राज्य स्तर पर गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता व न्याय व्यवस्था जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को भी प्रभावित करते हैं। आपदा से प्रभावित समुदायों का संकट दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और वे वंचित से अति वंचित श्रेणी में शामिल होते जा रहे हैं।

इस आपदा योजना बनाने के दौरान क्षेत्र भ्रमण एवं समुदाय चर्चा करने के बाद बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में जिले की सम्बेदनशीलता एवं नाजुक क्षेत्रों का विश्लेषण दो परिदृश्यों के आधार पर किया गया —

जिला में बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र

प्रक्षेत्र भ्रमण तथा समुदाय के साथ की गयी बात-चीत के विश्लेषण के आधार पर निकल कर आया कि यद्यपि जिले में बहु आपदाओं का प्रकोप होता है, परन्तु बाढ़ यहां की मुख्य आपदा है, जिसका समुदाय एवं तंत्र दोनों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है (मानचित्र सं० 11)। अतः बाढ़ आपदा की संवेदनशीलता की दृष्टि से पूरे जिले को निम्नवत् क्षेत्रों में बांटकर उनकी सम्बेदनशीलता का आकलन कर सकते हैं —

■ दो तटबंधों के बीच स्थित ग्राम पंचायत/गाँव

सहरसा जिले के चार प्रखण्ड क्रमशः नौहट्टा, महिषी, सलखुआ व सिमरी बख्तियारपुर के 136 गांव ऐसे हैं जो कोसी के दो तटबंधों के बीच बसे हैं (संलग्नक 4)। बरसात के दिनों में तटबन्ध के बीच बसे ग्राम पंचायतों/गाँवों के डूबने की संभावना सर्वाधिक होती है। यहाँ के लोग 5-6 सप्ताहों के लिए कहीं किसी अस्थायी आश्रय में या फिर तटबंधों पर ही आकर शरण लेते हैं।

■ पूर्वी तटबंध से सटे ग्राम पंचायत/गाँव

उत्तर में नौहट्टा से लेकर दक्षिण में सलखुआ प्रखण्ड के जो गांव पूर्वी तटबन्ध के पूरब तरफ तटबन्ध से 1-2 किमी० की क्षेत्र में बसे हुए हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। प्रत्यक्ष या तात्कालिक तौर पर सामान्यतः ये गांव बाढ़ जोखिम से मुक्त रहते हैं, परन्तु जल-जमाव इन क्षेत्रों के लिए एक बड़ी समस्या होती है। साथ ही इन गांवों के सामने सबसे बड़ा जोखिम यह रहता है कि अगर तटबंध टूट गये तो उस स्थिति में ये गांव पूर्णतया बह जायेंगे। तटबंध के कमजोर होने या उनके खराब रखरखाव तथा नदी का प्रवाह बढ़ने की स्थिति में इन गाँवों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

● नीची भूमि में स्थित ग्राम पंचायत/गाँव

कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो नीची भूमि पर बसे हुए हैं। इस तरह के क्षेत्रों में सोनबरसा व बनमा ईटहरी प्रखण्ड प्रमुख हैं। सलखुआ व सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्डों के कुछ ग्राम पंचायत भी इस तीसरी श्रेणी में आते हैं। ऐसे पंचायतों या गाँवों में जल जमाव एक सामान्य स्थिति है। यहां जल जमाव महीनों तक रहता है। सड़कों में पर्याप्त कलवर्ट का अभाव या पुलों की कम चौड़ाई प्राकृतिक जल बहाव के रास्ते को बाधित करता है जिससे पानी महीनों तक ठहर जाता है। जल-जमाव की स्थिति से बचने हेतु पानी के प्राकृतिक बहाव के रास्ते को प्रबन्धित करना प्रमुख उपाय है।

तालिका 16 : समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों पर बाढ़ के कारण पड़ने वाले प्रभाव

प्रभावित होने वाले क्षेत्र/सेक्टर	मुख्य बिन्दु
आजीविका	- कोसी नदी के बार-बार कटान से खेती की जमीनों का कम होना। - तटबन्ध के अन्दर वाले गांवों में खरीफ की खेती बाढ़ से एवं रबी की खेती जल-जमाव से प्रभावित - तटबन्ध के बाहर वाले गांवों में जल-जमाव एक प्रमुख समस्या। - खेती में लागत का बढ़ जाना। - खरीफ की खेती नष्ट होने से खाद्य उपलब्धता प्रभावित। - आजीविका के अन्य स्रोतों की तलाश में पलायन एकमात्र विकल्प
पशुपालन	- चारागाहों का खत्म होना। - खेती की जमीनें कट जाने से चारा की समस्या। - पशुओं में नित नयी बीमारियों का प्रकोप - बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं का प्रबन्धन एक प्रमुख समस्या - आपदा के समय पशु शरणालयों की कमी एवं उचित व्यवस्था का न होना।
शौच	- चारों तरफ पानी भर जाने पर शौच के लिए स्थान न मिलना। - शौच के लिए महिलाओं को दूर तक चलना। - पानी में चलने व बैठने से संक्रामक बीमारियों का खतरा। - जहरीले कीड़े-मकोड़ों का डर। - उपरोक्त कारणों से महिलाएं सामान्यतः एक समय ही खाना खाती हैं।
ईंधन	- बाढ़ शरणालयों में जलौनी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण राशन होने पर भी खाना नहीं बन पाता है। - ईंधन की व्यवस्था करना मुख्य तौर पर महिलाओं की जिम्मेवारी होती है। बाढ़ के दौरान उन्हें सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने हेतु दूर तक जाना पड़ता है। - सामाजिक सुरक्षा खतरे में रहती है।
शिक्षा	- जिले के अधिकांश स्कूल निचली भूमि पर बने होने के कारण बाढ़ की चपेट में - उंचाई पर बने स्कूलों तक पहुंचने वाले रास्ते बाढ़ में डूबे रहते हैं, जिससे बच्चों के डूबने का खतरा बना रहता है। - इसके अतिरिक्त स्कूलों पर बाढ़ शरणस्थली के तौर पर प्रयोग करने से भी पढ़ाई बाधित होती है।
स्वास्थ्य	- पेयजल स्रोतों का पानी में डूब जाना। - दूषित पेयजल के सेवन से जलजनित बीमारियों का प्रकोप - साफ-सफाई के अभाव के कारण महिलाओं/किशोरियों में संक्रामक बीमारियां - त्वचा एवं पेट सम्बन्धी बीमारियों में वृद्धि - स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना।

3.3 क्षमता आकलन

विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु प्रशासन व समुदाय के पास उपलब्ध क्षमताओं का आकलन करने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखण्डों के चयनित ग्राम पंचायतों में समुदाय के साथ चर्चा की गयी। साथ ही जिले से लेकर प्रखण्ड स्तर तक के प्रशासनिक ढांचों के साथ समय-समय पर बैठकें की गयीं। चर्चा एवं उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह विदित होता है कि जिला के पास छोटे स्तर की आपदाओं से निपटने हेतु मानव एवं भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं। बाढ़ व अगलगी यहां की एक प्रमुख समस्या है और इन आपदाओं से आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन के पास उपलब्ध सामग्रियों/भौतिक एवं मानव संसाधनों की संख्या निम्नवत् तालिका सं0 15 में दी गयी है-

तालिका संख्या- 17 : जिले में उपलब्ध संसाधन

क्रमांक	विवरण/सामग्री	संख्या
1	वर्षामापी यंत्र	162
2	सरकारी नाव	09
3	निजी नाव	148
4	लाइफ जैकेट	210
5	पालीथीन शीट्स	26286
6	जी0पी0एस0 सेट	0
7	टेण्ट	157
8	महाजाल	02
9	इनफ्लेटेबल मोटरबोट	09
10	इनफ्लेटेबल लाइट	01
11	प्रशिक्षित गोताखोर (गृहरक्षक व सिपाही)*	09
12	प्रशिक्षित गोताखोर (समुदाय) *	30
13	प्रशिक्षित तैराकों की सूची (होमगार्ड्स)*	18
14	प्रशिक्षित तैराक (समुदाय) *	10
15	प्रशिक्षित नाव चालक*	10
16	खोज एवं बचाव दल*	09
17	हेलीकाप्टर उतरने हेतु प्रखण्डवार चयनित स्थल*	07
18	प्रखण्डवार आंगनबाड़ी केन्द्र से जुड़े बच्चे, गर्भवती व धात्री महिलाओं की सूची*	
19	भारी कुल्हाड़ी	02
20	रबर के दस्ताने (25000 वोल्ट तक के लिए परीक्षित)	01
21	क्रो बार	02
22	हेलमेट	03
23	पिक कुल्हाड़ी	02
24	कुल्हाड़ी	01
25	डोर ब्रेकर	01
26	सीलिंग हुक	01
27	हैण्ड टूल सेट	03
28	बी0ए0 सेट	02
29	रस्सी	04(50 व 20 मी0 के दो-दो टुकड़े)
30	होज/होज फिटिंग	26
31	एक्सटेंशन सीढ़ी	02
32	रस्सी की सीढ़ी	01
33	एबीसी टाइप	04
34	फायर टेण्डर	02
35	टर्न टेबल सीढ़ी	01
36	वाटर फिल्टर	01

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सहरसा

* विस्तृत सूची संलग्नक 5 में उपलब्ध है।

बाढ़ आपदा से निपटने हेतु त्वरित रिस्पान्स के लिए जिले स्तर पर 93 मानव शरणस्थली उपलब्ध हैं, जिनका प्रखण्डवार विवरण तालिका सं0 18 में दिया जा रहा है -

तालिका संख्या- 18 : बाढ़ आपदा के दौरान प्रखण्डवार मानव शरणस्थली*

क्रमांक	प्रखण्ड	शरणस्थली की संख्या
1	नवहट्टा	10
2	महिषी	04
3	सोनवर्षा	00
4	सौर बाजार	06
5	पतरघट	05
6	सतरकटैया	08
7	सिमरी बख्तियारपुर	09
8	सलखुआ	04
9	बनमा इटहरी	04
10	कहरा	06
	कुल	60

* विस्तृत सूची संलग्नक 6 में उपलब्ध है।

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सहरसा

उपरोक्त मानव शरणस्थलियों के अतिरिक्त बाढ़ आपदा के दौरान लोग पंचायत/क्षेत्र में स्थित उंचे स्थानों पर शरण लेते हैं। जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक अंचल में पंचायतवार उंचे स्थलों का चयन किया गया है, जिसे तालिका सं0 18 के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है।

बाढ़ आपदा के दौरान पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से निपटने हेतु पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों को चिन्हित किया गया है, जिसे तालिका सं0 19 के माध्यम से दर्शाया गया है—

तालिका संख्या- 19 : प्रखण्डवार पशु पालन विभाग के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधन*

क्रमांक	प्रखण्ड	पशु सेवा केन्द्र/चिकित्सालय की संख्या
1	कहरा	03
2	सतरकटैया	02
3	नौहट्टा	04
4	महिषी	05
5	सलखुआ	03
6	सिमरी बख्तियारपुर	04
7	सौर बाजार	04
8	सोनवर्षा	04
9	पतरघट	01
10	बनमा इटहरी	03
	कुल	33

* सम्बन्धित विस्तृत विवरण संलग्नक 9 में उपलब्ध है।

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सहरसा

तालिका संख्या- 20 : सुखाड आपदा से निपटने हेतु प्रखण्डवार पशु शरणस्थली *

क्रमांक	प्रखण्ड	शरणस्थली की संख्या
1	कहरा	03
2	सतरकटैया	03
3	सौर बाजार	03
4	नौहट्टा	03
5	महिषी	03
6	सोनवर्षा	03
7	पतरघट	03
8	सिमरी बख्तियारपुर	03
9	सलखुआ	03
10	बनमा इटहरी	03
	कुल	30

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सहरसा

* दोनो तालिकाओं से सम्बन्धित विस्तृत सूची संलग्नक 8 में उपलब्ध है।

बाढ़ अथवा सुखाड़ आपदा के दौरान खाद्य संकट से निपटने हेतु जिला प्रशासन सहरसा के अन्तर्गत खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोदामों/चिन्हित स्थलों की सूची को निम्न तालिका सं0 21 के माध्यम से दर्शाया गया है –

तालिका संख्या 21 : खाद्यान्न भंडारण हेतु गोदामों / चिन्हित स्थलों की सूची

क्रम	TPDS गोदाम का नाम	आच्छादित प्रखंड	गोदामों का भंडारण क्षमता
1	कहरा निगम गोदाम	कहरा	500 एम0टी०
2	सत्तरकटैया निगम गोदाम	सत्तरकटैया	500 एम0टी०
3	नवहट्टा निगम गोदाम	नवहट्टा	500 एम0टी०
4	सौरबाजार निगम गोदाम	सौरबाजार	1000 एम0टी०
5	सोनवर्षा निगम गोदाम	सोनवर्षा	1000 एम0टी०
6	पतरघट निगम गोदाम	पतरघट	500 एम0टी०
7	सिमरी बख्तियारपुर निगम गोदाम	सिमरी बख्तियारपुर	1000 एम0टी०
8	सलखुआ निगम गोदाम	सलखुआ एवं बनमा ईटहरी	1000 एम0टी०
9	महिषी निगम गोदाम	महिषी	1000 एम0टी०
कुल			7000 एम०टी०

स्रोत : खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सहरसा

बाढ़ एवं सुखाड़ आपदाओं के दौरान पेयजल तथा शौच सम्बन्धी समस्याओं से निपटने हेतु जिला के अन्दर अंचलवार उपलब्ध पेयजल स्रोतों व शौचालयों की संख्या का विवरण तालिका सं0 22 के माध्यम से प्रदर्शित है –

तालिका सं0 22 : अंचलवार पेयजल स्रोतों व सार्वजनिक शौचालयों की सूची

अंचल	हैण्डपम्पों की सं0	ट्यूबवेलों की सं0	सार्वजनिक शौचालयों की सं0	अन्य संसाधन
कहरा	2345	—	2	5 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 2 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
सत्तरकटैया	2360	—	—	6 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
नवहट्टा	2868	—	—	5 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
महिषी	3412	—	1	7 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
सौर बाजार	2515	—	5	7 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
पतरघट	1484	—	—	5 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
सोनवर्षा	3456	—	1	7 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
सलखुआ	1755	—	4	4 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
बनमा इटहरी	1168	—	—	4 अदद मिनी जलापूर्ति योजना एवं 1 अदद ग्रामीण जलापूर्ति योजना
सिमरी बख्तियारपुर	3432	—	1	9 अदद मिनी जलापूर्ति योजना

स्रोत : लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग, सहरसा

बाढ़, भूकम्प, अगलगी एवं अन्य आपदाओं के दौरान व बाद में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं विशेष रूप से उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं से निपटने हेतु जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का विवरण निम्नवत् तालिका सं0 23 में दिया गया है—

तालिका संख्या- 23 : सहरसा जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं*

क्रमांक	स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण	संख्या
1	उप स्वास्थ्य केन्द्र	152
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	10
3	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	15
4	उप जिला अस्पताल	01
5	जिला अस्पताल	01
6	ब्लड बैंक	01
7	एड्स कण्ट्रोल सोसायटी	01
8	निजी चिकित्सक	65
9	सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध पदाधिकारी	19
10	मोबाइल चिकित्सा केन्द्र	54
	कुल योग	312

स्रोत : स्वास्थ्य विभाग, सहरसा

*विस्तृत विवरण संलग्नक 10 में दिया गया है।

सहरसा जिला में अगलगी आपदा से बचाव हेतु भी पर्याप्त संसाधन दिये गये हैं। जिले के अन्दर अग्निशमन विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों का विवरण संलग्नक 11 में दिया गया है।

जिले में कुल 18 पुलिस थानों के माध्यम से आपदा के पूर्व, दौरान एवं बाद में जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने, आपदा के दौरान सामाजिक सुरक्षा को यथावत् बनाने तथा सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यों को सम्पादित किया जाता है। पुलिस थानों से सम्बन्धित विवरण निम्न तालिका सं0 24 के माध्यम से प्रदर्शित है –

तालिका संख्या- 24 : जिला में पुलिस थाना

पुलिस थाना	संख्या
सहरसा, कचहरी चौक, महिषी, सौर बाजार, सिमरी बख्तियारपुर, सोनबरसा, बिहटा, बनगांव, रजहनपुर, पतरघट, जलई, नौहट्टा, बसनही, कासनगर, कनरिया, बनमा ईटहरी, चिड़ैया, बलवा हाट,	18

स्रोत : जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सहरसा

सहरसा के शहरी क्षेत्र में मौजूद तालाबों को तालिका सं0 25 के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है –

तालिका संख्या 25 : सहरसा के शहरी क्षेत्र के तालाबों की सूची

क्रमांक	विवरण
1	रंकर चौक, ठाकुरबाड़ी मंदिर पोखर, वार्ड नं0 10
2	मसोम्मात पोखर, बटराहा, वार्ड नं0 22
3	रामजानकी ठाकुरबाड़ी पोखर, पूरब बाजार
4	माना साह पोखर भेड़घड़ी, वार्ड नं0 37
5	कहरा कुटी पोखर, वार्ड नं0 6
6	कहरा नाथ सीगन पोखर, वार्ड नं0 6
7	नरियार पोखर
8	बैंगहा पोखर
9	पासवान टोला पोखर, सराही, वार्ड नं0 3
10	सहरसा बस्ती पोखर, वार्ड नं0 38
11	झपड़ा टोला, पोखर वार्ड नं0 39
12	खदियाही पोखर, कृष्णानगर
13	सर्वा ढाला, पोखर
14	नन्दन सिंह पोखर, वार्ड नं0 8
15	गांधी पथ पोखर, वार्ड नं0 8

The map displays the following locations and landmarks:

- Towns and Villages:** Saharsa, Barhiya Basti, Bihari Kirana, Barhiya Basti, Tola Mahavi, Barhiya Basti, Ravidas, Tola Mahavi, Barhiya Basti, Ravidas, Tola Mahavi.
- Educational Institutions:** Saharsa College, Saharsa College of Engineering, Saharsa College of Nursing, Saharsa College of Management, Saharsa College of Agriculture, Saharsa College of Veterinary Science, Saharsa College of Fisheries, Saharsa College of Forestry, Saharsa College of Horticulture, Saharsa College of Home Science, Saharsa College of Industrial Technology, Saharsa College of Information Technology, Saharsa College of Journalism and Mass Communication, Saharsa College of Law, Saharsa College of Medicine, Saharsa College of Pharmacy, Saharsa College of Social Work, Saharsa College of Teacher Education, Saharsa College of Tourism, Saharsa College of Visual Arts, Saharsa College of Music, Saharsa College of Dance, Saharsa College of Sports, Saharsa College of Physical Education, Saharsa College of Health Sciences, Saharsa College of Environmental Studies, Saharsa College of International Relations, Saharsa College of Peace Studies, Saharsa College of Human Rights, Saharsa College of Gender Studies, Saharsa College of Disability Studies, Saharsa College of Aging Studies, Saharsa College of Family Studies, Saharsa College of Community Development, Saharsa College of Urban Planning, Saharsa College of Landscape Architecture, Saharsa College of Interior Design, Saharsa College of Fashion Design, Saharsa College of Graphic Design, Saharsa College of Animation, Saharsa College of Game Design, Saharsa College of Web Design, Saharsa College of Mobile App Development, Saharsa College of Data Science, Saharsa College of Artificial Intelligence, Saharsa College of Cybersecurity, Saharsa College of Cloud Computing, Saharsa College of Big Data Analytics, Saharsa College of Blockchain Technology, Saharsa College of Internet of Things, Saharsa College of Robotics, Saharsa College of Nanotechnology, Saharsa College of Biotechnology, Saharsa College of Space Technology, Saharsa College of Aeronautics, Saharsa College of Astronautics, Saharsa College of Aerospace Engineering, Saharsa College of Marine Engineering, Saharsa College of Naval Architecture, Saharsa College of Shipbuilding, Saharsa College of Aircraft Maintenance, Saharsa College of Aviation Management, Saharsa College of Airport Management, Saharsa College of Air Traffic Control, Saharsa College of Flight Simulation, Saharsa College of Pilot Training, Saharsa College of Cabin Crew Training, Saharsa College of Ground Staff Training, Saharsa College of Baggage Handling, Saharsa College of Security Services, Saharsa College of Customs Clearance, Saharsa College of Immigration Services, Saharsa College of Border Patrol, Saharsa College of Coast Guard, Saharsa College of Maritime Security, Saharsa College of Port Operations, Saharsa College of Shipping Lines, Saharsa College of Freight Forwarding, Saharsa College of Logistics Management, Saharsa College of Supply Chain Management, Saharsa College of Procurement Management, Saharsa College of Contract Management, Saharsa College of Project Management, Saharsa College of Quality Management, Saharsa College of Risk Management, Saharsa College of Compliance Management, Saharsa College of Internal Audit, Saharsa College of External Audit, Saharsa College of Taxation, Saharsa College of Finance, Saharsa College of Accounting, Saharsa College of Banking, Saharsa College of Insurance, Saharsa College of Real Estate, Saharsa College of Investment Management, Saharsa College of Wealth Management, Saharsa College of Financial Planning, Saharsa College of Retirement Planning, Saharsa College of Estate Planning, Saharsa College of Trust Administration, Saharsa College of Probate Administration, Saharsa College of Will Drafting, Saharsa College of Mediation, Saharsa College of Arbitration, Saharsa College of Dispute Resolution, Saharsa College of Alternative Dispute Resolution, Saharsa College of Conflict Resolution, Saharsa College of Negotiation, Saharsa College of Persuasion, Saharsa College of Influence, Saharsa College of Leadership, Saharsa College of Management, Saharsa College of Organization, Saharsa College of Supervision, Saharsa College of Coordination, Saharsa College of Collaboration, Saharsa College of Teamwork, Saharsa College of Synergy, Saharsa College of Partnership, Saharsa College of Alliance, Saharsa College of Consortium, Saharsa College of Joint Venture, Saharsa College of Strategic Alliance, Saharsa College of Business Development, Saharsa College of Marketing, Saharsa College of Sales, Saharsa College of Distribution, Saharsa College of Retail, Saharsa College of Wholesale, Saharsa College of Import-Export, Saharsa College of Trade, Saharsa College of Commerce, Saharsa College of Industry, Saharsa College of Manufacturing, Saharsa College of Production, Saharsa College of Operation, Saharsa College of Maintenance, Saharsa College of Repair, Saharsa College of Replacement, Saharsa College of Upgrade, Saharsa College of Modernization, Saharsa College of Renovation, Saharsa College of Restoration, Saharsa College of Reconstruction, Saharsa College of Rebuilding, Saharsa College of Redevelopment, Saharsa College of Regeneration, Saharsa College of Rehabilitation, Saharsa College of Revitalization, Saharsa College of Renewal, Saharsa College of Refreshment, Saharsa College of Refinement, Saharsa College of Rectification, Saharsa College of Rectitude, Saharsa College of Rectification, Saharsa College of Rectitude, Saharsa College of Rectification, Saharsa College of Rectitude.

[illegible]

सहरसा जिला में नई सड़के घनी आबादी के बीच से गुजरती है, हाल के दिनों में इन सड़को पर दुर्घटनाएँ काफी बढ़ी हैं। सहरसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग तथा मुख्य जिला सड़क में काफी वृद्धि की गई है। सहरसा जिले में अंचलवार सड़को पर सड़क दुर्घटना होती है जो निम्न प्रकार है:—

क्र.सं.	अंचल	सड़क	Black Sport	कारण
1	कहरा	मधेपुरा से सहरसा होते हुये सुपौल एवं महिषी जाने वाली मुख्य सड़क	1. बरियाहीं चौक 2. कहरा कुटी मोड़ 3. पुलिस लाईन मोड़	संकीर्ण मोड़ भीड़भाड़ वाला क्षेत्र संकीर्ण मोड़/Blind turn
2	सिमरी बख्तियारपुर	1. सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर जाने वाली मुख्य सड़क 2. सोनवर्षा से सिमरी बख्तियारपुर जाने वाली मुख्य सड़क	1. दिवारी स्थान मोड़ 2. सुलिन्दाबा, 3. हुसैन चौक	सड़क एवं Flank की चौड़ाई कम होने के कारण
3	महिषी	सहरसा से दरभंगा जाने वाली मुख्य सड़क	1. गोरहो चौक 2. बलुआहा मोड़ 3. 17 नं० सड़क (गंडौल चौक)	Sharp turn Over Speeding एवं पुल/पुलिया का Approach path असमतल होने के कारण
4	सलखुआ	सिमरी बख्तियारपुर से सलखुआ तक जाने वाली मुख्य सड़क	रेलवे फाटक पर (फेनसाहा)	रेलवे फाटक पर संकीर्ण मोड़ होने के कारण
5	सौरबाजार	बैजनाथपुर चौक से सोनवर्षा होते हुये डुमरी पुल तक जाने वाली मुख्य सड़क	डुमरी पुल पर	संकीर्ण पुल होने के कारण
6	नवहट्टा	राजनपुर से कर्णपुर होते हुये सुपौल जाने वाली मुख्य सड़क	कर्णपुर चौक	संकीर्ण मोड़ होने के कारण
7	बनमा ईटहरी	रसलपुर से खुरेसान जाने वाली मुख्य सड़क	खुरेसान चौक	संकीर्ण मोड़ होने के कारण
8	सोनवर्षा	मैना से लगमा एवं NH-107 जाने वाली मुख्य सड़क	लगमा चौक	संकीर्ण मोड़ होने के कारण
9	सत्तर कटैया	सहरसा से सुपौल जाने वाली मुख्य सड़क	अगुवानपुर चौक	काफी घुमावदार सड़क होने के कारण

BLOCK RURAL ROAD PLAN FOR SIMRIBAKHTIARPUR BLOCK, SAHARSA DISTRICT

Legend

- District HQ
- SCHOOL
- ⊗ Sub-Divisional Headquarters
- QS Quarry Site
- ⊙ Rural Centre
- ≡ Gross Drainage
- ⊕ Health Services
- Block HQ
- Market Centre
- Population > 1000
- Population 500 - 999
- Population < 500
- ~~~~~ Rainfed
- ~~~~~ Canal
- ==== National Highway
- ==== State Road
- ALL-Weather Rural Road
- Fair-Weather Rural Road
- PMGSY Road
- Candidate Road
- ~~~~~ Rivulet
- ~~~~~ Lake / Water Body
- Block Boundary
- Town Boundary
- State Boundary

Handwritten Notes:

- (1) To 3 to Khasra Boushah
- (2) Lot 1 to Ramnagar
- (3) Shambhu Koshi Boush to Chirga OP near Dhamphara village.
- (4) Telahi to Manjwa
- (5) Koshi Boush to Paswan Tola.

Signatures and Dates:

AE: *[Signature]* 05/09/22

EE: *[Signature]* 05-09-2022

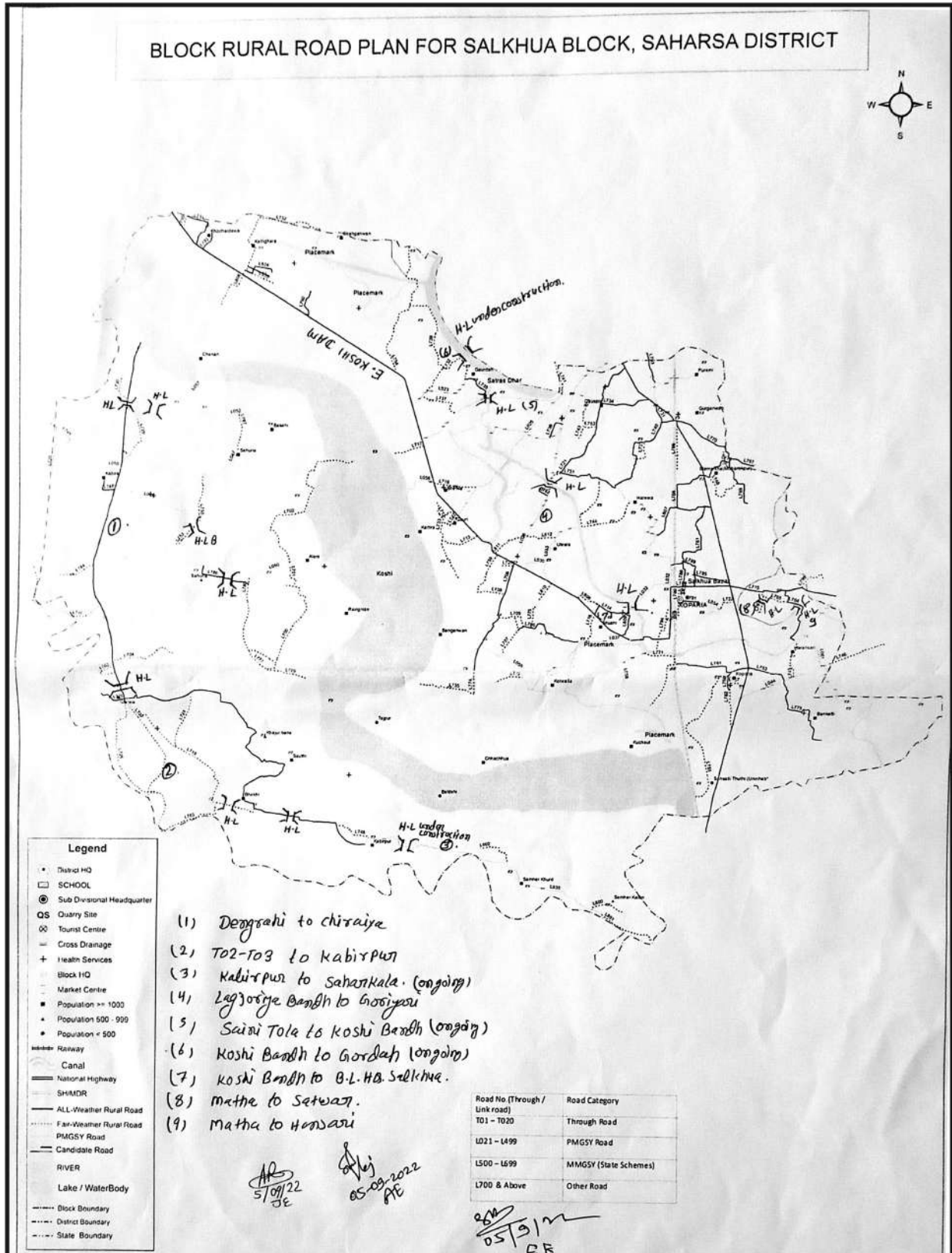
Scale: R.F. - 1:50,000

Scale Bar: 0 1.25 2.5 5 7.5 10 Kilometers

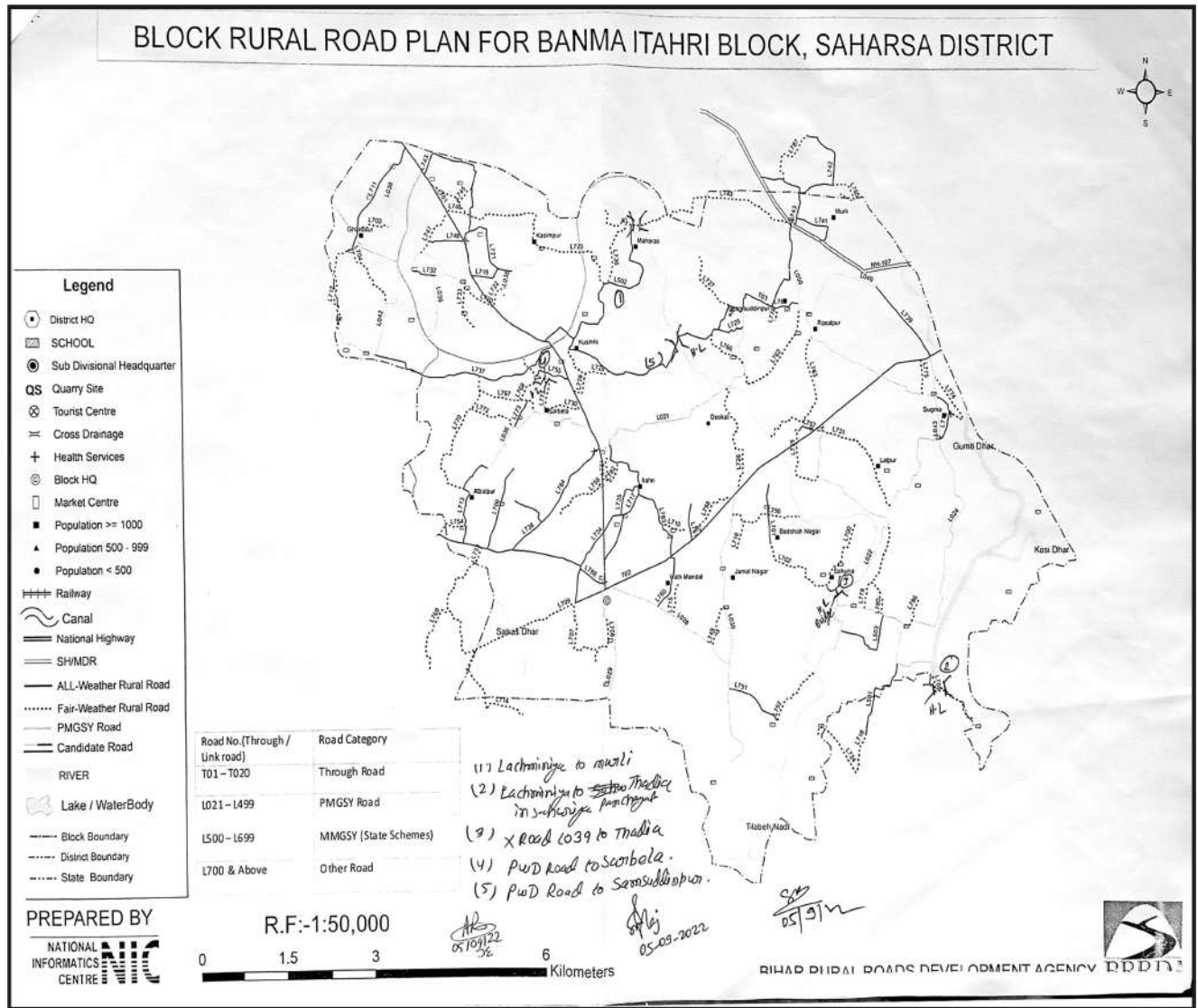
Prepared By: NATIONAL INFRASTRUCTURE CENTRE

BRDA BIHAR RURAL ROADS DEVELOPMENT AGENCY

मानचित्र-17 : सहरसा जिला अन्तर्गत प्रखंड ग्रामीण सड़क योजना सलखुआ मानचित्र।



मानचित्र-18 : सहरसा जिला अन्तर्गत प्रखंड ग्रामीण सड़क योजना बनमा ईटहरी मानचित्र।



अध्याय : 4

संस्थागत व्यवस्था (Institutional Arrangement)

आपदा प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद तीनों स्तरों पर क्रियान्वित करने के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संस्थागत व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर आपदाओं के प्रबन्धन हेतु भी कुछ संस्थाएं क्रियाशील हैं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनने के साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) का गठन हुआ। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का दृष्टिकोण सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी आधारित और टिकाऊ रणनीति से “सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत” का निर्माण करना तथा रोक-थाम, तैयारी और न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में आपदा प्रबन्धन के महत्व को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के विकास के लिए भारत सरकार ने अगस्त 1999 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया और गुजरात में आये भूकम्प के बाद राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इसका उद्देश्य आपदा योजनाओं तथा आपदा को कम करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित करने की सिफारिश करना था।

आपदा रिस्पांस, राहत, शमन एवं पुनर्प्राप्ति के लिए जिले में सुस्थापित संस्थागत एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत है। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं। जिले में आपदा प्रबन्धन हेतु प्रमुख हितधारक— जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, जिला इमरजेंसी आपरेशन सेण्टर, लाइन डिपार्टमेण्ट्स, स्थानीय प्रशासन, स्वैच्छिक एवं सामुदायिक संगठन, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत निजी संगठन एवं समुदाय इत्यादि हैं।

4.1 जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार जिले में “जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण” का गठन किया गया है, जिसके निम्न सदस्य हैं

(i) जिला पदाधिकारी/जिला समाहर्ता	—	पदेन अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष जिला परिषद	—	सह-अध्यक्ष
(iii) पुलिस अधीक्षक	—	पदेन सदस्य
(iv) मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	—	पदेन सदस्य
(v) उप विकास आयुक्त	—	पदेन सदस्य
(vi) अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य)	—	पदेन सदस्य
(vii) जिला के वरीयतम अभियंता	—	पदेन सदस्य

अपर समाहर्ता (प्रभारी साहाय्य कार्य) जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान एवं समय पर होती है। योजना में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां एवं कार्यों का उल्लेख (संलग्नक 12) में किया गया है।

4.2 पंचायती राज संस्थाएं

जिले में जिला परिषद एक स्थानीय सरकारी निकाय है, जो जिले के अन्दर ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन से सम्बन्धित मामले देखता है और इसका मुख्यालय जिला में है।

पंचायती राज संस्था के जिला, प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में “सुरक्षित गांव” के घटक के अन्तर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबन्धन योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपदा की स्थानीय प्रकृति एवं उसके अनुरूप राहत एवं बचाव कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने हेतु इन पंचायत प्रतिनिधियों विशेषकर मुखिया/सरपंच की क्षमता वर्धन होना आवश्यक है। इस दिशा में पहल करते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में मुखिया/सरपंचों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन के उपर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया। इसी क्रम में सहरसा जिला में कुल 20 मुखिया एवं सरपंचों (संलग्नक 13) को

उपरोक्त विषय पर मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उल्लेखनीय होगा कि पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और उनका स्थानीय समुदाय पर विशिष्ट प्रभाव भी होता है। पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा प्रबन्धन के विषयों पर जागरूक एवं क्षमतावान बनाने से स्थानीय समुदाय पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा और आपदा प्रबन्धन की दिशा में प्रभावी कार्य किये जा सकेंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि आपदा से प्रभावित होने वाले समुदाय की सम्बेदनशीलता को समझने तथा उसके अनुरूप प्रभावी प्रबन्धन करने की दिशा में ग्राम सभा एवं पंचायत प्रतिनिधियों का जागरूक होना आवश्यक है।

जिले में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संगठन के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित निम्न समितियाँ/दल हो सकते हैं –

- ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति
- ग्राम पंचायत शिक्षा समिति
- ग्राम पंचायत स्वास्थ्य समिति
- ग्राम पंचायत पशुधन प्रबन्धन समिति
- ग्राम पंचायत शरणस्थल समिति
- ग्राम पंचायत खोज एवं बचाव समिति
- ग्राम पंचायत खाद्य एवं पोषाहार समिति
- ग्राम पंचायत सामाजिक संरक्षण समिति

पंचायतीराज संगठन द्वारा रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्प्राप्ति हेतु किये जाने वाले कार्य

- आपदा प्रबन्धन समिति का गठन करना।
- आपदा एवं उससे बचाव के उपायों पर समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
- स्थानीय स्तर पर आपदाओं की पहचान करना एवं उसके अनुरूप ग्राम आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाना।
- आपदा दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों से समुदाय को बाहर निकालने में सहयोग करना।
- आपदा के बाद विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित करने में सहयोग करना।
- ग्राम्य स्तर पर विकास कार्यों में आपदा प्रबन्धन के तत्वों को शामिल करना।

4.3 सामुदायिक संगठन

समुदाय आधारित संगठन/स्वैच्छिक आपदा प्रबन्धन की दिशा में सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों के सफल क्रियान्वयन में सेतु का काम करते हैं। साथ ही रिस्पान्स के दौरान वास्तविक प्रभावितों तक सरकार की पहुँच बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वैच्छिक संगठनों का समुदाय के साथ सीधा संवाद होता है। अतः आपदा प्रबन्धन के उपायों को जनता तक पहुँचाने एवं उन्हें जागरूक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आपदा पूर्व रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के चरण के अन्तर्गत विभिन्न माध्यमों से समुदाय का क्षमतावर्धन कार्य ये समुदाय आधारित संगठन/स्वैच्छिक संगठन बखूबी करते हैं और कर सकते हैं। आपदा के दौरान के चरणों में सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्यों/सामग्रियों को पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव सुनिश्चित कर सकते हैं।

स्वैच्छिक संगठनों के अन्य कार्यों में अस्पताल में सेवाएं देना, ब्लड बैंक संचालित करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, मातृत्व, बाल एवं परिवार कल्याण, नर्सिंग, छुआछूत एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव व रोक-थाम के उपाय, अगलगी, सड़क दुर्घटना आदि के वक्त राहत अभियान चलाने में मदद करना भी शामिल है।

जिले में आपदा प्रबन्धन की दिशा जमीनी स्तर पर समुदाय के साथ जुड़कर काम करने वाली कुछ स्वैच्छिक संगठनों की सूची (संलग्नक 14) में दी गयी है।

4.4 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर

समाहरणालय में इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर स्थापित है। इसके प्रभारी अपर समाहर्ता आपदा हैं। यह केन्द्र 24X7, तीन पालियों में प्रातः 06:00 से दोपहर 02:00 तक, दोपहर 02:00 बजे रात्रि 10:00 बजे तक एवं रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक काम करता है। प्रत्येक पाली में एक प्रशासनिक पदाधिकारी प्रभार में रहते हैं, जिनके अधीनस्थ आई0टी0 ब्याय, डेटा इण्ट्री ऑपरेटर एवं प्रोग्राम प्रोफेशनल रहते हैं, जो राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग, इसरो, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आदि संस्थाओं से जानकारीयां प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करते हैं।

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक सुविधायें

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर के कार्यालय में निर्वाध विद्युत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट, टेलीविजन, कम्प्यूटर, अधिकारियों/कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक सामग्री, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेशनरी, डिस्प्ले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्ट्री इत्यादि सुविधायें हैं।

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को सुचारु रूप से चलाने के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्न सामग्रियों/उपस्कर की न्यूनतम आवश्यकता होनी आवश्यक है (तालिका सं0 26) जो इस जिला के इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर को प्रभावी बनाने हेतु उपलब्ध है।

तालिका संख्या— 26 : इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर हेतु आवश्यक संसाधन

क्रमांक	सामग्री का नाम	संख्या
1	डेस्कटाप कम्प्यूटर	02
2	मेज	04
3	रिवाल्विंग कुर्सी	04
4	कार्यालय के लिए अतिरिक्त कुर्सी	04
5	ई0ओ0सी0 ईचार्ज के लिए मेज	01
6	ई0ओ0सी0 ईचार्ज के लिए रिवाल्विंग कुर्सी	01
7	आगन्तुकों के लिए कुर्सी	04
8	12 लोगों के लिए बैठक करने हेतु मेज	01
9	बैठक मेज हेतु 12 रिवाल्विंग कुर्सी	12
10	बैठक हाल के लिए अतिरिक्त कुर्सी	10
11	लेजरजेट प्रिण्टर	02
12	बैठक हाल के लिए प्रोजेक्टर	01
13	32 इंची एल0ई0डी0 टी0वी	01
14	फोटोस्टेट मशीन	01
15	अलग टेलीफोन नं0 सहित फैक्स मशीन	01
16	इण्टरनेट कनेक्शन के साथ लैण्डलाइन टेलीफोन	01
17	सभी 38 जिला इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों में मल्टीपार्टी आडियो व वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली	01
18	टेलीफोन सेट	02
19	टीवी के लिए केबल कनेक्शन	01
20	आलमारी	02
21	यू0पी0एस0	01
22	ए0सी0 (1.5 टन का)	03
23	स्टेशनरी (आवश्यकतानुसार)	
24	स्कैनर	01
25	पंखा	05
26	ट्यूबलाइट	03
27	एल0ई0डी0 बल्ब	10

स्रोत : अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्रांक सं0 1982 दिनांक 10.7.2017

आपदा के विभिन्न चरणों में इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर की भूमिका
इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दो भागों में बांटकर देख सकते हैं –

सामान्य समय में –

- समस्त सहयोगी विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुये आपदा न्यूनीकरण हेतु आवश्यक आंकड़ों का नियमित रूप से एकत्रीकरण करना, डिजिटाइजेशन करना।
- आंकड़ों को आई0डी0आर0एन0/एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अद्यतन कराने में एन0आई0सी0 को सहयोग करना।
- समस्त हितभागियों (विभागों, स्वैच्छिक संगठनों, निजी एजेंसियों) के साथ समन्वय स्थापित कर समय-समय पर बैठकें आयोजित करना ताकि उनकी भूमिका एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- जिला पदाधिकारी/आपदा प्रभारी के निर्देशन में प्रोग्राम प्रोफेशनल द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी के उपायों को करना सुनिश्चित करना।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना।
- सुनिश्चित करना कि आपदा के दौरान प्रयोग में आने वाले सभी आवश्यक यंत्र/उपकरण चालू अवस्था में हों।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वयन।

आपातकालीन समय में

इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी के निम्न कार्यों को करेंगे –

- आपदा के दौरान सातों दिन, 24 घण्टे क्रियाशील रहना।
- आपदा के दौरान रिस्पान्स के सभी पहलुओं को क्रियान्वित करना। प्रत्येक दो घण्टे पर स्थितियों की जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/नोडल से सूचना प्राप्त कर सूचना रजिस्टर में दर्ज करना व बुलेटिन जारी करना।

 **बाढ़/अतिवृष्टि** आपदाकाल के दौरान निम्न सूचनायें, प्रत्येक दिवस प्रातः 08:00 बजे एवं सायंकाल 04:00 बजे दर्ज करेंगे तथा प्रभारी इओसी से सत्यापित करायेंगे–

- केन्द्रीय जल आयोग से नदियों के जल स्तर (बढ़ाव/घटाव/स्थिर) की अद्यतन जानकारी।
- प्रत्येक अंचल से तथा मौसम विभाग द्वारा वर्षा से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी
- प्रत्येक अंचल से बाढ़ के कारण हुये क्षति (मानव/पशु/भौतिक) का विवरण।
- प्रत्येक अंचल में वितरित की गयी राहत धनराशि का पूर्ण विवरण।
- प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे जिला जनसंपर्क अधिकारी एवं अपर समाहर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित बाढ़ बुलेटिन जारी किया जाना।
- संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।
- त्वरित रिस्पान्स करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- इस जिला में इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर सक्रिय रूप से कार्यरत है।
- राज्य इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर, आई0एम0डी0, केन्द्रीय जल आयोग आदि पूर्व चेतावनी जारी करने वाली संस्थाओं के सहयोग से सही समय पर चेतावनी जारी करना। चेतावनी निम्नलिखित संस्थाओं/अधिकारियों को त्वरित संचार तकनीकों के माध्यम जारी की जायेगी –
 - आवश्यक सहायता कार्य (जिले में गठित सभी कोषांगों के नोडल एवं सहयोगी विभागों को)।
 - जिला आपदा प्रबंधन समिति।
 - जिला पदाधिकारी कार्यालय।
 - पड़ोसी जिलों के इओसी को।
 - जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
 - स्वैच्छिक संगठनों को
 - समुदाय को

 **भूकम्प** आपदा के दौरान इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे –

- भूकम्प एवं अन्य स्थानीय आपदाकाल के दौरान प्रशासन द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित समस्त विवरण दर्ज करना।
- विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रभावित समुदाय को प्रदान की जा रही राहत सामग्री संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- मृतकों/घायलों/लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त करना
- विभिन्न स्थलों पर संचालित राहत केन्द्रों से संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- प्राप्त सूचनाओं को अंकित करते हुये जिला जनसम्पर्क अधिकारी, प्रभारी अधिकारी ई0ओ0सी0 एवं अपर समाहर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित बुलेटिन जारी किया जाना।

 **अगलगी** आपदा की सूचना मिलते ही इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर सक्रिय हो जायेगा और इस दौरान प्रभारी ई0ओ0सी0 सम्बन्धित अंचल पदाधिकारी/प्रखण्ड पदाधिकारी आदि से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त करेगा—

- प्रभावित क्षेत्र की सम्पूर्ण जानकारी (ग्राम, ग्राम पंचायत, अंचल एवं अनुमंडल तथा प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)।
- अग्निशमन विभाग एवं ग्रामीणों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य संबंधी किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण।
- प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को उपलब्ध कराये गये राहत धनराशि एवं सामग्रियों का विवरण।
- संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रों का विवरण।
 - अगलगी की घटनाओं को रोकने हेतु जिला स्तर निम्नलिखित संसाधन/सुविधाएं उपलब्ध हैं :
 - बड़ी अग्निशमन गाड़ी – 8
 - छोटी अग्निशमन गाड़ी – 6
 - पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र – 10
 - फायर मैन – 40
 - पदाधिकारी – 1
 - अग्निशमन वाहनों में पानी भरने के आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध है।
 - फायर मैन को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

स) भूकम्प आपदा के दौरान इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टर द्वारा निम्न कार्य किये जायेंगे –

- भूकम्प एवं अन्य स्थानीय आपदाकाल के दौरान प्रशासन द्वारा किये जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से संबंधित समस्त विवरण दर्ज करना।
- विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रभावित समुदाय को प्रदान की जा रही राहत सामग्री संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- मृतकों/घायलों/लापता व्यक्तियों से संबंधित सूचना प्राप्त करना
- विभिन्न स्थलों पर संचालित राहत केन्द्रों से संबंधित सूचना प्राप्त करना।
- प्राप्त सूचनाओं को अंकित करते हुये जिला जनसम्पर्क अधिकारी, प्रभारी अधिकारी ई0ओ0सी0 एवं अपर समाहर्ता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित बुलेटिन जारी किया जाना।

4.5 विभिन्न विभाग/एजेन्सी

आपदा प्रबन्धन के तीनों चरणों – आपदा पूर्व, आपदा दौरान एवं आपदा बाद, जिला आपदा प्रबन्धन योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभाग एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं। जिनके द्वारा निम्न कार्य सामान्य तौर पर किये जाते हैं –

- नोडल नामित करना।
- विभाग के विकासीय कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के घटकों को शामिल करना।
- विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमतावर्धन की आवश्यकता आकलन कर उनका दक्षता विकास करना।
- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आयोजित पूर्वाभ्यासों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- विभाग की आपदा प्रबन्धन योजना बनाना।

रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु उपाय (Measures for Prevention, Mitigation and Preparedness)

आपदा के बदलते स्वरूप में उसका प्रबन्धन न केवल वैश्विक स्तर पर वरन् स्थानीय स्तर पर भी अब एक अनिवार्य गतिविधि हो गयी है। वर्ष 2005 के पहले तक आपदा प्रबन्धन के लिए कोई विशेष नियोजन नहीं किया जाता रहा लेकिन 2005 के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम पारित किये जाने तथा आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य हो गया कि आपदा प्रबन्धन केवल राहत पहुंचाने तक ही सीमित न रहे, वरन् रोक-थाम (Prevention), शमन (Mitigation) व पूर्व तैयारी (Preparedness) के उपायों पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।

बिहार राज्य एक बहु आपदा प्रभावी क्षेत्र है और राज्य का 76 प्रतिशत भू-भाग विभिन्न आपदाओं से ग्रसित होता रहता है। विगत एक दशक में राज्य सरकार आपदा के प्रति संवेदनशील हुई है और इसकी रोक-थाम, शमन व पूर्व तैयारी हेतु कई नीति-निर्देश राज्य स्तर से

रोक-थाम –

मौजूदा एवं नयी आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से बचाव हेतु की जाने वाली गतिविधियां एवं उपाय।

शमन –

एक खतरनाक घटना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने या न्यून करने को शमन कहते हैं।

जारी हुए हैं। 2015 में बिहार सरकार की आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में उपरोक्त तीनों उपायों पर विशेष बल दिया गया है। इस दस्तावेज में पांच मुख्य घटकों— सुरक्षित ग्राम, सुरक्षित आजीविका, सुरक्षित आधारभूत ढांचा, सुरक्षित मूलभूत सेवाएं तथा सुरक्षित शहर पर रोक-थाम, शमन, पूर्व

तैयारी व पुनर्निर्माण के उपायों पर विभागवार राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गयी है।

यद्यपि जिले में विभिन्न स्तरों पर सभी विभागों एवं एजेंसियों द्वारा विकासीय योजनाएं तैयार की जाती हैं, परन्तु ये योजनाएं बहु आपदाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनायी जातीं। आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 40 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिले के प्रत्येक विभाग की अपनी विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना होनी आवश्यक है, जिसके अन्तर्गत विभाग अपनी विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करते हुए रोक-थाम, शमन व पूर्व तैयारी के उपायों को शामिल करेंगे।

पूर्व तैयारी

किसी आपदा की आशंका या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति को पूर्व तैयारी कहते हैं। यह तैयारी सरकार, समुदाय एवं अन्य सभी हितभागियों के लिए आवश्यक होती है।

5.1 विभागों/संस्थाओं के मुख्य कार्य

आपदा प्रबन्धन किसी एक व्यक्ति, विभाग, संस्था अथवा एजेंसी का कार्य नहीं है। यह सभी विभागों एवं प्रशासन के समन्वयन से होता है। जिले के अन्दर आपदा प्रबन्धन हेतु मुख्य तौर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेंसियाँ, पंचायत राज संगठन, सामुदायिक संगठन एवं जिले स्तर पर काम करने वाले अन्य निजी संगठन उत्तरदायी होते हैं, जिनका विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अध्याय 4 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करता है। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण रिस्पान्स, रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी हेतु मुख्य नोडल विभाग है और इसके कार्यों में मुख्य रूप से –

- जिले की आपदा रिस्पान्स योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना व उनका पुनर्विलोकन करना।
- जिले में आपदाओं की रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के उपायों के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना तथा जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय और अनुश्रवण करना
- यह सुनिश्चित करना कि जिले में आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गयी है और आपदाओं के निवारण तथा उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किये गये हैं।
- आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को सुगम बनाना।
- जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए सूचना तंत्र की स्थापना करना, उसका अनुरक्षण करना तथा पुनर्विलोकन और उन्नयन करना।

जिले स्तर पर सभी सम्बन्धित विभाग अपने-अपने विभागीय कार्यों एवं जिम्मेदारियों के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से मुख्य रूप से –

- आपदा के सभी चरणों में आपदा प्रबन्धन हेतु जिला प्रशासन से समन्वय बनाते हुए विभागीय स्तर पर नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति करेंगे।
- विभाग की विभागीय विकासीय योजना तैयार करते समय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन के तत्वों का समावेश करते हुए आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेंगे।

आपदा प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों, सामुदायिक संगठनों तथा अन्य निजी संगठनों की प्रमुख भूमिका होती है। समुदाय को पूर्व तैयारी, शमन एवं रोक-थाम के उपायों के ऊपर जागरूक करना, शमन के उपायों को अपनाने हेतु समुदाय को उत्प्रेरित करना तथा समुदाय स्तर पर ग्राम्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना इनका प्रमुख कार्य होता है।

5.2 सभी विभागों/एजेंसियों के लिए मुख्य कार्य ;समान रूप सेद्ध

जैसाकि ऊपर विभागों के मुख्य कार्यों को बताया गया है, सभी विभाग आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से आपदा के प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और अलग-अलग गतिविधियाँ सम्पादित करते हैं। फिर भी आपदा प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो सभी विभागों को समान रूप से सम्पादित करना चाहिए। सेण्डई फ्रेमवर्क की चार प्राथमिकताओं को आधार बनाकर इस योजना के अन्तर्गत सभी विभागों द्वारा समान रूप से किये जाने वाले कार्यों को चार प्रमुख बिन्दुओं के तहत विभक्त किया जा सकता है –

1. आपदा जोखिम पर समझ विकसित करना

- आपदा प्रबन्धन से जुड़े सभी विभागों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आपदा की दृष्टि से खतरों, संवेदनशील क्षेत्रों, घटकों, समुदायों, वर्गों, संसाधनों की पहचान करना। विभाग इस जानकारी का उपयोग आपदा की रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी एवं रिस्पान्स हेतु कर सकता है।

2. जोखिम संवेदी प्रशासन प्रणाली को विकसित/सशक्त करना

- विभाग के अन्दर आपदा प्रबन्धन समिति का गठन करना।
- आपदा से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु नोडल नामित करना। नामित नोडल अधिकारी आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, अन्य विभागों व अन्य हितधारकों से समन्वयन स्थापित कर आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य करेगा।
- विभाग की विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश करते हुए विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।

3. आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों में निवेश करना

- नये बनने वाले विभागीय भवनों, ढांचों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाना।
- पूर्व निर्मित भवनों, ढांचों की आपदा के सन्दर्भ में देख-रेख व मरम्मत करना।
- सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाना।
- आपदा प्रबन्धन हेतु विभाग स्तर पर कोष गठित करना।
- विभागीय वित्तीय योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के ऊपर कुल बजट का कम से कम 10 प्रतिशत प्रावधान करना।

4. प्रभावी रिस्पान्स हेतु पूर्व तैयारी के उपायों को सशक्त करना

- आपदा जोखिम से उत्पन्न खतरों एवं नुकसानों को कम करने हेतु रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्निर्माण के लिए किये जाने वाले उपायों की पहचान एवं उनका क्रियान्वयन करने हेतु रणनीति निर्धारण एवं एक्शन प्लान बनाना।
- पूर्व तैयारी के कार्यों की पहचान करना।
- कर्मचारियों की आपदा जोखिम से निपटने की क्षमता का आकलन करना एवं उसके अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। ताकि राहत एवं पुनर्निर्माण के दौरान त्वरित प्रभावी कार्य किया जा सके।
- आपदा एवं उससे निपटने के उपायों पर जागरूकता अभियान चलाना व माकड्रिल करना।
- आपदा के दौरान किये जाने वाले कार्यों से प्राप्त अनुभवों व सीखों को दस्तावेजित करना ताकि आगामी योजना को और बेहतर बनाया जा सके।

5.3 आपदावार विभागों/एजेन्सियों के कार्य

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं (बाढ़, सुखाड़, आगलगी, आंधी-तूफान, ठंढा, भगदड़, भूकम्प, नाव दुर्घटना)	जिले में पूर्व घटित सभी प्रकार की आपदाओं के बारे में विस्तृत जानकारी तथा प्राप्त सीखों को एकत्रित व दस्तावेजित करना।	जिले की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।	जिला प्रशासन के सहयोग से जिला रिस्पान्स टीम का गठन करना।
	जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबन्धन योजनाओं के लिए मार्ग निर्देश देना।	जिले स्तर के सरकारी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।	जिले के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने हेतु संवेदनशीलता मानचित्र (Vulnerability Map) तथा जोखिम मानचित्र (Hazard Map) बनाना।
	पंचायतस्तरीय टास्क फोर्स समितियों, समुदाय के उत्साही नवयुवक/नवयुवतियों, सरपंच/मुखिया, नाव चालकों आदि को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षित करना।	जिला स्तर के प्राधिकारियों एवं स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण एवं शमन हेतु आवश्यक उपायों को करने हेतु निर्देशित करना।	जिले के सभी लाइन विभागों के साथ बैठक कर आपदाओं से जिले की होने वाली संभावित क्षति, प्रभाव तथा किये जाने वाले उपायों पर चर्चा और उसके बचाव हेतु उपलब्ध संसाधन, सामग्री, उपकरण, बजट आदि से सम्बन्धित जानकारी एकत्र करना।
	छठ पर्व के अन्तर्गत नहाय-खाय से लेकर सुबह अर्घ्य देने तक निजी नावों के चलाने पर रोक लगाना	सभी विभागों के विभागीय कार्ययोजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को समाहित	जिले स्तर के सरकारी विभागों की विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने में सहयोग प्रदान करना।

सुनिश्चित करना। छठ पर्व के दौरान नदी घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों एवं चालकों का प्रतिनियोजन लाइफ जैकेट/ इन्फ्लैटेबल बोट/ देशी नाव आदि सहित करना।	करना। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से आवश्यक अनुवर्ती सहायता का अनुरोध तथा उसे प्राप्त करना।	पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स समितियों जैसे सामुदायिक आपदा रिस्पान्स टीम (सी0डी0आर0टी0) का गठन करना।
छठ पर्व के समय सभी नदी घाटों पर आवश्यक मानव एवं भौतिक संसाधनों तथा महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बरों से सुसज्जित एक आन साइट कण्ट्रोल रूम की स्थापना किया जाना।	जिला स्तर के सभी सरकारी विभागों द्वारा शमन हेतु किये जाने वाले उपायों की निगरानी करना।	सुरक्षित स्थलों एवं शरणगाह/आश्रय स्थलों की सूची बनाना।
आपदा से बचाव, रोकथाम एवं शमन के उपायों पर समुदाय के बीच जागरूकता अभियान चलाने हेतु संदर्भ सामग्री तैयार करना (संलग्नक 16)।	राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना।	सार्वजनिक छठ पर्व एवं इसकी महत्ता को देखते हुए संवेदनशील घाटों को चिन्हित करना।
आपदाओं के सन्दर्भ में सबसे नाजुक समुदाय – (दिव्यांगों, वृद्ध आश्रम, अन्ध विद्यालय, मानसिक रोगियों) के ऊपर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना।	जिला ई0ओ0सी0 का गठन एवं अतिरिक्त संसाधन से उसकी क्षमता वर्धन हेतु समन्वयन करना।	ई0ओ0सी0 को क्षमतापूर्ण चलाने हेतु कार्य समन्वयन-सड़क, वाहन, नाव, अन्य बुनियादी सुविधा का सूचीकरण, संचार माध्यमों, सभी विभागों के नोडल अधिकारियों की मोबाईल नं0 के साथ सूची प्राप्त करना।
एस0डी0एम0ए0/एन0डी0एम0ए0/एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 एवं डी0डी0एम0ए0 के आपसी सामंजस्य एवं सहयोग के साथ पूर्वाभ्यास करना।	आपदा प्रबन्धन योजना की प्रत्येक वर्ष समीक्षा तथा विद्यमान योजना में आवश्यकतानुसार संशोधन व लाइन विभाग द्वारा व्यापक विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को अद्यतन करना।	परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मोटर वाहन की उपलब्धता की सुनिश्चितता बनाना
कम्बाइन हार्वैस्टर से कटाई के उपरान्त डण्डल आदि के जलाने पर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करना।		स्थानीय नाव, नाविक, मोटर बोट, गोताखोर की सूची तैयार करना व नाव, टेंट, बचाव के यंत्र, लाइफ सेविंग जैकेट आदि का प्रबन्ध करना।।

जल संसाधन विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ व सुखाड़	तटबन्धों, नहरों, नालियों की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों के साथ रणनीति बनाना।	आपात के समय तटबन्धों, नहरों, पुलों, नियंत्रण कक्षों, बाढ़ चौकियों आदि की सुरक्षा करना	मानसून मौसम के पूर्व बांधों की मरम्मत, रेगुलेटरों, जल निकास नालियों, नहरों, पुलों, कल्वर्ट की साफ-सफाई, रख-रखाव आदि सुनिश्चित करना।
	नहर के पास निर्मित होने वाली किसी भी संरचना पर सूचना पट्ट लगवा कर उस पर नहर को आपरेट करने वाले कर्मियों का नाम व मोबाइल नं0 अवश्य दर्ज हो ताकि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में स्थानीय स्तर पर सम्पर्क स्थापित कर आपदा कम करने का प्रयास किया जा सके।	बन्धों की मरम्मत हेतु सुरक्षित स्थानों पर खाली बोरे, मिट्टी, बालू, बोल्टर तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों का पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करना।	नदी के बहाव की फोटोग्राफी नियमित रूप से ड्रोन से लेना ताकि नदी के बहाव की जानकारी मिलती रहे और उसी के अनुरूप बचाव एवं तैयारी कार्य किया जा सके।
	तटबन्धों के खतरे वाले स्थानों का पता लगाकर मरम्मत तथा निगरानी करना	आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को आपदा प्रबन्धन योजना/ विभागीय योजना में समाहित कर कार्यबिन्दु तैयार करना।	मौसम के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर उससे सम्बन्धित बुलेटिन प्रसारित करना या दूसरे विभागों विशेषकर डी0डी0एम0 ए0 को देना।
	जिले में जल संचय स्रोत, तालाब,	सुखाग्रस्त स्थिति में नहरों के	जिले में बाढ़ पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में

	पोखरा आदि की साफ-सफाई एवं जल भराव हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना। (सरकारी आदेश संख्या 01/प्रा0आ0 -27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की स्थिति को सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0 आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)	विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों से डी0डी0एम0ए0 को अवगत कराना एवं विभाग के अन्दर कर्मचारियों का दायित्व निर्धारण करना।
	क्षमता वर्धन हेतु विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्षम विभागीय कर्मचारियों को नामित करना तथा समन्वयन स्थापित करना	मानसून मौसम के पूर्व ट्यूबवेल की मरम्मत, रेगुलेटरी, नहरों, की साफ-सफाई, रखरखाव आदि सुनिश्चित करना। विभिन्न स्तरीय सिंचाई योजनाओं की योजना बनाना, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, रख-रखाव तथा नियंत्रण रखना।	जिले के अन्तर्गत विभागीय आधारभूत ढांचों के मरम्मत व रख-रखाव कार्य हेतु ठेकेदारों को सूचीबद्ध करना।

स्वास्थ्य विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	टीकाकरण अभियान निरन्तर चलाना।	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना को तैयार कर उसमें स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका व कर्तव्य का उल्लेख करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	आपदा संभाव्य स्थितियों में सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में निकास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	आपदाग्रस्त जनता में रोगों/बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को धीरे-धीरे कम करने हेतु दीर्घकालीन योजनाएं बनाना।	विभाग के पास प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद संसाधनों को सूचीबद्ध कर जिला प्रशासन के माध्यम से एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अपडेट करना।
	अस्पताल सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश तैयार कर उसका क्रियान्वयन करना। (संलग्नक-17)	आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित कर कार्य बिन्दु तैयार करना।	बाढ़ संभावित क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु रूटमैप के साथ कार्य योजना तैयार करना।
	आपदा क्षेत्र में उपलब्ध समस्त पेयजल स्रोतों के गुणवत्ता की जांच करना एवं उसे प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।	व्यापक स्वास्थ्य देख-भाल कार्यक्रम के साथ Minimum Initial Service package (एम0आई0एस0पी0) गतिविधियों का एकीकरण सुनिश्चित करना।	आपदा संभावित सभी क्षेत्रों में स्थित पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 पर आपदा स्थिति के दौरान डाक्टर, नर्स एवं अन्य स्टाफ की 24 घण्टे अनिवार्य उपस्थिति हेतु निर्देश जारी करना।
	जिले एवं प्रखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को आपदा जोखिम विश्लेषण एवं संवेदी स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन के ऊपर प्रशिक्षण देना।	बिल-मिरिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के तहत आशा कर्मियों के लिए विकसित मोबाइल कुंजी में आपदा सम्बन्धी विकल्पों/माडलों को शामिल करना।	आपदा पूर्व तैयारी के अन्तर्गत चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती योजना तैयार करना।
	आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, ए0एन0एम0, ममता, परम्परागत दाईयों, अपंजीकृत चिकित्सक आदि फ्रण्टलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को बीमारियों के नवीनतम रूपों से परिचित कराने हेतु सूचनाओं/जानकारियों/तकनीकों से अपडेट करने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण करना तथा काण्टैक्ट नं0 की सूची बना कर रखना।	ग्रामीण स्तर पर आशा, ए0एन0एम0 आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, वृद्धों, बच्चों व किशोरियों की पहचान कर उनके लिए विशेष स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधा सुनिश्चित करना।	विगत आपदाओं को ध्यान में रखते हुए जल एवं विषाणु जनित बीमारियों तथा त्वचा सम्बन्धी रोगों जैसे फोड़ा-फुन्सी, खाज-खुजली व सर्पदंश से बचाव आदि के लिए उपयोगी दवाओं को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक कर सुरक्षित स्थान पर भण्डारण करना।
	पूर्ण व आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारु	आशा कर्मियों के लिए आपदा पूर्व तैयारी पर पाकेट हैंडबुक तैयार	बाढ़ आपदा पूर्व आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों,

	रूप से संचलन हेतु सुरक्षित वैकल्पिक स्थानों का चयन करना। आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से जल एवं विषाणु जनित तथा अन्य बीमारियों के ऊपर व्यापक जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण अभियान चलाना। आपदा ग्रस्त क्षेत्र में निरन्तर रूप में जन जागरूकता अभियान चला कर लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी देना आपात स्थितियों एवं आपदाओं के दौरान विशेषकर छोटी बच्चियों, किशोरियों एवं महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहारों की रोक-थाम के लिए कारगर उपाय सुनिश्चित करना। बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं को कुपोषण से बचाने हेतु पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर उपलब्ध मेडिकल किट में ओ0आर0एस0 एवं पैरासीटामाल दवा शामिल करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013 4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	करना।	किशोरियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना। स्थानीय स्तर पर फैलने वाले विशेष रोगों की क्षेत्र एवं परिस्थिति के अनुसार पहचान करना एवं उसके बारे में वहां पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों से नियमित जानकारी लेना। सभी मुख्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनरेटर/ इमरजेन्सी लाइट की सुविधा सुनिश्चित करना। बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिरे गांवों (मैरुण्ड) के लिए चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने हेतु चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं, एम्बुलेन्स एवं नाव तैयार रखना। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने हेतु मोबाइल यूनिट का गठन करना। क्षेत्र में मौजूद सभी निजी चिकित्सकों एवं अस्पतालों की सूची बनाकर आपदा की स्थिति में बेहतर व प्रभावी काम करने हेतु समन्वयन स्थापित करना। सम्भावित आपदा क्षेत्रों में सुरक्षित भवनों व स्थलों को चिन्हित करना ताकि आपदा के समय वहां पर शिविर लगाया जा सके। आपदा के समय घायलों/बीमार लोगों को ले जरूरी करने हेतु विभागीय वाहनों की सूची बनाकर रखना एवं यह भी सुनिश्चित करना कि सभी वाहन/तेल/ड्राइवर अच्छी स्थिति में हों। यह सुनिश्चित करना कि दूर संचार के समस्त माध्यम सुचारु ढंग से काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करने की स्थिति में है। अन्य विभागों विशेषकर जिला नोडल अधिकारी एवं कार्यालय से समन्वय बनाते हुए निरन्तर संवाद बनाये रखना। आपदा परिस्थितियों के लिए रूरल हेल्थ किट/स्वास्थ्य किट तैयार करना।
भूकम्प	स्वास्थ्य विभाग हेतु नये बनने वाले भवनों को भूकम्परोधी बनाना सुनिश्चित करना।	सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों में आग से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	विकासखण्ड मुख्यालयों व प्रमुख स्थलों पर ऐसे सुरक्षित भवनों को चिन्हित करना, जहां आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
अगलगी	आग लगने पर बचाव एवं प्राथमिक उपचार के बारे में पोस्टरों एवं पम्पलेटों के माध्यम से समुदाय के बीच जागरूकता प्रसार करना।	आग से घायल हुए व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में बर्न आइनमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
भगदड़			छठपर्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण, संवेदनशील व अधिक भीड़ जमा होने वाले घाटों को चिह्नित करना। किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु घाटों पर आपातकालीन चिकित्सा

		व्यवस्था सुनिश्चित करना। प्रत्येक चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक जांच उपकरण व दवाएं होना सुनिश्चित करना। आपदा प्रबन्धन विभाग से समन्वय स्थापित कर घाटों पर एल0एस0 एम्बुलेंस की उपलब्धता पूर्व में ही सुनिश्चित करना।
भीषण गर्मी		सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों/सदर अस्पतालों/अनुमण्डलीय अस्पतालों/मेडिकल कालेजों/अस्पतालों आदि में लू से प्रभावितों के इलाज हेतु विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करना। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओ0आर0एस0 पैकेटों, आई0 वी0 फ़्लूड एवं जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना। लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों हेतु विशेष चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना। मोबाइल चिकित्सा दल की व्यवस्था करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित जगहों पर दल को भेजा जा सके।

कृषि विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	आपदा स्थितियों से निपटने हेतु विभाग के पास स्वयं का आपदा प्रबन्धन समिति तथा आपदा कोष होना सुनिश्चित करना।	वैकल्पिक खेती की विभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबन्धन, मिश्रित खेती, बहुस्तरीय खेती, अन्तरखेती, कम्पोस्टिंग, गृहवाटिका आदि तकनीक को बढ़ावा देना।	विभाग में अनुमण्डल-प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर नोडल नामित करना।
	बाढ़ एवं जल-जमाव क्षेत्रों में अनुकूलित कृषि को बढ़ावा देते हुए कृषि संस्थानों (आत्मा, औद्यानिक मिशन, के0वी0के0) आदि को सुदृढ़ करना।	फसल उत्पादकता को बनाये रखने हेतु के0वी0के0/विश्वविद्यालय/कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना।	विभाग द्वारा जिला से लेकर अनुमण्डल, प्रखण्ड एवं पंचायत गांव स्तर पर विकसित किये गये भवन (बीज गोदाम, कृषि रक्षा केन्द्र) के साथ-साथ अन्य संसाधनों की स्थिति का आकलन कराना।
	आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु समुदाय के नाजुक वर्गों का जुड़ाव खाद्य सुरक्षा योजना से सुनिश्चित करना।	जल-जमाव क्षेत्र में लतावर्गीय सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने हेतु जूट बैग के साथ मचान खेती तकनीक को बढ़ाना।	संसाधनों को ठीक कराने के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर उन्हें बाढ़ की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से ठीक कराना।
	मौसम के पूर्वानुमान की सूचना किसानों को दिये जाने का प्रावधान विभाग द्वारा किया जाना, ताकि किसानों का जोखिम कम हो सके।	जल-जमाव वाले क्षेत्रों में जलस्नेही फसलों जैसे – सिंघाड़ा, तालमखाना, तिन्नी, करमुआ आदि की खेती को बढ़ावा देना।	मौसम के पूर्वानुमान की जिला, अनुमण्डल-प्रखण्ड, पंचायत एवं गांव स्तर के विभिन्न हितभागियों, पदाधिकारी व समुदाय तक सूचना उपलब्ध कराना।
		क्षेत्र की प्रमुख फसल मक्का व मूंग के उत्पाद के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।	जल निकासी व्यवस्था की स्थिति के आकलन व मरम्मत हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय करना।

		विशेषकर बंटाईदार किसानों का जुड़ाव “बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015” से सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 01/गै0प्रा0आ0-01/2015/1946/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 22/5/15) भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उच्च मूल्यप्रदायी व रोगरोधी फसलों को बढ़ावा देना। मौसम सम्बन्धी यंत्र की स्थापना ग्राम पंचायत स्तर पर होना सुनिश्चित करना। सामुदायिक/पंचायत स्तर पर कृषि सलाहकार/कृषि विशेषज्ञ की पहचान कर उन्हें किसान समूह से जोड़ना। बाढ़ व जल-जमाव क्षेत्रों में जल सहनशील पौधों/वृक्षों/ बागवानी/प्रजातियों जैसे – जामुन, अमरुद, अर्जुन, भगनहां, बांस रोपण से सम्बन्धित योजनाओं को क्रियान्वित करना। जल निकासी की व्यवस्था शुरू कराने हेतु मनरेगा एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के साथ समन्वय एवं जुड़ाव का कार्य सुनिश्चित करना। बाढ़ आपदा को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक मिशन के कार्यक्रम का नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। बाढ़ व जल-जमाव प्रभावित क्षेत्र में आगामी फसल बुवाई हेतु प्रखण्ड स्तर पर बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। बाढ़ के बाद खेतों में गाद/बालू वाले क्षेत्रों जैसे – बसन्तपुर प्रखण्ड में सुखा सहनशील फसलों/प्रजातियों व तकनीकों का प्रसार करना और उपयुक्त बीजों/प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बाढ़ से प्रभावित किसानों को खाद, बीज, अनाज आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कर बिहार राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम “शताब्दी अन्न कलश योजना” से जुड़ाव करना।	आवश्यकता आंकलन में सूचनाओं, आंकड़ों के अनुसार (बीज, प्रजाति, खाद, रसायन आदि) संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आत्मा योजना के साथ लघु, सीमान्त विशेषकर महिला किसानों का जुड़ाव सुनिश्चित करना।
सुखाड़	सिंचाई कार्य हेतु सौर ऊर्जा चलितसिंचाई पम्प को बढ़ावा देना। सूखा सहनशील सब्जी, फल व फसलों की प्रजातियों की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कराना एवं बढ़ावा देना।	नहर, नलकूपों में शीर्ष से लेकर अन्त तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बीज और खाद, कीटनाशक आदि का जिले स्तर की आवश्यकता आंकलन से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराना प्रभावित परिवार को खाद्य, बीज, दवा आदि की सब्सिडी सुनिश्चित कराना। के0वी0के0/कृषि विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक शोध केन्द्रों के समन्वय से कम सिंचाई एवं पानी की आवश्यकता वाली फसलों को	जिले में आपदा प्रबन्धन कार्य से जुड़े नोडल विभाग पदाधिकारी, कर्मचारी, हितभागियों एवं समुदाय प्रतिनिधियों का व्हाट्स ग्रुप बनाकर त्वरित संदेश संचार व्यवस्था सुदृढ़ करना। अनाज बैंक, बीज बैंक आदि का पुनः सुदृढीकरण हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी हितभागी, पदाधिकारी व समितियों को प्रेरित करना। अनाज बैंक, बीज बैंक आदि का पुनः सुदृढीकरण हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी हितभागी, पदाधिकारी व समितियों को प्रेरित करना

		बढ़ावा देना। मनरेगा के माध्यम से जल प्रबन्धन तकनीकों जैसे – टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई, मेड़बन्दी आदि का विकास एवं प्रसार करना। कृषि रोडमैप के अनुसार कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना।	
अगलगी	सिंचाई विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गांव के आस-पास जल संचय स्रोतों, कुंओं, तालाबों आदि में सूखा मौसम से पूर्व जल भराव सुनिश्चित करना। गांव स्तर पर पानी के स्रोतों को चिन्हित करके रखना। नोडल पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल, प्रखण्ड स्तर व पंचायत स्तर तक फसल अपशिष्ट को न जलाने हेतु आदेश जारी करना। खेत-खलिहान के आस-पास आग न जलाने, बीड़ी-सिगरेट, गांजा आदि न पीने के सन्दर्भ में जागरूकता अभियान चलाना।		आगजनी से निपटने हेतु सामुदायिक स्तर पर राहत व बचाव दल गठित करने में समन्वय स्थापित करना।
	तेज हवा की स्थिति में घास-फूस के मकानों में खाना न पकाने, बच्चों को आग से दूर रखने के सन्दर्भ में प्रखण्ड व पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाना।		
आंधी-तूफान/ ओलावृष्टि	आंधी-तूफान की पूर्व सूचना पर सिंचाई न करने, फसल मड़ाई-कटाई, तोड़ाई, विपणन आदि के न करने एवं भण्डारण व सुरक्षित रख-रखाव सम्बन्धित जागरूकता करना। क्लैमिटी रिलीफ फण्ड के बारे में विभागों, हितभागियों व जन समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना। ओलावृष्टि/आंधी – तूफान आदि में लोगों को पेड़ों के नीचे न रहने के विषय में जागरूकता फैलाना।	आंधी-तूफान/ओला वृष्टि के सन्दर्भ में विगत वर्षों में प्राप्त सीखों को विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करते हुए कार्यबिन्दु तय करना। सरकार की अन्न कलश योजना एवं अन्य योजनाओं, पीओडीएस, फसल बीमा योजना, क्लैमिटी रिलीफ फण्ड आदि से जुड़ाव करना। फसल उत्पादकता को बनाये रखने हेतु के0वी0के0/ विश्वविद्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना।	
शीतलहर व पाला		नर्सरी/पौध तैयार करते समय शीतलहरी या पाला से बचाव हेतु रात के समय खेत में धुआ करना। फूल-फल बनने की अवस्था में खेतों में हल्की सिंचाई करना सुनिश्चित करना। इससे पाला से बचाव होता है और फूल झड़ने नहीं पाते हैं। फूल-फल बनने की अवस्था में भी	

	शीतलहरी/पाला से बचाव हेतु रात के समय खेत में धुआं करना सुनिश्चित करना।	
	पौधों के ऊपर पर्णिय छिड़काव सुनिश्चित करना।	
	यदि फसल कटाई की अवस्था में हो और शीतलहरी या पाला आपदा की आशंका हो तो कटाई या फल की तुड़ाई सुनिश्चित करना।	

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन एवं गव्य निदेशालय

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ सुखाड़	मानसून पूर्व पशुओं का टीकाकरण करवाना।	स्थानीय संसाधन/जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार पशु नस्ल को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को योजनाओं में सम्मिलित कराना।	विभागीय इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों की स्थापना करना तथा विभागीय फोन नं0 व हेल्प लाइन नं0 का प्रचार-प्रसार करना
	पशुओं को कीड़े की दवा देना तथा पोषण प्रबन्धन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हुए उसे अपनाने पर जोर देना।	ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका को प्रोत्साहित करने हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि को बढ़ावा देना।	विभाग में आपदा काल में जिला, अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यवाही/जवाबदेही हेतु नोडल पदाधिकारी का चयन करना।
	जलस्रोत/तालाब/पोखरों का क्लोरीनीकरण/ट्रीटमेंट कर रोगमुक्त बनाना।	छोटे एवं मझोले किसानों के लिए मूल्यवर्धित चारा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	प्रखण्डस्तरीय पशु चिकित्सालयों पर आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र में पहुंच बनाने के लिए चारपहिया वाहन की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित कराना।
	पशुओं/डेयरी में टीकाकरण व रोग नियन्त्रण हेतु एन्टीसेप्टिक औषधि, ब्लीचिंग आदि का छिड़काव करवाना।	सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में आपदा दृष्टिगत संशोधन करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी/विभाग को प्रेषित करना।	पशु चिकित्सालयों को आपदा के दौरान नियमित रूप से सेवा सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से प्रकाश की व्यवस्था के लिए जनरेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	रोगग्रस्त/संक्रामक रोगी पशुओं की चिकित्सा एवं मृत पशुओं का निस्तारण सुनिश्चित करना।	पशुबाड़ा, घर, डेयरी आदि के आस-पास हुए जल-जमाव एवं गंदगी को दूर करना।	उच्चिकृत स्थान का चयन एवं पूर्व में तैयार बाढ़-आपदा शरणालय की साफ-सफाई एवं मरम्मत सुनिश्चित करना।
	संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना।	विभाग का अपना स्वयं का आपदा प्लान एवं बजट होना सुनिश्चित करना।	पशुचारा/भूसा, दवा आदि आपूर्ति करने वाले स्थानीय थोक विक्रेताओं की पहचान कर उनके साथ रेट कान्ट्रैक्ट करना ताकि आपदा के समय उचित दर पर सामग्री उपलब्ध हो।
		पशु चिकित्सा कैम्प का आयोजन करना एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करना।	पशु चारा/भूसा, दवा आदि का आवश्यकता आकलन कर स्थानीय हितभागियों के सलाह/साझा प्रयास द्वारा सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)
		मोबाइल पशु चिकित्सा दल की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)	पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन एवं पशुओं हेतु समुचित, दवा, टीका, चारा भण्डारण तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना।
		पेयजल की कमी से जूझ रहे पशुओं के लिए जल स्रोतों सहित शिविर स्थलों का चयन करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	सुखाड़ आपदा की आशंका की स्थिति में पशुओं के पेयजल हेतु जल संचय स्रोतों को जल से भरना। ग्राम पंचायत स्तर पर पशुओं से सम्बन्धित डेटाबेस तैयार करना तथा नियमित रूप से अद्यतन करना।

मत्स्य निदेशालय

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	जलस्रोत/ तालाब/ पोखरों का क्लोरीनीकरण/ट्रीटमेंट कर रोगमुक्त बनाना।	ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के रूप में मछली पालन को बढ़ावा देना।	इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों की स्थापना करना व आपदा की स्थिति में सहयोग हेतु विभागीय फोन नं० व हेल्प लाइन नं० का प्रचार-प्रसार करना।
	नदियों/तालाबों/पोखरों/अन्य जल स्रोतों में कल-कारखानों से निकले प्रदूषित जल तथा शवदाह व घरेलू व नगरीय उपभोग वाले प्रदूषित जल निस्तारण पर रोक लगाना।	मत्स्य पालकों के विकास हेतु मत्स्यपालक विकास संघ की स्थापना करना। मछली तालाबों व पोखरों का गहरीकरण व तटबन्ध सुदृढ़ करना एवं मनरेगा योजना से जुड़ाव करना।	विभाग में आपदा काल में कार्यवाही/जवाबदेही हेतु पदाधिकारी का चयन, जिला अनुमण्डल एवं प्रखण्ड स्तर तक नामित करना। मछली पालन हेतु समुचित, दवा, चारा तथा कुशल कर्मियों की नियुक्ति करना। विभाग का अपना स्वयं का आपदा प्लान एवं बजट होना सुनिश्चित करना।
सुखाड	विभाग के नोडल पदाधिकारी, राजस्व व मनरेगा के आपसी समन्वय से तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों का गहरीकरण करना।	मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर तालाब, पोखरों आदि जल संचय स्रोतों में जलभराव की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	

लोक स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार द्वारा परिचालित 7 निश्चय के अन्तर्गत हर घर में पेयजल पाइप लाइन एवं सभी घरों में निर्मित शौचालय विकलांग, वरिष्ठ नागरिक के अनुकूल हों।	सुरक्षित स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	विभाग में आपदा प्रबन्धन हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना, आपदा से निपटने हेतु विभागीय कोष का निर्माण करना तथा आपदा प्रबन्धन पी0एच0ई0डी0 के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
	नलकूपों/अन्य पेयजल स्रोत की देखभाल व मरम्मत हेतु प्रखण्डवार एक टीम का गठन करना जो आपात स्थितियों में तुरन्त कार्यवाही करे।	गांव में उच्चकृत शौचालयों का निर्माण करना तथा हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म को ऊंचा करना।	आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां की जनसंख्या, बसाहट, उपलब्ध पेयजल स्रोतों का विवरण, नलकूपों की स्थिति इत्यादि से सम्बन्धित समस्त जानकारी एकत्र करना।
	सुरक्षित पेयजल तथा साफ-सफाई के उपर शहरी विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग का उन्मुखीकरण करना ताकि वे अपनी योजनाओं में इसे शामिल कर सकें।	आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में उपलब्ध नलकूपों की मरम्मत व नियमित देखभाल करना एवं सम्बन्धित कल पुर्जों का उचित भण्डारण सुनिश्चित करना।	बिहार डी0आर0आर0 रोडमैप में दिये गये रिजीलियन्स सूचकांकों के आधार पर जिले में दी गयी वॉश सुविधाओं का आकलन करना।
	समय-समय पर पीने के पानी की जांच करना ताकि आपदा की स्थिति में भी पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।	स्थायी समिति, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता समिति तथा नागर समाज संगठनों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर वॉश एवं कचरा प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्यों को ग्राम आपदा योजना में शामिल कराना।	बाढ़ आपदा की स्थिति में नलकूपों के सफल संचालन हेतु मोबाइल जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करना। आवश्यकता आंकलन कर उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर की व्यवस्था रखना। बाढ़ पूर्व एवं दौरान राहत शिविरों में पानी जांच व शुद्धिकरण की व्यवस्था करना। प्रत्येक तिमाही में ब्लीचिंग पाउडर की उपलब्धता की समीक्षा कर उसका

			पर्याप्त भण्डारण सुनिश्चित करना। आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से आपदा पूर्व समुदाय में क्लोरीन की गोलियों एवं ब्लीचिंग पाउडर का वितरण सुनिश्चित कराना। आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर नियमित रूप से सामुदायिक स्तर पर तथा आपदा के दौरान राहत शिविरों में स्वच्छता संवर्धन गतिविधियों को आयोजित व प्रोत्साहित करना। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के दौरान लोगों के लिए मोबाइल शौचालय की पूर्व व्यवस्था करना।
सुखाड़	सुखाड़ की आशंका में खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करना।	विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना में सुखाड़ से निपटने के उपायों को शामिल करना। सुखाड़ की आशंका में पेयजल का आवश्यकता आंकलन कर उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी के टैंकर की व्यवस्था रखना।	
भूकम्प	भवन/वाटर टावर की डिजाइन भूकम्परोधी होना सुनिश्चित करना।	भूकम्प आपदा की स्थितियों के विभागीय अनुभवों को दस्तावेजित कर विभागीय योजना के अन्तर्गत कार्य बिन्दु तैयार करना।	किसी भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक सामग्रियों का भण्डारण सुनिश्चित करना।
अगलगी		आग बुझाने हेतु अग्निशमन दल से समन्वय स्थापित करना तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	

पुलिस विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं	आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में उनकी क्षमता को विकसित एवं समृद्ध करना। बाढ़ आपदा से निपटने के लिए नियमित माकड़िल आयोजित करने के साथ ही जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर आयोजित किये जाने वाले प्रखण्ड एवं जिला स्तर के बाढ़ पर आयोजित माकड़िल में अपनी सहभागिता निभाना। पुलिस बल को चौकस बनाने के लिए उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य, देखभाल एवं निकास, खोज व बचाव का नियमित प्रशिक्षण देना।	बाढ़ के दौरान त्वरित रिस्पान्स एवं बचाव कार्यों की रणनीति तैयार करना।	विभाग में आपदा चेतावनी प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन पुलिस के लिए नोडल अधिकारी नियत करना। बाढ़ आपदा के समय काम आने वाले संसाधनों की नियमित जांच एवं रख-रखाव तथा आपदा जोखिम में कमी के लिए आवश्यक न्यूनतम नये संसाधनों की व्यवस्था करना। विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों को एस0डी0आर0एन0 वेबसाईट पर अपडेट करना। बाढ़ आपदा की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बलों की पहचान कर उनकी अग्रिम व्यवस्था करना। बाढ़ आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं के प्रसार के लिए वायरलेस प्रणाली को तत्पर करना।
भूकम्प	राहत सामग्रियों को राहत स्थल तक		भूकम्प आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं

	सुरक्षित पहुंचाना एवं भण्डारण स्थल की सुरक्षा की व्यवस्था करना।		के प्रसार के लिए वायरलेस प्रणाली को तत्पर करना।
अगलगी			आगजनी की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों की पहचान करना और आपात खोज एवं बचाव अभियान के लिए पुलिस बल तैयार करना।
भगदड़	भगदड़ के दौरान प्रभावी प्रबन्धन एवं नियंत्रण हेतु चिन्हित पुलिसकर्मियों को भगदड़ प्रबन्धन पर प्रशिक्षित करना।	पूर्व अनुभवों के आधार पर पर्व या त्यौहार में शामिल होने वाले लोगों का अनुमान कर तदनुसार भीड़ को नियन्त्रित करने की कार्ययोजना तैयार करना।	भगदड़ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न सरल रास्तों की पहचान कर विभाग के जिम्मेदार पद के पास मानचित्र तैयार रखना। भगदड़ आपदा की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपदा अनुसार पर्याप्त सुरक्षा बलों की पहचान कर उनकी अग्रिम व्यवस्था करना। संभावित भगदड़ आपदा ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर उनसे निपटने हेतु स्थानीय स्तर पर कुशल व्यक्तियों को चिन्हित करना।

ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाओं में (बाढ़, सुखाड़, आगलगी, आंधी – तूफान, ठनका, भगदड़, भूकम्प, नाव दुर्घटना)	जल-भराव क्षेत्र से दूर तथा सुरक्षित स्थान पर विद्युत उत्पादन यूनिट की स्थापना सुनिश्चित करना।	डी0डी0एम0ए0, ई0ओ0सी0, कोषांग नोडल एवं सपोर्ट एजेंसियों के साथ चर्चा कर तात्कालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक योजना का निर्माण करना।	सभी महत्वपूर्ण पर्व, त्यौहारों एवं विशेष अवसरों पर सुरक्षा के मददेनजर विद्युत संरचना को दुरुस्त करते हुए जिला एवं स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
	आवासीय क्षेत्रों से गुजरे हाईटेन्शन तारों पर गार्डवायर लगाने का प्रावधान सुनिश्चित करना।	आपदा के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा, सीखें व कमियों का दस्तावेजीकरण एवं प्राप्त सीखों को भावी कार्य योजना में सम्मिलित करना।	सम्पूर्ण क्षेत्र तथा सभी सरकारी भवनों में विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभागीय बैठक में समीक्षा करना।
	ग्रामीण क्षेत्रों में लूज/जर्जर तार को बदलना सुनिश्चित करना।	आपदा के अनुभवों के आधार पर वांछित मानक के अनुसार संसाधनों की सूची निर्माण करना तथा प्राप्त करने की योजना बनाना।	आपदा प्रबन्धन विभाग से सामंजस्य हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना।
	सुखाड़ आपदा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता के आधार पर बदलना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)	ऊर्जा के अन्य स्रोतों का प्रचार-प्रसार तथा उसकी स्थापना करना।	बाढ़ तथा अन्य आपदाओं में सूचना केन्द्र के साथ समन्वयन करना।
	कर्मचारियों के क्षमता विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन तथा आपदा के दौरान किये गये कार्यों की समीक्षा प्रस्तुत करना।	बिजली निर्माण, ट्रांसमिशन एवं विद्युत वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए पुरानी इकाईयों की मरम्मत एवं आवश्यकतानुसार नये की स्थापना करना।	सुखाड़ आपदा को ध्यान में रखते हुए विभाग में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)
	आंधी-तूफान, वर्षा, बाढ़ एवं सामान्य दिनों में भी विद्युत प्रवाहित तारों व पोलों से स्वयं को अपने पालतू जानवरों को दूर	विशेषकर सुखाड़ क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम निर्धारित 8 घण्टों तक निर्बाध बिजली आपूर्ति व्यवस्था	सामान्य उपकरणों, सामग्रियों, मोबाईल ट्रांसफार्मर, तार, इन्सुलेटर आदि की सूची का निर्माण तथा उनको सतत तैयार रखना।

	रखना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्र में समुदाय को बिजली से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूक करने हेतु पोस्टर, पम्पलेट, फ्लैक्स का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करना। ग्रामीण समुदाय के इस आशय की जागरूकता प्रसारित करना कि वे हाईटेंशन तारों के नीचे भवन निर्माण न करायें। उससे अलग हटकर निर्माण कराये।	सुनिश्चित करना एवं इसका प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करना। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0 -27/2013/4156/आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13)	सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थानों पर विद्युत जेनरेटर लगाने हेतु जेनरेटर को तैयार रखना इसके लिए जेनरेटरों का सर्वेक्षण तथा सूची तैयार करना।
	समुदाय के बीच में जागरूकता फैलाना कि वे अपने भवन के अन्दरूनी वायरिंग हेतु BIS/ISI मार्का स्विचों एवं तारों का उपयोग करना सुनिश्चित करें ताकि शार्ट-सर्किट के माध्यम से आग लगने की संभावना न रहे। हाईटेंशन तार के नीचे खड़ा न रहें। पोल अथवा स्टेवायर से जानवर न बांधें। सेफ्टी गाइडलाइन्स का समुचित पालन सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर सभी कर्मचारियों (सरकारी एवं संविदा वाले) को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना।		बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीएससी पोल को कंकरीट के माध्यम से खड़ा करना तथा अधिक से अधिक स्टेवायर का प्रयोग सुनिश्चित करना। विभाग में अपने विभागीय उपयोग के लिए आपदा चेतावनी तंत्र विकसित करना।

पंचायती राज विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाओं में (बाढ़, सुखाड़, आंधी-तूफान, ठनका, भारी वर्षा, भूकम्प, अगलगी, जंगली जानवरों का आतंक, भीत लहर)	संभावित आपदाओं के सन्दर्भ में क्षेत्र में समुदाय के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करना।	जोखिम कम करने के लिए आपदा से बचाव एवं न्यूनीकरण हेतु ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना।	प्रत्येक स्तर पर विभाग के अन्दर आपदा प्रकोष्ठ का गठन तथा आपदा प्रबन्धन के लिए अलग से कोष का आवंटन, ताकि आपात स्थिति में त्वरित कार्यवाही हो सके।
	विभिन्न आपदाओं एवं उससे निपटने के उपायों पर चुने गये पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित करवाना।	खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित करके मरम्मत कराना सुनिश्चित करना।	आपदा प्रबन्धन विभाग के साथ समन्वय बनाने हेतु सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।
	बहु आपदाओं के उपर विभिन्न माध्यमों जैसे – फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, पपेट शो आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना।	बाढ़ आपदा के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डूब क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का उच्चीकरण करवाना।	आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन सुनिश्चित करना।
	आपदा सम्भाव्य सभी क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यक्रमों में आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन को शामिल करना। पंचायत स्तर पर जागरूकता प्रसारित करना कि आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, ठनका आदि	गांव का उच्चीकरण करवाना। आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग सामुदायिक	बाढ़ आपदा के दौरान शरण लेने हेतु सुरक्षित शरणस्थली की पहचान करना तथा पूर्व में बने शरणस्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करना। पंचायत स्तर पर उपलब्ध नाव एवं नाविकों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार करना।

	की आशंका होने पर लोग पेड़ों के नीचे तथा कमजोर मकानों या अन्य ढांचों के नीचे शरण न लें।	शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
	समुदाय के अन्दर नियम के अनुसार सुरक्षित घर बनाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना।	ग्रामीण संरचनाओं की देख-रेख हेतु ग्राम स्तरीय कमेटी का निर्माण करना तथा उनसे निरन्तर संवाद स्थापित करना।	बाढ़ आपदा के दौरान शरण लेने हेतु सुरक्षित शरणस्थली की पहचान करना तथा पूर्व में बने शरणस्थलों की मरम्मत सुनिश्चित करना।
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं समुदाय के उत्साही लोगों को प्रशिक्षित करना।		बाढ़ के दौरान सम्पर्क मार्गों एवं संवाद व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाये रखने हेतु पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत स्तर पर आपदा से निपटने के लिए तकनीकों, संवाद, भण्डारण एवं बचाव उपकरणों को सुदृढ़ करना।

सड़क निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़ एवं सड़क दुर्घटना	ग्रामीण क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना सुनिश्चित करना।	आपदा प्रभावित/अति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर रिस्पान्स किये जाने हेतु जोन/सेक्टर में बांटकर कार्य योजना का निर्माण करना व संभावित आपदाओं से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों तक जाने वाले मुख्य मार्गों/सम्पर्क मार्गों की पहचान करना।	विभाग में आपदा चेतावनी प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन के लिए नोडल अधिकारी नियत करना।
	जल संचयन हेतु तालाब, पोखरा की गहराई बढ़ाने में मनरेगा से जुड़ाव सुनिश्चित करना।	यह सुनिश्चित करना कि सभी मुख्य व सम्पर्क मार्ग बाढ़ आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बने हों तथा समय-समय पर उनकी सेफ्टी आडिट कराना।	एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट के अनुसार विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा एस0डी0आर0एन0वेबसाइट को अपडेट किया जाना।
	ग्राम पंचायत के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मानव रहित रेलवे फाटकों पर उचित चिन्हों एवं दिशा-निर्देशों को अंकित करना तथा उचित प्रकाश की व्यवस्था करना।	आपदा के दौरान किये गये कार्यों से हुए अनुभवों को दस्तावेजित करना आगामी आपदा प्रबन्धन योजना में समाहित करना।	आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न रास्तों तथा राहत सामग्रियों के भण्डारण हेतु आपदा से सुरक्षित स्थलों की पहचान करना तथा विभाग के जिम्मेदार पद के पास मानचित्र तैयार रखना।
	विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने हेतु विभागीय स्तर पर आपदा समिति का गठन एवं क्षमता वर्धन करना। ताकि किसी भी आपदा के समय तत्काल क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।	आवागमन एवं सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य आपदाप्रोधी मानकों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित हो।।	निजी व्यक्तियों/वेण्डरों के साथ समन्वयन बैठक कर उनके पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मानचित्रण करना
	सुरक्षित वाहन चालन हेतु सड़क के किनारों पर उचित मानक संकेतों व दिशा- निर्देशों को अंकित करना।	जिले में स्थित सभी पुल-पुलिया को भूकम्पप्रोधी बनाना सुनिश्चित करना औरऔर समय-समय पर उनकी सुरक्षा आडिट कराना।	
		सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु मुख्य मार्गों के अन्तर्गत पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए लेन निर्धारित करना।	

अग्निशमन / दमकल विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं (बाढ़, आंधी-तूफान, ठंढा, भारी वर्षा, भूकम्प, अगलगी)	विशेषकर बाढ़ आपदा के दौरान खोज एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने हेतु कर्मियों का क्षमतावर्धन करना।	विगत पांच वर्षों के दौरान जिले में हुई अगलगी की घटनाओं के आधार पर पंचायत स्तर पर सम्वेदनशीलता आकलन करना।	समस्त दमकलों एवं उसके यंत्रों तथा अन्य उपकरणों की सतत् जांच परख करना तथा खराब पड़े यंत्रों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करना।
	अग्नि सुरक्षा उपकरणों एवं बचाव कार्यों में सहयोगी उपकरणों के संचालन पर कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।	विभाग का विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना सुनिश्चित करना।	डी0डी0एम0ए0, ई0ओ0सी0 एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु विभाग स्तर पर नोडल का चयन एवं नामित करना।
	अग्नि शमन विभाग के टोल फ्री नं0 101 का प्रचार-प्रसार करना।	लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग से समन्वय स्थापित कर सर्वाधिक नाजुक प्रखण्डों में संकुल बनाकर (प्रत्येक दो-दो किमी0 पर) फायर हाइड्रेंट की स्थापना करना।	सभी सरकारी एवं निजी भवनों में अग्नि कांड से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री जैसे बालू, केमिकल, जल आपूर्ति आदि की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।
	आपदा के संभावित जोखिमों तथा उसे कम करने के उपायों के सम्बन्ध में विभिन्न हितभागियों के बीच जागरूकता पैदा करना।	मानव संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।	प्रति वर्ष अग्नि आपदा से बचाव हेतु पूर्वाभ्यास आयोजित करना व वर्ष में दो बार अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाना
	विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों, कार्यालयों एवं संस्थानों की विद्युत सुरक्षा आडिट करना।	सुरक्षा आडिट के संस्तुत मानकों के उपायों के क्रियान्वयन का फालोअप करना।	
	फायरमैन का समय-समय पर प्रशिक्षण।	थाने स्तर पर अग्नि सुरक्षा उपकरणों, दमकलों की तैनाती सुनिश्चित करना।	
	अग्नि के कारणों, बचाव आदि के बारे में स्कूलों आदि के माध्यम से जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करना।		

खाद्य आपूर्ति विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	जन वितरण प्रणाली सशक्त बनाते हुए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।	आपदा के बाद समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकानों को समय से खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	जिले के अन्दर स्थापित सभी पेट्रोल, डीजल, किरासन, एलपीजी वितरण केंद्रों को बाढ़ आपदा से बचाव हेतु "क्या करें" व "क्या न करें" के उपायों पर जानकारी देना।	बाढ़ आपदा के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को संशोधित दर से अनुदान देना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या1/प्रा0आ0-36/2002/4154/आ0प्र0 दिनांक 18/9/13 व 1/प्रा0आ0-36/2002/4155/आ0प्र0 दिनांक 18/9/13)	सभी गोदामों, कार्यालयों, राशन की दुकानों आदि तक पूर्व चेतावनी/सूचना पहुंचाने की व्यवस्था करना।
		बिहार सरकार द्वारा संचालित संशोधित "शताब्दी अन्न कलश योजना" से जुड़ाव स्थापित कर प्रभावितों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/आ0प्र0यो0-13/2010/2588/आ0प्र0 दिनांक 24/7/14)	बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आवश्यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/प्रा0आ0-16/2012/4095/आ0प्र0 दिनांक 14/11/14)

		सभी पंचायतों में शताब्दी अन्न कलश योजना के अन्तर्गत एक-एक कुन्तल खाद्यान्न रिवाल्विंग स्टॉक के रूप में चिह्नित जन वितरण प्रणाली दुकानों पर जमा रखना ताकि भूख से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। (शासनादेश संख्या 01/प्रा0आ0-27/2013/4156 /आ0प्र0 पटना-15 दिनांक 18/9/13 व पत्रांक 2489/आ0प्र0 दिनांक 17/7/14) बाढ़ आपदा के दौरान किये गये कार्यों के अनुभवों को दस्तावेजित करना ताकि आगामी रणनीति को और बेहतर बनाया जा सके। बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में विभाग की क्षमता का आकलन करना एवं तदनुसार जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करना। यह सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, कार्यालय बाढ़ आपदा से बचाव हेतु उंचे स्थानों पर स्थित हों एवं नवीन गोदामों, भवनों आदि को उंचे स्थल पर बनाना सुनिश्चित करना। बाढ़ आपदा संभावित क्षेत्रों में सुरक्षित स्थानों पर स्थित जन वितरण प्रणाली की दुकानों को चिह्नित करना।	समुदाय के कमजोर संवर्ग जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समूह, गर्भवती महिलाओं, बच्चों, वृद्धों की पहचान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से करना (जिन्हें अतिरिक्त आहार एवं पोषाहार की आवश्यकता पड़ती है)। सूखा भोजन जैसे चिउरा, लाई, भूजा आदि का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण सुनिश्चित करना। आपदा के समय वस्तुओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता हेतु थोक व्यापारियों से रेट कान्ट्रैक्ट कर लेना।
सुखाड़	आपदा के बाद समुदाय की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जन वितरण प्रणाली की दुकानों को समय से सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।		जिले में सुखाड़ स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग में 24 घण्टे कार्यरत रहने वाले विशेष नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/प्रा0आ0-27/2013/4472 दिनांक 1/10/13)
भूकम्प	नये बनने वाले गोदामों, भवनों, कार्यालयों को भूकम्परोधी बनाना।	भूकम्प आपदा के पश्चात् अति जरूरतमंद परिवारों को संशोधित दर से अनुदान देना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1/प्रा0आ0-36/2002/4155/आ0प्र0 दिनांक 18/9/13) भूकम्प आपदा में क्षतिग्रस्त हुए भवनों, कार्यालयों आदि का भूकम्परोधी मानकों के अनुसार जल्द से जल्द मरम्मत सुनिश्चित कराना।	
अगलगी		गोदामों में अगलगी की घटना न हो, इसके लिए उपाय सुनिश्चित करना। अग्नि आपदा के सन्दर्भ में विभाग की क्षमता का आकलन करना एवं तदनुसार जोखिम कम करने की रणनीति तैयार करना। पूर्व अनुभवों के आधार पर यह सुनिश्चित करना कि अग्नि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित जनवितरण प्रणाली की दुकानें अग्नि आपदा से सुरक्षित स्थानों पर हों।	

भवन निर्माण विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सभी आपदाएं (बाढ़, भूकम्प, आंधी-तूफान, ठनका, अगलगी)	सम्बन्धित सभी विभाग भवन निर्माण करते हुए विभागीय भवन निमाण सहिता का पालन करे।	यह सुनिश्चित करना कि नये बनने वाले भवन भूकम्प एवं बाढ़ की दृष्टि से सुरक्षित हों।	विभाग के अन्दर आपदा प्रकोष्ठ का गठन कर अलग से कोष की स्थापना एवं उसमें धन का प्रावधान हो ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके।
	सार्वजनिक संरचनाओं की देखभाल व समयानुसार मरम्मत कार्य सुनिश्चित करना।	विभाग के अन्दर मुख्यालय स्तर पर गठित निरूपण सेल द्वारा नये बनने वाले भवनों वाले स्थलों की मिट्टी जांच करना ताकि जांच के आधार पर संस्तुत तकनीक के अनुसार आंधी तूफान से बचाने वाले भूकम्परोधी भवनों का निर्माण किया जा सके।	जनपद में उपलब्ध भारी निर्माण उपकरणों की सूची तैयार करना तथा पर्याप्त निर्माण सामग्रियों का भण्डारण सुनिश्चित करना।
		आंधी-तूफान आने से पहले भवनों के आस-पास स्थित पेड़ों की बड़ी डालियां या कमजोर पेड़ों को काटना सुनिश्चित करना। जिससे आंधी आने की स्थिति में नुकसान कम से कम हो।	संरचनात्मक बचाव उपायों पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सलाह देते रहना।
	कमजोर संरचना तथा बिना भूकम्परोधी तकनीक वाले महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को चिन्हित कर रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करना।	नये विकास कार्यक्रमों को डी0आर0आर से जोड़ना ताकि भविष्य में जोखिम को कम किया जा सके।	विभाग में उपलब्ध वाहनों की सूची तैयार रखना व यह सुनिश्चित करना कि वे क्रियाशील रहें।
	सभी विभागीय कर्मचारियों को भवन सुरक्षा विषयक प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करना।	आपदा घटित होने की दशा में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके सम्बन्ध में संबद्ध कार्यालयों व लोगों को सूचना देना।	विभाग के समस्त संसाधनों (मानवीय, वित्त, सामग्री) का रोस्टर रखना जिसका इस्तेमाल आपदा जोखिम कम करने तथा आपात स्थिति से निपटने के कामों में किया जा सके।
	भवन निर्माण कार्य में लगे राजमिस्त्री एवं मजदूरों को भूकम्परोधी भवन के निर्माण हेतु सतत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करना।	मकानों, झोपड़ियों को अधिक से अधिक आंधी/तूफान/ ओलावृष्टि रोधी बनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करना।	जीर्ण-शीर्ण सरकारी भवनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, गोदामों आदि को चिन्हित कर उसे परित्यक्त (Abandon) घोषित करना। विभाग द्वारा अपने सभी संचार यन्त्रों को चालू हालत में रखना। पंचायत व प्रखण्ड स्तर पर सरकारी भवनों को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए मरम्मत व निर्माण सुनिश्चित करना।

lwpuK ,oa tu lEidZ foHkx lfgr lwpuK rduhd ,oa ch0,l0,u0,y0 fcgkj

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में टावर व खम्भे की डिजाइन बाढ़ को ध्यान में रखकर तैयार करना।	आपदा के दौरान प्राप्त होने वाले अनुभवों/सीखों को दस्तावेजित कर आगामी कार्य योजना में समाहित करना।	आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा प्रबन्धन कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर आयोजित माकड्रिलों में सहभाग करना।	आपदा से निपटने हेतु विभाग में पावर बैकअप के लिए उर्जा के वैकल्पिक स्रोत को तैयार रखना।	दूसरे प्रासंगिक विभागों, नोडल व सपोर्ट एजेंसियों, जिला आपदा प्रबन्ध अभिकरण के साथ मिलकर बाढ़ की पूर्व चेतावनी देने हेतु तंत्र विकसित

		करने के लिए सम्पर्क स्थापित कर समन्वय बनाना।
	आपात स्थिति में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए हैम रेडियो, सामुदायिक नेटवर्क आदि वैकल्पिक तंत्र विकसित करना।	यह सुनिश्चित करना कि टेलीफोन, वायरलेस आदि चालू हालत में हैं और बाढ़ के समय भी चालू हालत में रहें।
	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु जिले स्तर पर इण्टरनेट की व्यवस्था को चाक-चौबन्द करना ताकि सूचनाओं का प्रसारण आसानी से एवं तत्काल सुनिश्चित हो सके।	बाढ़ आपदा से सम्बन्धित पूर्व सूचनाएं समुदाय/मोबाइल उपभोक्ता तक देने हेतु प्रसारण कैप्शन के उपयोग करने का तंत्र विकसित करना।
	आपदा के दौरान व बाद में राहत कार्यों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु एक टोल फ्री नं० तैयार कर प्रसारित करना।	
भूकम्प	भूकम्प आपदा के लिए विभागीय स्तर पर बनाये नवीन तकनीकी व्यवस्था के ऊपर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। यह भी सुनिश्चित करना कि विभाग के सभी भवन भूकम्परोधी हों एवं बीएसएनएल टावर या सेटअप स्थापित करने में भूकम्परोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो।	भूकम्प आपदा के दौरान संचार व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिए नये तकनीकों को अपनाना।
अगलगी	विभाग के सभी कार्यालयों/भवनों/गोदामों में अग्निरोधी संयंत्र लगाना सुनिश्चित करना।	अग्नि आपदा से सम्बन्धित सूचनाएं मैसेज अलर्ट के माध्यम से समुदाय स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने हेतु विभाग के स्तर पर चेतावनी तंत्र विकसित करना।

शिक्षा विभाग

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़	प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक अध्यापक एवं 10-12 बच्चों को चिन्हित कर आपदा टीम के रूप में गठित कर उन्हें विभिन्न आपदाओं के ऊपर प्रशिक्षित करना, जो प्रत्येक आपदा में ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने के लिए जिम्मेदार हों। साथ ही वह टीम प्रत्येक स्कूल में बच्चों को आपदा के ऊपर प्रशिक्षित करने का कार्य भी करे।	सभी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबन्धन योजना बनाना। (आपदा प्रबन्धन योजना बनाते समय लड़कों एवं लड़कियों के लिए स्वास्थ्य, भौतिक एवं मानसिक सुरक्षा, नियमित उपस्थिति आदि के बिन्दुओं को अलग-अलग कर देखना।)	विभाग में आपदा प्रबन्धन हेतु एक प्रकोष्ठ बनाना तथा आपदा प्रबन्धन शिक्षा विभाग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
	बाढ़ आपदा की दृष्टि से नये बनने वाले भवनों की नींव को बाढ़ की अधिकतम उंचाई से अधिक ऊँचा तथा सुरक्षित ऊँचे स्थलों पर बनाना।	आपदा के दौरान मिड-डे-मील योजना सुचारु रूप से संचालित करवाना।	जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के असुरक्षित विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना।
	प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना।	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालयों में स्थित जलस्रोतों (टैप या हैंडपम्पों) का उच्चिकरण करना।	स्कूल आपदा प्रबन्धन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना।
	गांव स्तर पर उपस्थित रहने	मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में

	वाली आंगनबाड़ी, आशा, ममता आदि को आपदा सम्बन्धी रिफ्रेशर कोर्स कराना सुनिश्चित करना। छोटे बच्चों को चित्रों के माध्यम से आपदा की स्थितियों के बारे में जागरूक करना।	आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहले से बने विद्यालयों को ऊँचा करना। मनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुँच मार्गों को उंचा व पक्का करना। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के कारण बच्चों/शिक्षकों के उपर पड़ने वाले मानसिक प्रभावों को कम करने हेतु उपयुक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित करना। आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की स्कूल आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण में समाहित करना।	लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहाँ के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं० की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे सम्पर्क करने में परेशानी न हो।
			बाढ़ के दौरान शरणस्थली में शिक्षा का प्रबन्धन सुनिश्चित करना।
अगलगी	स्कूल भवनों में अग्नि शमन यन्त्र अनिवार्य रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करना। यदि स्कूल भवन बहुत बड़ा हो तो पानी लेने का पाइप वाल्व लगाया जाना सुनिश्चित करना। आग लगने की स्थिति में बचाव हेतु अपनाये जाने वाले उपायों पर बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाना व समय-समय पर (विशेषकर गर्मियों से पहले) पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना। अगलगी आपदा से बचाव हेतु स्कूलों में माकड्रिल करवाना।	अगलगी आपदा के दौरान विद्यालय से बाहर जाने वाले रास्तों का स्पष्ट चिन्ह उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करना। स्कूल स्टाफ एवं बच्चों को फायर ब्रिगेड के टेलीफोन नं० व टोल फ्री नं० उपलब्ध कराना।	स्कूल भवनों में निश्चित स्थान पर बालू भरी बाल्टियाँ रखना सुनिश्चित करना।
भूकम्प	नये बनने वाले विद्यालय भवनों को भूकम्परोधी व भवन निर्माण मानकों के अनुरूप बनाना। भूकम्प आपदा के ऊपर बच्चों के बीच जागरूकता प्रसार हेतु कार्य योजना बनाना व स्कूलों/कालेजों में समय-समय पर पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना। शिक्षकों व छात्रों के लिए समय-समय पर भूकम्प आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण आयोजित करना व स्कूलों में माकड्रिल करवाना।	भूकम्प आपदा के दौरान “क्या करें” व “क्या न करें” के उपायों का विद्यालय की दीवारों पर चित्रात्मक वर्णन करना सुनिश्चित करना। अगलगी आपदा के दौरान विद्यालय से बाहर जाने वाले रास्तों का स्पष्ट चिन्ह उल्लेखित किया जाना सुनिश्चित करना।	सभी स्कूलों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में भूकम्प आपदा एवं उससे बचाव सम्बन्धी जानकारियाँ शामिल करना व स्कूल सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश तैयार करना। (संलग्नक 18)
भीषण गर्मी		भीषण गर्मियों की स्थिति में विद्यालयों का संचलन सुबह की पाली में सुनिश्चित करना। यह प्रावधान सुनिश्चित करना कि यदि अधिक गर्मी पड़ रही तो प्रधानाचार्य गर्मियों की छुट्टी से पहले छुट्टी कर दें। सभी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था	

	अवश्य सुनिश्चित करना।	
--	-----------------------	--

परिवहन विभाग

आपदा	रोक-थाम / शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़, सड़क दुर्घटना	वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन करना एवं उन जोखिमों को कम करने के उपाय सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा से निपटने हेतु विभाग में आपदा समिति एवं आपदा कोष का निर्माण करना ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
	विभिन्न आपदाओं की स्थितियों से निपटने हेतु विभागीय कर्मचारियों तथा मुख्य हितभागियों का समय-समय पर माकड्रिल आयोजित करना।	सड़क यातायात सुरक्षा से सम्बन्धित दिशा निर्देश जारी करना। (संलग्नक 19)
	वाहन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा जिले के अन्य मुख्य मार्गों पर आबादी वाले क्षेत्रों में वाहन की गति सीमा निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा के समय कार्य करने वाले सभी महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बरों, परिवहन के साधनों, ड्राइवरों, कंडक्टरों, नाव, मोटरबोट चालकों आदि की पहचान कर सूची तैयार करते हुए आपदा के समय उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना।	मानसून से पूर्व सभी सरकारी व व्यक्तिगत नावों का पंजीकरण करना। पंजीकरण के दौरान आदर्श नौका नियमावली 2011 का पालन सुनिश्चित करना।
	चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य कर सड़क दुर्घटना को कम करने में सहयोग करना।	यह सुनिश्चित करना कि विभाग के पास उपलब्ध सभी वाहन मानकों को पूर्ण करते हों।
	सड़क मानकों का अनुपालन करने के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर स्वास्थ्य विभाग के समन्वयन से ट्रामा सेण्टर, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की स्थापना करना।	राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु सामानों की ढुलाई के लिए सुरक्षित रस्ते की पहचान करना।
	अति व्यस्त सड़कों/ राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपरिगामी सेतु का निर्माण सुनिश्चित करना।	बाढ़ आपदा के दौरान प्रशासन द्वारा मांग किये जाने पर वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा इस हेतु ईंधन के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग से समन्वय स्थापित करना। (शासनादेश संख्या 1प्रा0आ0-16/2015/521/ आ0प्र0 दिनांक 27/4/15) आपदा आने की स्थिति में वाहनों की उपलब्धता हेतु पहले से ही विभिन्न वाहन स्वामियों/संगठनों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करना। यातायात एवं सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन त्रैमासिक आधार पर किया

		जाना सुनिश्चित करना
--	--	---------------------

शहरी विकास विभाग /नगर परिषद /नगर पंचायत

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
सामान्य कार्य		शहरी क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं से होने वाले जोखिमों की पहचान, उन पर समझ विकसित करना तथा उनका विश्लेषण कर शहर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करना। विभाग की विकासीय योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों को समाहित करना।	
शहरी बाढ़	बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए मल एवं जल की निकास प्रणाली का निर्माण कराना नगरीय स्तर पर कूड़ा प्रबन्धन करने हेतु विकेन्द्रित व्यवस्था अपनाना। इस हेतु वार्ड स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली को समुदाय के सहयोग से संचालित करना। पुराने जर्जर भवनों एवं विद्युत पोलों, टावरों को नष्ट करने हेतु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्थान एवं विभागों को नोटिस देना। डी0आर0आर0 रोडमैप के अनुसार रिजिलियेन्स सिटी विषय के अन्तर्गत सुझाये गये कार्यों एवं मानकों के अनुसार विकास को बढ़ावा देना।	शहरी क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित एवं जल-जमाव वाले क्षेत्रों की पहचान करना। बाढ़ एवं जल-जमाव ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु प्रोत्साहित करना। लाइफ लाइन भवनों एवं सड़क पुल, जलापूर्ति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण संरचनाओं को बाढ़ सुरक्षित करना तथा उन्हें आपदारोधी बनाना सुनिश्चित करना। जल-जमाव अथवा बाढ़ से प्रभावित हो सकने वाले वार्डों में स्थित पेयजल स्रोतों का उच्चीकरण	जल-जमाव वाले क्षेत्रों से जमा पानी निकासी के लिए पम्पसेटों का रख-रखाव ठीक रखना।
भूकम्प	भूकम्प से बचाव के लिए भूकम्परोधी भवन निर्माण कानून को कठोरता से लागू किया जाना पुराने जर्जर भवनों को ढहाकर उसे नया रूप देने जैसे डी0आर0आर0 उपायों को शहरी योजना में शामिल किया जाना।		भूकम्प के बाद आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं की बहाली के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्व तैयारी होना सुनिश्चित करना।
शीतलहर			रिक्शाचालकों, दैनिक मजदूरों व अति गरीब व्यक्तियों के लिए रैनबसेरों/अस्थाई शरणस्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/4289/आ0प्र0 दिनांक 3/12/13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/5396/आ0प्र0 दिनांक 16/12/13) फुटपाथ पर निवास करने वाले गरीब, रिक्शाचालकों, दैनिक मजदूरों,

		निःसहाय व्यक्तियों के बीच पर्याप्त मात्रा में कम्बल का वितरण सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36 /2011/4289/आ0प्र0 दिनांक 3/12/13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/5396/आ0प्र0 दिनांक 16/12/13)
		जिला से लेकर प्रखण्ड स्तर तक सभी शहरी व अर्ध शहरी क्षेत्रों में अलाव जलाने हेतु पर्याप्त मात्रा में लकड़ियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/4289/आ0प्र0 दिनांक 3/12/13 शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-36/2011/5396/आ0प्र0 दिनांक 16/12/13)
भीषण गर्मी	सार्वजनिक स्थानों पर गर्म हवाओं व लू से बचाव से सम्बन्धित जानकारीयां एवं सूचनाएं प्रसारित करना सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-20/2015/आ0प्र0 दिनांक)	सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय निकायों द्वारा प्याउ की व्यवस्था सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या 1 प्रा0आ0-20/2015/आ0प्र0 दिनांक)

ग्रामीण विकास विभाग (जीविका सहित)

आपदा	रोक-थाम	शमन	पूर्व तैयारी
बाढ़, अग्नि, भूकम्प, आंधी-तूफान, ठनका, सुखाड़	बिहार कोसी प्लड रिकवरी परियोजना के तहत गृह निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों के मुताबिक सरकारी आवास योजना जैसे इन्दिरा आवास योजना का लाभ लेने वाले लोगों को जोखिम प्रतिरोधी घर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।	आपदा प्रभावित लोगों को शरणालयों से वापस गांव में लौटने पर उनके लिए आजीविका सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा या इसी प्रकार की अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों से जुड़ाव सुनिश्चित करना	
	जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना।	मनरेगा योजना के अन्तर्गत कृषिगत भूमि से गाद या बालू हटाकर उसे पुनः खेती योग्य बनाना तथा भूमि के अनुरूप फसलों/प्रजातियों को बढ़ावा देना।	
	आपदा जोखिमों को समझने, आजीविका पर उसके पड़ने वाले प्रभावों, जोखिमों को मापने, आपदा से हुई क्षति का मुआवजा आदि पर समझ बनाने हेतु प्रखण्ड स्तर पर स्थानीय निकायों को प्रशिक्षित करने के लिए जीविका को एक "सुरक्षित आजीविका सन्दर्भ केन्द्र" के तौर पर विकसित करना।	जीविका के माध्यम से समूह से जुड़ी महिलाओं को फल एवं सब्जिया उगाने हेतु प्रशिक्षित करना तथा बेहतर कृषिगत तकनीकों को अपनाने हेतु समूह तैयार करना।	
	जीविका के अन्तर्गत तैयार समूहों की महिला सदस्यों को आजीविका के विभिन्न विकल्पों के ऊपर प्रशिक्षित करना।	समूह में कुछ प्रशिक्षित महिलाओं को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण एवं इससे जुड़े व्यवसायों के लिए तैयार करना। समूहों के लिए बाजार का नेटवर्क तैयार करना।	

अध्याय : 6

क्षमता वर्धन एवं प्रशिक्षण (Capacity Building and Training)

आपदा प्रबन्धन में क्षमता निर्माण एक प्रमुख घटक है, जो जिला आपदा प्रबन्धन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा स्थाई विकास के लिए आवश्यक है। क्षमता निर्माण का मुख्य उद्देश्य जिले के सभी हितधारकों का आपदा एवं उससे उत्पन्न जोखिमों के प्रति जानकारी बढ़ाना है ताकि जोखिम को कम करते हुए समुदाय को सुरक्षित बनाया जा सके। इससे लोगों में आपदा से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है और आपदा के प्रति अनुकूलन की क्षमता का विकास होता है। जिला स्तर पर प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए आपदा से जुड़े सभी हितभागियों की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि जागरूकता कार्यक्रमों, शिक्षा, शोध एवं विकास व व्यवस्थित प्रशिक्षण को शामिल करते हुए सुपौल जिला के लिए एक अप-टू-डेट जिला आपदा प्रबन्धन रिसोर्स इन्वेण्टरी बनायी जाये। बिहार राज्य डी0आर0आर0 रोडमैप एवं राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जिला पदाधिकारी पूरे जिले में प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों, लाइन डिपार्टमेंट्स, समुदाय, पंचायती राज संगठन, सामुदायिक संगठन, कम्प्यूटर इंजीनियर्स, राजमिस्त्री, नर्स, डाक्टरों, आशा, ममता, आंगनबाड़ी एवं अन्य विभिन्न हितभागियों के क्षमता निर्माण हेतु राज्य सरकार एवं बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर क्षमता विकास गतिविधियां संचालित करना सुनिश्चित करेगा।

इस दिशा में, बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण राज्य के सभी जिलों के आपदा से जुड़े विभिन्न हितभागियों को आपदा के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

6.1 संस्थागत क्षमता वर्धन

आपदा प्रबन्धन की अवधारणा में आमूल-चूल परिवर्तन होने के फलस्वरूप आपदा प्रबन्धन में केवल राहत एवं बचाव ही नहीं अपितु रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारियां, न्यूनीकरण, रिस्पान्स एवं पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण की गतिविधियां शामिल हो गयी हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नीतियों के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आवश्यक हो जाता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, नीति, राज्य योजना, जिला योजना एवं बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप आदि के विषय में व्यापक जानकारी दी जाये। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उनको आपदा रिस्पान्स के दौरान निर्धारित प्रशासनिक संरचनाओं तथा आपदा से निपटने हेतु विशेषज्ञ बलों (NDRF/SDRF) के कार्यों की भी जानकारी हो। विभागीय चर्चा एवं बैठकों के दौरान आपदाओं के नये-नये स्वरूपों को जानने-समझने तथा उनसे निपटने के उपायों पर जिलास्तरीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं फ्रंटलाइन सेवाप्रदाताओं का क्षमतावर्धन करने के विषय पर वार्ता की गयी। चर्चा के बाद विभिन्न विभागों/हितधारकों के द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण बिन्दुओं एवं संभावित लाभार्थियों की आवश्यकता उभरकर सामने आयी, जिसे तालिका संख्या 27 के माध्यम से दर्शाया गया है।

आपदा के दौरान प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े आला अधिकारियों का समय-समय पर क्षमतावर्धन कार्य किया जाना एक आवश्यक गतिविधि है। इसके अन्तर्गत जिले से कुल 12 प्रशासनिक अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न घटकों- रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, रिस्पान्स एवं पुनर्निर्माण के ऊपर बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारी शरीफ, पटना में प्रशिक्षित किया गया। (संलग्नक 20)

इसके साथ ही वर्ष 2022-2023 के अन्तर्गत बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा रोक-थाम, शमन एवं पूर्व तैयारी के सन्दर्भ में निम्न विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे समुदाय, पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य हितभागी लाभान्वित हो रहे हैं –

- नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- नौकाओं के सर्वेक्षण/निबंधन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों के लिए भूकम्परोधी निर्माण एवं रेद्रोफिटिंग तकनीक से सम्बन्धित प्रशिक्षण
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आपदा में पशुओं का प्रबन्धन पर पशु चिकित्सा पदाधिकारियों का चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जिलों में प्रत्येक स्कूल में फोकल शिक्षक एवं बाल प्रेरकों का प्रशिक्षण

तालिका 27 : विभागवार अपेक्षित प्रशिक्षण विषय एवं लाभार्थियों की सूची

विभाग द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण के विषय	लाभार्थी		
	संस्थान	सामुदायिक संगठन	प्रोफेशनल्स
आपदा प्रबन्धन विभाग			
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण समन्वय - पूर्व चेतावनी एवं सूचना तकनीक की भूमिका - खतरा, जोखिम, सम्बेदनशीलता एवं क्षमता आकलन - विकासीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश	विभागीय पदाधिकारी	स्वैच्छिक संगठन	इन्जीनियर वास्तुविद डाक्टर
समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन	- अंचल पदाधिकारी - प्रखण्ड पदाधिकारी - पशु चिकित्सा पदाधिकारी - होमगार्ड्स	- स्वैच्छिक संगठन - आपदा प्रबन्धन समिति के सदस्य - नेहरू युवा केन्द्र - रेडक्रास सोसायटी - त्वरित रिस्पान्स टीम के सदस्य - ग्राम स्तर पर गठित स्वास्थ्य समिति के सदस्य	मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, समुदाय, रिटायर्ड सैनिक, शिक्षक एवं स्वास्थ्य कर्मी
कृषि विभाग			
वैकल्पिक खेती तकनीक - मिश्रित खेती - गृहवाटिका - सूखा, बाढ़, कीट/व्याधि रोधी प्रजातियां - पादप रोग एवं उसका प्रबन्धन - सुरक्षित खेती अभ्यास - एकीकृत खेती	- पंचायत कृषि सलाहकार - प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी - एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी) - प्रखण्ड स्तर पर पादप सुरक्षा पदाधिकारी	- किसान क्लब के सदस्य - स्वयं सहायता समूह	कृषि सलाहकार, प्रगतिशील किसान, के0वी0के0 वैज्ञानिक
पशुचारा प्रबन्धन - साइलेज, हे बनाने व भण्डारण की विधि - पशुचारे की अर्न्तफसली (Intercropping) - स्थान का चयन एवं पशुचारा भण्डारण	- पशुपालन पदाधिकारी - पंचायत कृषि सलाहकार, - प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी - एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी) - पंचायत सेवक - राजस्व कर्मचारी	- पशु प्रसार अधिकारी - किसान क्लब - स्वयं सहायता समूह	किसान, पशुपालक
खाद्यान्न उपलब्धता - सामुदायिक अनाज व चारा बैंक की स्थापना - अनाज बैंक संचालन समिति का प्रशिक्षण	- पंचायत सचिव - राजस्व कर्मचारी - एस.डी.ओ. कृषि	- स्वयं सहायता समूह - व्यापारीगण - पंचायत समितियां	किसान, मुखिया, सरपंच

कम लागत तकनीक खेती - जैविक खेती को बढ़ावा - कम्पोस्टिंग - टपक (Dripp) एवं बौछारी (Sprincular) सिंचाई - स्थानीय बीज उत्पादन	- पंचायत कृषि सलाहकार - प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी - एस.डी.ओ. कृषि (अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी) - प्रखण्ड स्तर पर पादप सुरक्षा पदाधिकारी - लघु सिंचाई कर्मचारी	- किसान क्लब के सदस्य - स्वयं सहायता समूह	कृषि सलाहकार, प्रगतिशील किसान
खाद्य प्रसंस्करण - फल सब्जी प्रसंस्करण - मूल्यवर्धन एवं विपणन	- जिला उद्यान पदाधिकारी - बागवानी पदाधिकारी	- स्वयं सहायता समूह - किसान क्लब के सदस्य	प्रगतिशील किसान
आपदा क्षति आकलन खण्ड पंचायत स्तर पर आपदा आकलन करने हेतु प्रशिक्षण	- राजस्व कर्मचारी - कृषि पदाधिकारी		प्रधान
पशुपालन विभाग			
आपदा पूर्व टीकाकरण एवं पशु रोगों से बचाव व निदान	- जिला पशुपालन पदाधिकारी - पशुधन प्रसार अधिकारी		पशुपालक, मुखिया, सरपंच
पशुपालक, डेयरी व मछली पालन से जुड़े विभागों का रख-रखाव व बेहतर गुणवत्तापूर्ण प्रबन्धन	- पशुपालन पदाधिकारी - मत्स्य पदाधिकारी - ड्रेसर - पशुधन सहायक - कम्पाउण्डर	स्वयं सहायता समूह के सदस्य	पशुपालक, मत्स्यपालक
भवन निर्माण विभाग			
रैपिड विजुअल सर्वे, भूकम्प/बाढ़रोधी सुरक्षित भवन निर्माण प्रक्रिया एवं रेड्रोफिटिंग तकनीक	- कार्यपालक अभियन्ता - अधिशासी अभियन्ता		स्थानीय राजमिस्त्री, वास्तुविद, मास्टर ट्रेनर/संवेदक
शिक्षा विभाग			
स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम - स्कूल आपदा प्रबन्धन योजना - नुकसान एवं आवश्यकता आकलन - मॉकड्रिल	- जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) - जिला परियोजना पदाधिकारी (स्थापना) - जिला परियोजना पदाधिकारी (मध्यान्ह) - डायट के सदस्य	- स्कूल शिक्षक संघ के सदस्य - शिक्षा समिति के सदस्य	प्रधानाचार्य, अध्यापक, चयनित फोकल अध्यापक, छात्र/छात्राएं
अग्निशमन विभाग			

अगलगी से बचाव के अभिनव तकनीकों तथा भवनों की सुरक्षा आडिट	- अग्नि सम्पदा अधिकारी - फायरमैन - जिला आपदा प्रबन्धन पदाधिकारी - एन0एस0एस0 व एन0सी0सी0	- दुकानदार/व्यवसायिक संगठन - हाउसिंग सोसायटी - स्थानीय स्वैच्छिक संगठन	वार्ड सदस्य, पेट्रोल पम्प मालिक व कार्यकर्ता
परिवहन विभाग			
आपदा में जीवन सुरक्षा तकनीकों एवं मानकों का पालन एवं उपयोग	सरकारी वाहन चालक परिचालक		वाहन/नाव स्वामी, व चालक, मास्टर ट्रेनर
स्वास्थ्य विभाग			
अस्पताल सुरक्षा - अस्पताल आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण - विभाग के अन्दर नुकसान एवं आवश्यकता आकलन	- जिला असेनिक एवं शल्य चिकित्सा पदाधिकारी - पैथालिजस्ट/टेक्नीशियन - जिला अस्पताल सुपरिटेण्डेण्ट - एम0ओ0आई0सी0	जिले में स्थित इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन के सदस्य	डाक्टर, आशा, ड्राइवर
त्वरित मेडिकल रिस्पान्स	- त्वरित मेडिकल रिस्पान्स टीम के सदस्य - पैरा मेडिकल स्टाफ - मोबाइल मेडिकल टीम के सदस्य - मनोवैज्ञानिक फर्स्ट एड टीम के सदस्य - कम्पाउण्डर	- रेडक्रास सोसायटी के कार्यकर्ता - विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकर्ता	आशा, एएनएम, ग्राम स्तरीय मोबिलाइजर
पंचायती राज विभाग			
राहत वितरण, आवास एवं कैम्प प्रबन्धन	- रोजगार सेवक - पंचायत सेवक - आंगनबाड़ी सेविका - पी0एच0ई0डी0 विभाग के क्षेत्र कर्मचारी	- पंचायत प्रतिनिधि - सामाजिक कार्यकर्ता - आपदा प्रबन्धन समिति सदस्य	आशा, चौकीदार, मुखिया, सरपंच, सेवानिवृत्त डाक्टर, सेवानिवृत्त सैनिक
ग्रामस्तरीय स्वास्थ्य एवं साफ सफाई	- पंचायत सेवक - राजस्व कर्मचारी - आंगनबाड़ी सेविका - ग्राम स्वास्थ्य, साफ-सफाई एवं पोषण समिति के सदस्य - पी0एच0ई0डी0 विभाग के क्षेत्र कर्मचारी	- पंचायत प्रतिनिधि - सामाजिक कार्यकर्ता	आशा, चौकीदार, सरपंच, स्थानीय नलकूप मिस्त्री

स्रोत : विभागीय चर्चा

6.2 जागरूकता

आपदा प्रबन्धन के प्रति लोगों की जागरूकता भी आपदाओं के शमन, रोक-थाम एवं पूर्व तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सन्दर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग एवं बिहार आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के सन्दर्भ में निम्न सुरक्षा सप्ताह एवं जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं –

- भूकम्प सुरक्षा सप्ताह :- भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के दौरान मॉकड्रील का कार्य कराया गया जिसमें समाहरणालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को इस बारे में जागरूक किया गया।
- बाढ़ सुरक्षा सप्ताह:- बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के दौरान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह अंचलवार मनाया गया और लोगो को जागरूक कराया गया।
- सड़क सुरक्षा सप्ताह:- जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न चौक-चौराहो एवं सार्वजनिक स्थलो, सरकारी कार्यालयों के समक्ष हॉलडिंग बैनर एवं फलैक्स के माध्यम से सड़क दुर्घटना के संबंध में लोगों को जागरूक कराया गया।
- अग्नि सुरक्षा सप्ताह:- से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला तक सभी पंचायतों में माईक सिस्टम के माध्यम से लोगो को जागरूक करने का कार्य कराया गया, इस घटना के बाद जिले में अग्निकांड की घटना कम हो गई।

इसके अतिरिक्त बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदाओं के सन्दर्भ में “क्या करें” और “क्या न करें” के उपाय भी सुझाये गये हैं।

इन उपरोक्त सुरक्षा सप्ताहों एवं आपदाओं से बचने के उपायों को समुदाय के बीच प्रसारित करने हेतु निम्न गतिविधियां अपनायी जा सकती हैं –

- स्कूलों, बाजारों, सिनेमाघरों, मॉलों आदि में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित पूर्वाभ्यास के माध्यम से।
- स्कूलों में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्वाभ्यासों के आयोजन के माध्यम से।
- आपदाओं के सन्दर्भ में वाद-विवाद, चित्रकला व पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से।
- स्थानीय हाट-बाजारों व चौराहों पर नुक्कड़ नाटक, लोक संगीत आदि के माध्यम से।

6.3 प्रशिक्षण

भूकम्प

भूकम्प से होने वाले क्षति को कम करने एवं उससे भवनों को होने वाले नुकसान से बचाव के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूर्व से तैयार प्रशिक्षण माड्यूल के तहत प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित कर भूकम्प रोधी भवनों का निर्माण कार्य का प्रशिक्षण कार्यपालक अभियंताओं तथा राज मिस्त्रीयों को दिया गया। जिनका सूची संलग्नक-22 में दिए गए हैं।

भूकम्प रोधी भवन के विषय पर अनुभवी राजमिस्त्रीयों का सात दिवसीय प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:-

क्र० सं०	अंचल का नाम	अनुभवी राजमिस्त्रीयों की संख्या	प्रशिक्षण की तिथि
1.	सिमरी बख्तियारपुर	30	07.01.2021 से 13.01.2021 तक
2.	पतरघट	30	18.03.2021 से 24.03.2021 तक
3.	कहरा	30	07.01.2021 से 13.01.2021 तक
4.	बनमा इटहरी	19	07.01.2021 से 13.01.2021 तक
5.	सोनवर्षा	30	18.03.2021 से 24.03.2021 तक
6	सत्तर कटैया	30	07.01.2021 से 13.01.2021 तक

भूकम्प रोधी जिलास्तरीय प्रशिक्षण दिनांक-06.01.2021 से 09.01.2021 तक 40 अभियंताओं को चार दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जो निम्नवत् है-

सहरसा जिला में चार दिवसीय भुकंप रोधी अभियंतो का प्रशिक्षण सूची।					
जिला का नाम:- सहरसा				Date from 06-01-2021 to 09-01-2021	
प्रतिभागियों का पंजीकरण तालिका					
क.स.	नाम	पदनाम	विभाग	प्रतिनियुक्ति स्थान	मोबाईल नम्बर
1	संजय प्रसाद	Assistant Professor Civil	Saharsa College of Engineering	सहरसा	9433189298
2	प्रेमचन्द कुमार	Junior Engineer Civil	Building Construction Department, Saharsa	सहरसा	9123201834
3	मिन्टर चौधरी	Junior Engineer (B)	Building Division, Saharsa	सहरसा	9431632019
4	मो० वजैर आलम	Junior Engineer Civil	Building Construction Department, Saharsa	सहरसा	7765048262
5	रामआशीष भारती	Junior Engineer (B)	Building Construction Department, Saharsa	सहरसा	9931450789
6	हरी नन्दन भक्त	Excutive Engineer	L.A.E.O	सहरसा	9431480332
7	अशोक कुमार	Excutive Engineer	Building Construction Department, Saharsa	सहरसा	9431194400
8	पवन कुमार	Assistant Engineer	Building Construction Department, Saharsa	सहरसा	79797009178
9	राम कुमार	Junior Engineer	R.W.D. Simri Bakhtiyapur	सहरसा	8809835307
10	अमीत कुमार	Junior Engineer	R.W.D. Simri Bakhtiyapur	सहरसा	9002914994
11	नागेन्द्र कुमार	Junior Engineer	R.W.D. Simri Bakhtiyapur	सहरसा	7277111942
12	चन्दू बैठा	Assistant Engineer	R.W.D. Simri Bakhtiyapur	सहरसा	7654228929
13	रामजीत राम	Assistant Engineer	R.W.D. Simri Bakhtiyapur	सहरसा	9934435922
14	नवीन कुमार	junior engineer	R.W.D. Simri Bakhtiyapur	सहरसा	9835044020
15	शशीभूषण कुमार	M.tech Scholar	NIT, Patna	पटना	8678072053
16	जनार्दन प्रसाद रजक	junior engineer	L.A.E.O	सहरसा	9431068245
17	शोएब अख्तर	junior engineer	R.W.D Work Division,Saharsa	सहरसा	9801600498
18	पंकज प्रसाद	junior engineer	R.W.D.Saharsa	सहरसा	930481459
19	सुनील कुमार	junior engineer	R.W.D Work Division,Saharsa	सहरसा	7403972710
20	नरेन्द्र सिंह	Assistant Engineer	Urban Devlopment, Budco, Saharsa	सहरसा	7482964066
21	अतुल कुमार पांडे	Assistant Engineer	Urban Devlopment & Housing Department	सहरसा	8340676236
22	अर्जून कुमार चौधरी	junior engineer	RCD, Saharsa	सहरसा	8825150918
23	रामधनी कुमार	junior engineer	RCD, Saharsa	सहरसा	9472824556
24	सिकेन्द्र कुमार	junior engineer	L.A.E.O	सहरसा	9470763793
25	रमन कुमार कामत	junior engineer	L.A.E.O	सहरसा	8210694289
26	नीतीश कुमार	junior engineer	N.P Simri Bakhtiyapur	सहरसा	7982986469

27	शैलेन्द्र कुमार	junior engineer	Building Construction Department, Saharsa	सहरसा	8969022600
28	ब्रजेश कुमार	junior engineer	L.A.E.O	सहरसा	8789666031
29	पप्पू कुमार	junior engineer	L.A.E.O	सहरसा	9973276449
30	गिरीश नारायण सिंह	Excutive Engineer	RCD, Saharsa	सहरसा	9470001362
31	अजय कुमार	Junior Engineer	RCD, Road Division, Saharsa	सहरसा	70046728289
32	सुनील कुमार	Assistant Engineer	RCD, Road Division, Saharsa	सहरसा	9162388801
33	अभिनन्दन कुमार अभय	Assistant Engineer	RCD, Road Division, Saharsa	सहरसा	9725793605
34	बालबहादुर कुमार साह	Assistant Engineer	L.A.E.O	सहरसा	6200901322
35	बबन सिंह	Junior Engineer	RCD, Saharsa	सहरसा	9431838325
36	मो० अजिमुदीन	Assistant Engineer	RCD, Road Division, Saharsa	सहरसा	9990374608
37	मनोज साह	Junior Engineer	R.W.D.Saharsa	सहरसा	8949025018
38	रवि शंकर कुमार	Junior Engineer	R.W.D.Saharsa	सहरसा	9931374093
39	सुनिल कुमार यादव	Junior Engineer	R.W.D. Simri Bakhtiyapur	सहरसा	9471657220
40	अनिल शर्मा	Excutive Engineer	Nagar Vikash Building Construction	सहरसा	8234391994

NDRF प्रशिक्षण

भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 15.08.2022 से 27.08.2022 तक 9वीं वाहिनी एन0डी0आर0एफ0 टीम द्वारा इस जिला में आपदाओं में कम समय में राहत एवं बचाव कार्य का सफल संचालन हेतु Familiarisation Exercise (Famex) प्रखंड महिषी, सलखुआ एवं सिमरी बख्तियारपुर अन्तर्गत विभिन्न स्थलों पर कराया गया। इसके अतिरिक्त जिला अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय के करीब 300 छात्रों को भी प्रशिक्षित किया गया।



SDRF प्रशिक्षण

SDRF टीम के द्वारा जिला स्तर पर जिला परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों, मुखिया, उपमुखिया, प्रमुख सहित सभी को प्रशिक्षण दिया गया साथ ही साथ SDRF टीम के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य के लिए बाढ़ प्रभावित अंचलों नवहट्टा, महिषी, सिमरी बख्तियारपुर, सलखुआ में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

संबंधित प्रखंडों के मुख्यालय में SDRF द्वारा निम्न तथि को प्रशिक्षण दिया गया है।

क्र.सं.	अंचल का नाम	प्रशिक्षण की तिथि
1	सलखुआ	04.06.2022
2	नवहट्टा	05.06.2022
3	बनमा ईटहरी	06.06.2022
4	सोनवर्षा	07.06.2022

जिला के 25 गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्य दिनांक-12.07.2022 से 15.07.2022 तक मोटर वोट संचालन एवम् राहत बचाव कार्य का प्रशिक्षण SDRF नवहट्टा के द्वारा दिया गया। जवानों ने प्रशिक्षण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मोटरवोट संचालन में अपना पूर्ण योगदान दिया।

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	प्रखण्ड	थाना	जिला	मोबाईल नंबर
1.	दाउद हेम्ब्रम	प्रधान हेम्ब्रम	के0 नगर	के0 नगर	पुर्णिया	9006806523
2.	दिलखुश कुमार	अरुण मंडल	भवानीपुर	भवानीपुर	पुर्णिया	9703595406
3.	निरंजन कुमार	स्व0 रितेश रविदास	कर्सैला	कर्सैला	कटिहार	9931933915
4.	मिथिलेश विश्वास	विक्रम विश्वास	डगरुवा	डगरुवा	पुर्णिया	8863030305
5.	बबलू कुमार	बैजनाथ सिंह	रूपौली	रूपौली	पुर्णिया	9608414180
6.	बबलू उरॉव	रघवीर उरॉव	बनमखी	बनमखी	पुर्णिया	9852727464
7.	फुलचन्द कु0 यादव	योगेन्द्र यादव	धमदाहा	धमदाहा	पुर्णिया	9162888325
8.	दाहुर शर्मा	जगदेव शर्मा	सिमरी बख्तियारपुर	बख्तियारपुर	सहरसा	7549492304
9.	अमरजीत कु0 साह	महेन्द्र साह	सिमरी बख्तियारपुर	सिमरी बख्तियारपुर	सहरसा	8699169029
10.	अजित कुमार	मज्जु प्र0 यादव	सलखुआ	सलखुआ	सहरसा	9631109881
11.	मो0 सफीक	मो0 इलियास	सतरकटैया	बिहरा	सहरसा	7367071721
12.	शम्भू प्र0 यादव	लक्ष्मी पंजियार	महिषी	महिषी	सहरसा	9472851675
13.	संजय कुमार	युगल मलाकार	नौहट्टा	नौहट्टा	सहरसा	6200535185
14.	पिकू कु0 शर्मा	सहदेव शर्मा	नौहट्टा	नौहट्टा	सहरसा	9570245928
15.	विवेक कु0 राम	सुबधन राम	नवहट्टा	नवहट्टा	सहरसा	9693413005
16.	शशि कुमार	केदार यादव	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	8102032615
17.	विकास कुमार	चन्द्रकिशोर यादव	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	9934852476
18.	राकेश कुमार रमण	सिंहश्वर यादव	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	7004141224
19.	पप्पू कुमार	सदानन्द प्र0 यादव	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	9608193268
20.	ज्योतिप कुमार	कोकाय यादव	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	8709399537
21.	उमेश कुमार	गंगाधर सुतिहार	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	887390605
22.	राजेश कुमार	परमेश्वर साह	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	8986057093
23.	सुनील कुमार	मोहन साह	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	7903776286
24.	सचिन्द्र कुमार	सुरेश यादव	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	8210439959
25.	नीरज कुमार	निर्मल यादव	सौरबाजार	सौरबाजार	सहरसा	9709941900



6.4 प्रस्तावित प्रशिक्षण

सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार पटना के पत्रांक-2058/प्रा0धि0 दिनांक-06.07.2022 के आलोक में जिला स्तर पर आपदाओं से बचाव हेतु जन जागरूकता एवं मॉकड्रील कार्यक्रम के लिए टीम का गठन किया गया है जो निम्नवत् है:-

समाहरणालय सहरसा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार पटना के पत्रांक 2068/प्राधि0, दिनांक 06.07.2022 के आलोक में जिला स्तर पर आपदाओं से बचाव हेतु जन जागरूकता एवं मॉकडिल कार्यक्रम के लिए टीम का गठन किया गया है, जो निम्नवत् है:-

1. जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, सहरसा। (टीम लीडर) मो0- 9473191928/8521262984
2. जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सहरसा। मो0-7858096292
3. कमाण्डेण्ट, एस0डी0आर0एफ0 नवहट्टा। मो0- 8210593771
4. कमाण्डेण्ट, एन0सी0सी0, सहरसा। मो0- 8437279201
5. सचिव, रेड क्रॉस सोसाईटी, सहरसा। मो0-9431243019
6. स्काउट एण्ड गाईड सहरसा। मो0-
7. दिशाएँ फाउन्डेशन सहरसा। मो0- 791889883
8. शोभा सेवा आश्रम, सहरसा। मो0- 7004943397
9. सुप्रभात महिला कल्याण संस्थान, सहरसा। मो0- 9113701887

उक्त टीम के सदस्यों के साथ सभी कर्मी मॉकडिल में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। मॉकडिल के लिए वार्षिक कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

क्र0	निर्धारित तिथि	स्थल का नाम	कार्यक्रम की रूप रेखा	अभ्युक्ति
1.	12.09.2022	प्रखंड मुख्यालय, सिमरीबख्तियारपुर के प्रांगण में।	• Drowning : SRDF	1. मॉकडिल के लिए Fire Extinguisher के साथ-साथ Fire Ball रहेगा।
2.	07.10.2022	हरिवल्लभ उच्च विद्यालय, सोनवर्षा के प्रांगण में।	• Road Safety : Sankalp Jyoti	2. Safety Jacket एवं Life Jacket की सं. 20-25 होगी।
3.	02.11.2022	प्रखंड मुख्यालय महिला के प्रांगण में।	• Earthquake : NDRF	3. Lighting के संदर्भ में Wheel को जोड़ा जाएगा।



ices
al rescue:
F
: police Dept
ent : SDRF
e : Health

रू0 प्रति सदस्य निर्धारित है।

ह0/-

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 896-2/आ0प्र0, सहरसा, दिनांक 21/08/2022 ई0।

- प्रतिलिपि :- टीम के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, नवहट्टा, सिमरीबख्तियारपुर, सोनवर्षा, कहरा, महिषी, बनमा ईटहरी, सतार कटैया, सलखुआ एवं सौराजारा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि को चिन्हित स्थल पर ससमय उपस्थिति रहकर मॉकडिल कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- प्राचार्य, एम0एल0टी0 कॉलेज, सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- नगर परिषद, सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा / सिमरीबख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार पटना को उनके पत्रांक 2058/प्राधि0 दिनांक 06.07.2022 के आलोक में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

26/08/22

6.4 प्रचार—प्रसार

अग्निकांड

से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला तक सभी पंचायतों में माईक सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कराया गया, इस घटना के बाद जिले में अग्निकांड की घटना कम हो गई।

क्र.स.	अंचल का नाम	प्रचार का विषय	प्रचार—प्रसार की तिथि
1	नवहट्टा	अग्निकांड	10.05.2022 से 14.05.2022 तक
2	सलखुआ	अग्निकांड	26.05.2022 से 28.05.2022 तक
3	बनमा ईटहरी	अग्निकांड	29.05.2022 से 30.05.2022 तक
4	महिषी	अग्निकांड	14.05.2022 से 18.05.2022 तक
5	सौरबाजार	अग्निकांड	01.05.2022 से 03.05.2022 तक
6	सोनवर्षा	अग्निकांड	03.05.2022 से 08.05.2022 तक
7	सत्तर कटैया	अग्निकांड	08.05.2022 से 10.05.2022 तक
8	सिमरी बख्तियारपुर	अग्निकांड	20.05.2022 से 25.05.2022 तक
9	पतरघट	अग्निकांड	18.05.2022 से 20.05.2022 तक

अध्याय : 7

रिस्पान्स योजना (Response Plan)

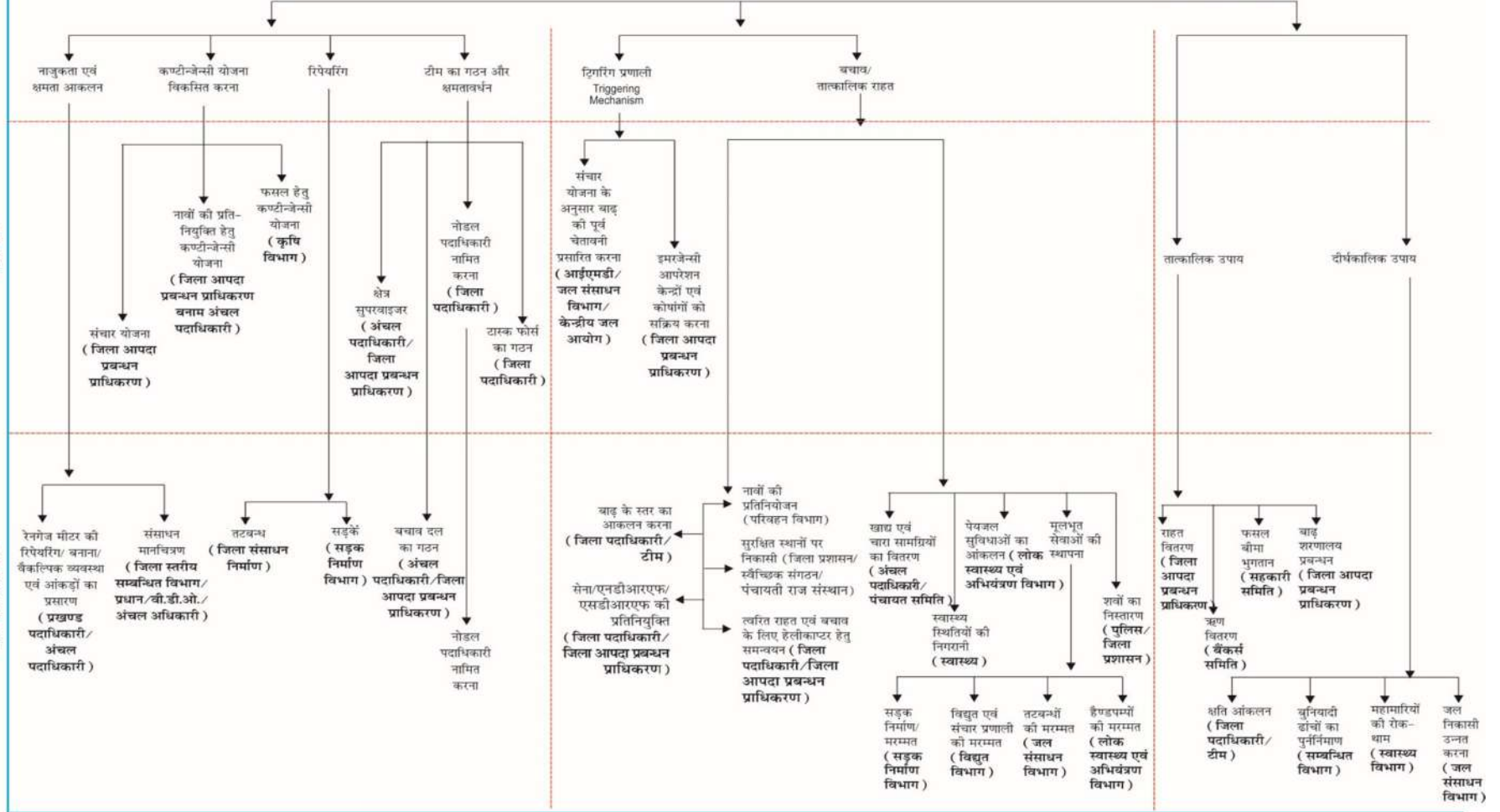
वर्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/एजेंसियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिल-जुल कर किया जाय। इसके लिए एक सुदृढ़ एवं व्यवहार्य आपदा रिस्पान्स योजना बनाने की आवश्यकता होगी। आपदा के दौरान जिला पदाधिकारी इन्सीडेण्ट कमाण्डर के तौर पर काम करेंगे और विभिन्न विभागों एवं उनमें नामित नोडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। इसे निम्न फ्लो चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं –

बाढ़ आपदा के तीनों चरणों में समन्वय तंत्र

जिला पदाधिकारी

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/टास्क फोर्स/प्रशासन
रिस्पांस

पुनर्स्थापना/पुनर्निर्माण/पुनर्प्राप्ति

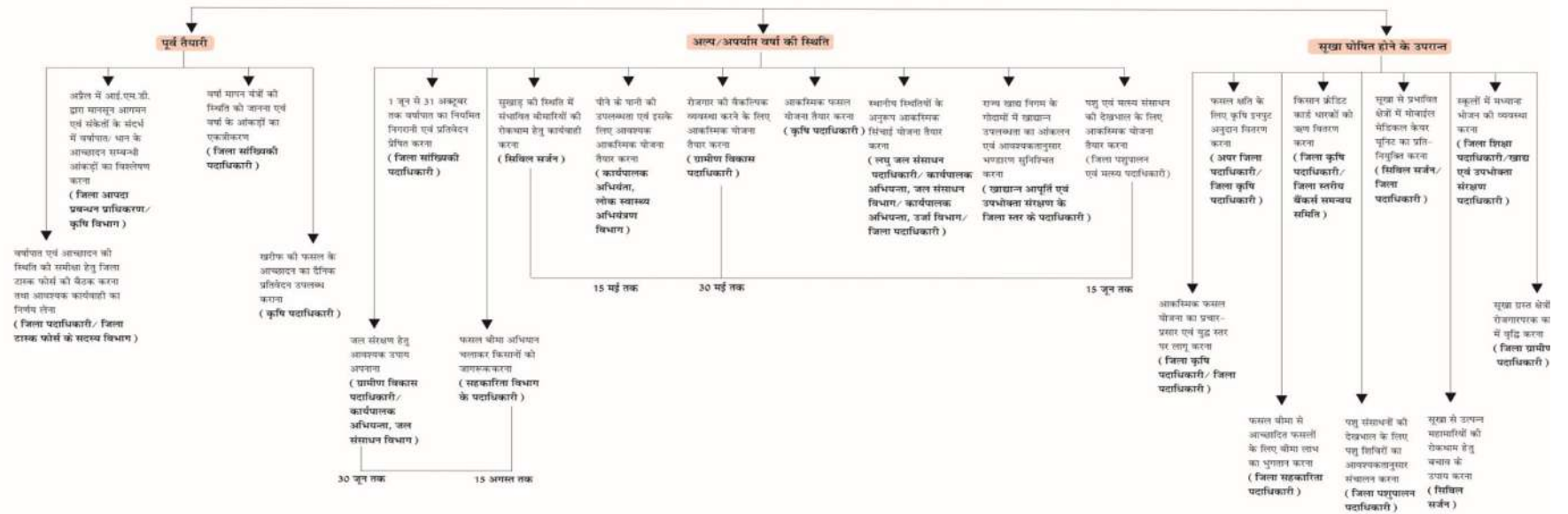


15 जून

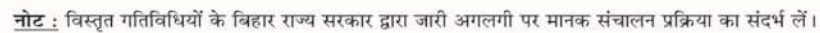
15 अक्टूबर

सुखाड़ आपदा के विभिन्न स्थितियों में समन्वय तंत्र

जिला पदाधिकारी
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/टास्क फोर्स/प्रशासन
रिमान्स

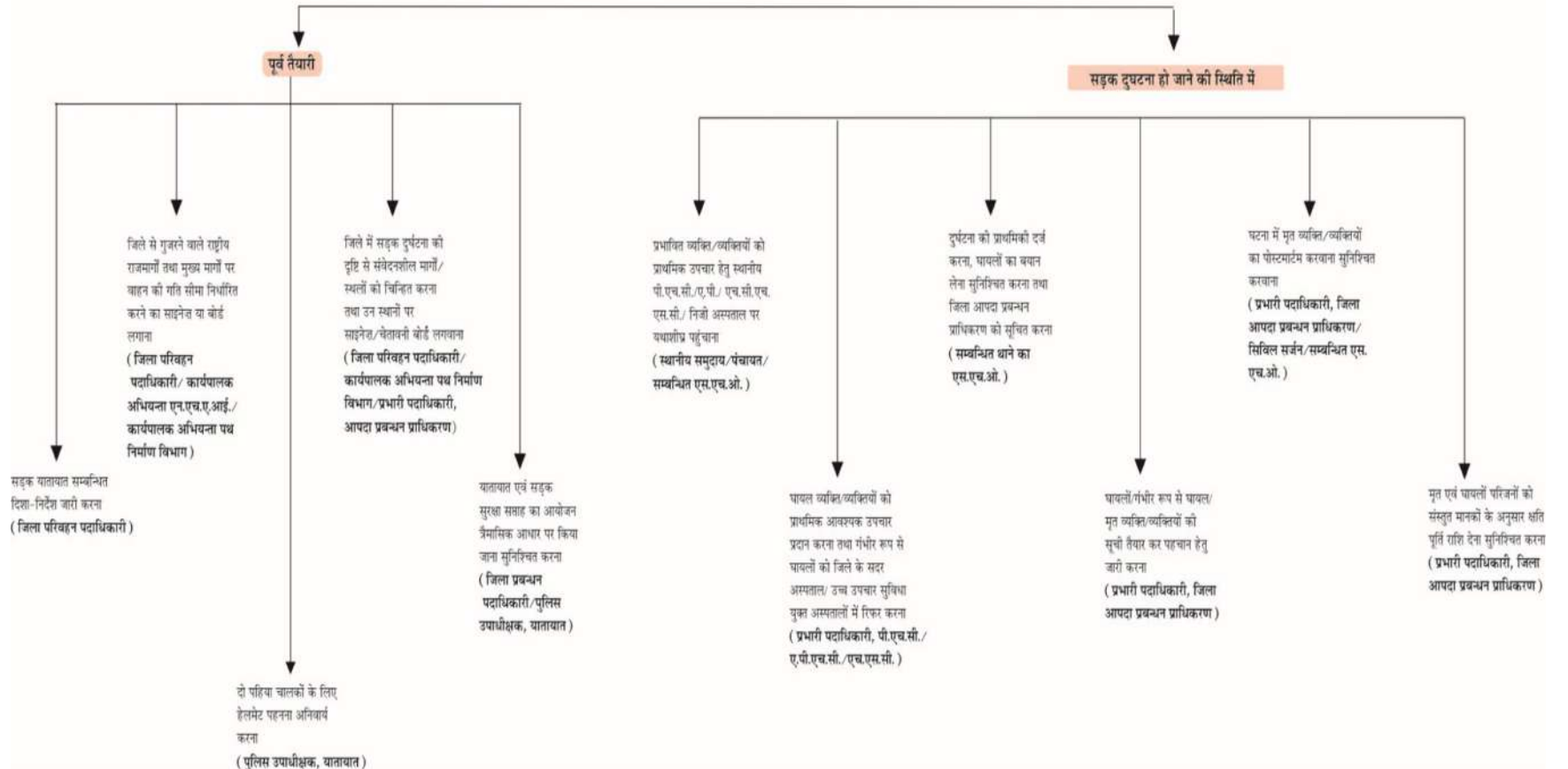


जिला पदाधिकारी
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/टास्क फोर्स/प्रशासन
रिस्पान्स



सड़क दुर्घटना के संदर्भ में समन्वय तंत्र

जिला पदाधिकारी
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/टास्क फोर्स/प्रशासन
रिस्पांस



उपरोक्त प्लो चार्टों को ध्यान में रखते हुए जिला सहरसा में आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से पूर्ण करने हेतु जिले में निम्नांकित कोषांगों का गठन किया गया है। जिले में आपदा घोषित होने के तुरन्त बाद ये कोषांग सक्रिय हो जाते हैं और राहत, बचाव एवं अन्य कार्यों हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन के निर्देशन में कार्य करते हैं –

- मुख्य कोषांग
- कृषि कोषांग
- विधि व्यवस्था कोषांग
- तटबंध सुरक्षा कोषांग
- लोक स्वास्थ्य कोषांग
- स्वास्थ्य कोषांग
- पशु/दवा/चारा एवं मत्स्य कोषांग
- ग्रामीण सड़क एवं पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क कोषांग
- खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं पैकेटिंग कोषांग
- सूचना एवं मीडिया प्रबन्धन कोषांग
- गुणवत्ता जांच कोषांग
- शिविर संचालन कोषांग
- नाव परिचालन एवं वाहन कोषांग
- संचार एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था कोषांग
- सैन्य बल समन्वय कोषांग
- शिक्षा एवं आंगनबाड़ी कोषांग
- नाव घाट संचालन कोषांग
- एन0जी0ओ0 कोषांग
- कार्मिक

कोषांग 1 : मुख्य कोषांग

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
सभी प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं	आपदा प्रबन्धन शाखा	■ जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति
आपदा प्रबन्धन शाखा	जिला पदाधिकारी से लगातार संपर्क में रहते हुए सभी व्यवस्था को सुचारु रूप से निष्पादित करना	नोडल पदाधिकारी आपदा प्रबन्धन
	सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु ससमय संचिका उपस्थापित करना।	
	सभी कोषांगों में समन्वय स्थापित करना	
	सभी कोषांगों के कार्य-कलाप का निरीक्षण करना	
	अंचलों से प्राप्त अधिवाचना पर सामग्री एवं राशि उपलब्ध कराना	
	सरकार से आवश्यकतानुसार मार्ग दर्शन प्राप्त करना	

कोषांग 2 : कृषि

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, सूखा, अग्नि, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान अत्यधिक तापमान, भारी	कृषि विभाग	■ जिला प्रशासन ■ आत्मा

बारिश, विभाग	कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति
कृषि विभाग	आकस्मिक फसल योजना तैयार करना क्षतिग्रस्त फसल का आकलन करना क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजा हेतु राशि का आकलन कर अधियाचना पत्र भेजने हेतु संचिका उपस्थापित करना आपदा के दौरान प्रभावित हुए विभागीय यन्त्र, बीज, खाद, कीटनाशक आदि की सूचना प्राप्त करना एवं जिला आपदा नोडल अधिकारी को प्रेषित करना। विभाग के पास उपलब्ध बीज, खाद, अनाज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने हेतु राजस्व व परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना। किसानों के समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक मन्तव्य देना भूमि क्षति आदि का आकलन कर मुआवजा हेतु अधियाचना पत्र भेजते हुए संचिका उपस्थापित करना कृषि से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों के निदान हेतु कार्यवाही करना दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना	जिला कृषि पदाधिकारी
जिला प्रशासन	जोखिमों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए क्षति एवं आवश्यकता आकलन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को फील्ड में भेजना।	प्रभारी पदाधिकारी

कोषांग 3 : विधि व्यवस्था

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं जैसे—बाढ़, भूकम्प, अगलगी, आंधी—तूफान, नाव दुर्घटना रेल दुर्घटना	जिला गोपनीय शाखा	- जिला प्रशासन - पुलिस
विभाग	कार्य	जिम्मेदार व्यक्ति
जिला प्रशासन	आपदा के समय विधि व्यवस्था कायम करना। आपदा के समय उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। विधि व्यवस्था सम्बन्धी आदेश निर्गत करना विधि व्यवस्था के लिए संसाधन प्राप्ति हेतु बाहर के जिले से अधियाचना करना एवं नियुक्ति करना।	प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा/ अनुमण्डल पदाधिकारी
पुलिस	प्रभावित क्षेत्रों की प्रारम्भिक स्थिति का आकलन करना विधि व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारिक बयान जारी करना स्टाफ एवं सुविधाओं की स्थिति का निर्धारण करना तथा यदि आवश्यक हो तो नियुक्ति नियोजन के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ एवं संसाधनों की नियुक्ति करना जोखिमों एवं असुरक्षित स्थितियों की पहचान करना तथा समुदाय की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाना प्रभावित क्षेत्रों की घेराबन्दी करना प्रभावित क्षेत्रों, निष्कासित क्षेत्रों, ध्वस्त क्षेत्रों, शरणालयों, कैम्पों, मेडिकल पोस्टों, वितरण केन्द्रों, गोदामों/ वेयरहाउस आदि को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करना राहत सामग्रियों की लूट एवं कालाबाजारी को रोकना निष्कासित एवं ध्वस्त हुए क्षेत्रों से बचाकर लाये गये लोगों को सुरक्षा प्रदान करना जब आवश्यक हो तो बचाव उपायों को अपनाना मानव व्यापार से महिलाओं को बचाना आपदा के दौरान या बाद में चोरी-चकारी को रोकना फर्जी दावे से बचने के लिए मृत शरीरों की सुरक्षा करना	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) पुलिस अधीक्षक एसएचओ पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) एसएचओ

प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले महत्वपूर्ण एवं अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करना	पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)
क्षतिग्रस्त या जोखिम भरे रास्तों पर लोगों को जाने से रोकना	पुलिस उपाधीक्षक (यातायात)
जन सम्पर्क अधिकारी के समन्वयन से अफवाहों को रोकना	पुलिस अधीक्षक
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना।	

कोषांग 4 : तटबंध सुरक्षा

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़	जल संसाधन विभाग	— जल निस्सरण प्रमंडल, कोपरिया — पूर्वी कोसी तटबंध प्रमंडल, सुपौल — पश्चिमी तटबंध प्रमंडल, निर्मली
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जल संसाधन	विभागीय सूचना एवं बाढ़ नियंत्रण केन्द्र को चौबीस घण्टे कार्यरत रखना एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करना। सिंचाई चैनलों, पुलों, कलवर्टों इत्यादि की सुरक्षा हेतु अनवरत निगरानी करना।	कार्यपालक अभियन्ता, चन्द्रायण
अनुमंडल प्रशासन	तटबंधों के सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही करना	सम्बन्धित कार्य पालक अभियन्ता
	तटबंधों के मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री यथा—खाली बोरा, बोल्डर आदि का पर्याप्त भण्डारण की स्थिति का आकलन करना	कार्यपालक अभियन्ता
	तटबंधों में दरार, छेद आदि की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त सम्बन्धित विभाग को सूचना उपलब्ध कराते हुए जिला पदाधिकारी को सूचित करना।	कार्यपालक अभियन्ता
	बांध पर गश्ती हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों के कार्य— कलाप का औचक निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।	
	तटबंध सुरक्षा पर नजर रखना	
	तटबंध पर भ्रमणशील रहना	
पूर्वी कोसी तटबंध प्रमंडल, सुपौल	एस0एम0एस0 के माध्यम से कोसी बराज डिस्चार्ज की स्थिति उपलब्ध कराना	मुख्य अभियन्ता, वीरपुर

कोषांग 5 : लोक स्वास्थ्य

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, आगलगी, आंधी-तूफान,	लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण	■ जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित नुकसान आकलन के लिए सामुदायिक ढांचों के नुकसान का स्तर तय करना आपदा क्षेत्रों विशेषकर बाढ़ क्षेत्रों एवं बाढ़ पीड़ितों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना।	उप विकास आयुक्त/कार्य पालक अभियन्ता, पी0एच0ई0डी0
लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग	खराब चापाकलों की मरम्मत। यदि आवश्यक हो तो पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल लगवाना	सहायक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता
	शरणस्थलों पर पेयजल/शौचालयों की व्यवस्था	सहायक अभियन्ता
	शरणस्थलों पर पेयजल/शौचालयों के साफ-सफाई की व्यवस्था	
	सैन्य बल ठहराव स्थल पर पेयजल / शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
	शिविर स्थलों पर महिलाओं के लिए सुविधायुक्त शौचालय का निर्माण करना।	

	पशु शिविर में पेयजल उपलब्ध कराना	
	बाढ़ग्रस्त इलाकों में उंचे प्लेटफार्म युक्त पर हैण्डपम्प एवं शौचालयों की व्यवस्था	कार्यपालक अभियन्ता

कोषांग 6 : स्वास्थ्य

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, आगलगी, लू, शीतलहर, ठनका, रेल दुर्घटना, नाव दुर्घटना	स्वास्थ्य विभाग	■ जिला प्रशासन ■ स्वास्थ्य समिति
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
स्वास्थ्य	देखभाल करना और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत रूप से सेवाएं उपलब्ध कराना यदि आवश्यक हो तो मरीज को प्रभावित क्षेत्र से अलग रखना प्रभावित क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन करना आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को देखने की क्षमता एवं सर्जिकल क्षमता को बढ़ाना दवाओं, खून, टीका, रेडिएशन इमिटिंग एवं स्क्रीनिंग उपकरणों एवं अन्य मेडिकल उत्पादों को समुचित मात्रा में भण्डारित करना ब्लड बैंक पदाधिकारी के माध्यम से ब्लड एवं ब्लड सम्बन्धी अन्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रभावित क्षेत्रों के लिए समुचित मात्रा में एम्बुलेन्स का सहयोग करना मेडिकल अपशिष्टों का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना जन सूचना बूथों की स्थापना करना शरणालयों एवं कैम्पों में मेडिकल केन्द्रों की स्थापना करना आपदा के बाद की स्वास्थ्य सम्बन्धित स्थितियों पर अधिकारिक बयान जारी करना महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदनों का ससमय प्रेषित किया जाना।	असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में साफ— सफाई एवं ब्लीचिंग का छिड़काव करना। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराना। प्रसव हेतु समुचित व्यवस्था हेलोजन/ब्लीचिंग पाउडर/ जीवन रक्षक दवाई/सर्पदंश/ हैजा—कालरा संबंधी दवाई की व्यवस्था व आपूर्ति सुनिश्चित करना। मृतकों का संस्कार करना।	जिला कार्यक्रम प्रबन्धक

कोषांग 7 : पशु दवा/चारा एवं मत्स्य

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प, अग्नि, सुखाड़, ठनका, अत्यधिक तापमान, भारी बारिश,	पशु एवं मत्स्यपालन विभाग	■ कृषि ■ जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं को उंचे शरण स्थल/पशु शिविर में रखवाना पशु स्वास्थ्य मुद्दों को समझना और घायल एवं मृत पशुओं को चिकित्सकीय देख-भाल प्रदान करना बीमार एवं स्वस्थ पशुओं को अलग-अलग रखना आकस्मिक चिकित्सकीय सुविधा एवं अस्थाई शरणालय प्रदान करना सभी शरणस्थलों पर आवश्यक दवाई /पशुचारा/पशु चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति जानवरों एवं मुर्गियों के लिए चारा, दाना एवं पानी उपलब्ध कराना	जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी

स्वस्थ पशुओं में बीमारियों का प्रसार होने से रोकने के लिए बीमार पशुओं के रख-रखाव, चारा, दाना आदि की अलग व्यवस्था करना	
आवश्यकता आकलन के आधार पर जानवरों के लिए चारागाहों उपलब्ध कराना	
मौसम खराब होने की स्थिति में शरणालय बनाने के लिए झालरों, टाट बोरो तथा तिरपालों की व्यवस्था करना	
अधिक गर्मी होने की स्थिति में स्प्रिंकलर एवं पंखों आदि की व्यवस्था करना	
बीमारी से बचाव हेतु पशुओं का उचित टीकाकरण सुनिश्चित करना	
पशु स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली एजेन्सियों, संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि से समन्वयन स्थापित करना	
पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की निगरानी करना	
जानवरों के बचाव एवं दुलाई के लिए परिवहन की व्यवस्था करना	
बीमार एवं मृत जानवरों की दुलाई के लिए अलग वाहनों की व्यवस्था करना	
बीमार एवं मृत जानवरों की दुलाई में लगे वाहनों, लोगों एवं स्थानों को नियमित रूप से संक्रमणरहित करना	
जानवरों के शवों का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करना	
जानवरों के मल-मूत्रों का निस्तारण करने हेतु पर्याप्त आदमियों को लगाना	
बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए फार्गिंग कराना	
मत्स्य पालकों के द्वारा मत्स्य की क्षति होने पर क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना	
दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध करना।	

कोषांग 8 : ग्रामीण सड़क एवं पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
भूकम्प, बाढ़	सड़क निर्माण विभाग	- योजना विभाग - ग्रामीण कार्य विभाग - पथ प्रमण्डल
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
ग्रामीण कार्य विभाग	क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वेक्षण मलबों की सफाई सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत निष्कासन, खोज एवं बचाव कार्य को सरल बनाने के लिए क्षतिग्रस्त निजी व सार्वजनिक ढांचों को ध्वस्त या स्थिर करना आवश्यकता पड़ने पर अस्थाई शरणालय, शौचालय, मेडिकल पोस्ट, हेलीपैड एवं अन्य बुनियादी ढांचों तथा अस्थाई सड़कों का निर्माण करना असुरक्षित ढांचों को ध्वस्त करना बाढ़ के समय यातायात व्यवस्था कायम रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना। बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों को सहाय कार्य हेतु अविलम्ब मरम्मत करवाना दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।	कार्यपालक अभियन्ता, पी0डब्ल्यू0डी0 / आर0डब्ल्यू0डी0 / एन0एच0ए0आई

कोषांग 9 : खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं पैकेटिंग

जोखिम	नोडल विभाग/वरीय पदाधिकारी	सहयोगी विभाग
बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, अगलगी,	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	- जिला प्रशासन - रेडक्रास सोसायटी - जिला उद्योग केन्द्र
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
खाद्य एवं आपूर्ति	आपूर्तिकर्त्ताओं को पूर्व से चिन्हित करना आवश्यकता आकलन के अनुसार एवं स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर,	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला

	विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्ध व्यक्तियों आदि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक खाद्य वस्तुओं का खाना सुरक्षित करना	प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम
	प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में खाद्य भण्डारण की व्यवस्था करना।	
	गोदामों/भण्डारगृहों में रखे गये अनाजों की बाढ़, जल-जमाव, आग, कीट एवं अन्य संभावित जोखिमों से सुरक्षा सुनिश्चित करना।	
	सामुदायिक रसोई गृहों को तैयार करने के लिए समुचित व्यवस्था करना और इसका प्रबन्धन सुनिश्चित करना	
	आवश्यकता आकलन के आधार पर खाने के पैकेट/किट्स आदि तैयार करना	
	विभागों, दुकानों, स्वैच्छिक संगठनों एवं एजेंसियों की सहायता से खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था करना।	
	प्रभावित क्षेत्रों को मिलने वाले खाद्य सामग्रियों की निगरानी एवं समन्वयन करना	
	पुलिस के सहयोग से राहत सामग्रियों की काला बाजारी एवं लूट को रोकना	
	खाद्य सामग्री/पैकेटों का वितरण एवं अनुश्रवण	अंचल पदाधिकारी / प्रखण्ड पदाधिकारी
	खाद्य सामग्रियों की अतिरिक्त अधियाचना	जिला आपूर्ति पदाधिकारी
रेडक्रास सोसायटी	यदि आवश्यक हो तो निजी क्षेत्रों की मदद से खाद्य की व्यवस्था कर उपलब्ध कराना	
	दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना	
	प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री के पैकेटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	सचिव रेडक्रास सोसायटी
	खाद्य पैकेट/किट तैयार करने तथा भारी मात्रा में खाद्य सामग्री वितरण करने में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की मदद करना	
	आपदा पीड़ितों को तैयार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु पैकेट तैयार कर अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराना एवं वितरण पर अनुश्रवण रखना।	

कोषांग 10 : सूचना प्रतिवेदन एवं मीडिया प्रबन्धन

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	आपदा प्रबन्धन	- जन सम्पर्क - सांख्यिकी - सूचना एवं विज्ञान - आई0टी विभाग - जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
सांख्यिकी विभाग	क्षति सम्बन्धी एवं सहाय सम्बन्धी सभी तरह के प्रतिवेदन भेजने हेतु ससमय उपस्थापित करना हैलीपैड सम्बन्धी सूचना पूर्व से संकलित कर सम्बन्धितों को भेजना वर्षापात सम्बन्धी दैनिक प्रतिवेदन भेजना	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी
जन सम्पर्क विभाग	प्रेस-कान्फ्रेंस का आयोजन करना शरण स्थलों की सूची तैयार करना एवं उसमें रह रहे लोगों की संख्या आदि की जानकारी सभी को देना। सरकार को ससमय वांछित प्रतिवेदन भेजना पूर्व चेतावनी के लिए आपदा सम्बन्धी संचार को तैयार कर प्रसारित करना आपदाओं से सम्बन्धित क्या करें और क्या न करें (संलग्नक 1), कैम्पों का पता एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के साथ साझा करना आपदा पूर्व तैयारी तथा रिस्पान्स से सम्बन्धित आईईसी सामग्री प्रसारित करना	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी
सूचना एवं विज्ञान	समाचार संक्षेपण तैयार करना एवं प्रकाशित करना आवश्यक होने पर जिला पदाधिकारी / अतिरिक्त जिला पदाधिकारी / सिटी मजिस्ट्रेट के बयानों को मीडिया के साथ साझा करना समाचारों की निगरानी करना तथा मीडिया की बातों का जबाब देना सरकार से प्राप्त पत्रों को अविलम्ब निदेशानुसार समाचार पत्रों के माध्यम से जन प्रसारित करना। समाचार पत्रों के कतरन को उपस्थापित करना एवं उस पर की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण करना	जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी

	अफवाहों का खण्डन करने हेतु विज्ञप्ति प्रस्तुत करना एवं अनुमोदनो परान्त प्रकाशित करना।	
	सभी तरह के प्रतिवेदनों को ई-मेल पर अपलोड करने हेतु अनुमोदनो परान्त प्रकाशित करना।	
	सभी तरह के प्रतिवेदनों को ईमेल पर अपलोड करने हेतु आई0टी0 मैनेजर सहरसा को उपलब्ध कराना।	
	मीडिया को सूचना उपलब्ध कराना	
आई0टी0 विभाग	इण्टरनेट पर राहत शिविर, शरण स्थल, खाद्य सामग्री वितरण एवं सभी दूरभाष नम्बर अपलोड/ उपलब्ध कराना	आई0टी0 मैनेजर
	कोसी बराज से जलश्राव सम्बन्धित एस0एम0एस0 सिस्टम कार्यरत करना।	
जिला प्रशासन	सभी केन्द्रों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्रतिवेदन ससमय प्राप्त करना	नोडल पदाधिकारी,
	सरकार को दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना	आपदा प्रबन्धन

कोषांग 11 : गुणवत्ता जांच

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, अगलगी	आपूर्ति विभाग	■ नजारत ■ स्वास्थ्य
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
आपूर्ति विभाग	आपदा सहाय में कय/आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का सत्यापन करना एवं गुणवत्ता की जांच कर प्रतिवेदन प्रेषित करना	अपर समाहर्ता
	शिविर की सभी व्यवस्थाओं जैसे खाद्य, पेयजल, दवाईयां इत्यादि की गुणवत्ता की जांच करना एवं गुणवत्ता बढ़ाये जाने के उपायों को ढूंढना	
	गुणवत्तापूर्ण राहत सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना	जिला आपूर्ति
	अंचल/अनुमंडल स्तर पर कय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच करना।	पदाधिकारी
जिला प्रशासन	जल गुणवत्ता का मूल्यांकन	
	प्रभावित क्षेत्रों में पाइप लाइन के जल को क्लोरीनेशन करना व प्रदूषण मुक्त करना	

कोषांग 12 : शिविर संचालन

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, सुखाड़, भूकम्प, आगलगी	जिला प्रशासन	■ भवन ■ खाद्य एवं आपूर्ति ■ स्वास्थ्य ■ शिक्षा ■ पीएचईडी ■ पंचायती राज ■ आपदा प्रबन्धन
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
भवन निर्माण	राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए राहत कैम्पों एवं अस्थायी शरणालयों की स्थापना	प्रभावित क्षेत्र के अंचल पदाधिकारी
पंचायती राज	शिविरों का सफलतापूर्वक संचालन कराना।	
पी0एच0ई0डी0, स्वास्थ्य एवं आपूर्ति विभाग	सभी शिविरों में पेयजल व्यवस्था/ शौचालय निर्माण/आवश्यक दवाईयां/चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना	कार्यपालक पदाधिकारी
	पशु शिविरों में आवश्यक दवाएं/ चिकित्सक/पैरा मेडिकल स्टाफ/ पेयजल व्यवस्था/पशुचारा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
शिक्षा विभाग	आंगनबाड़ी केन्द्र/विद्यालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला

		प्रोग्राम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0
आपूर्ति विभाग एवं जिला प्रशासन	शिविर में आपूर्ति की जाने वाली भोजन सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच करना। दैनिक/साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सिविल सर्जन
जिला प्रशासन	शिविरों में विधि/सुरक्षा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। शिविर के प्रभारी पदाधिकारी/ कर्मचारी को दिशा-निर्देश जारी करना एवं उनके द्वारा पंजियों की जांच करना।	उप विकास आयुक्त

कोषांग 13 : नाव परिचालन एवं वाहन

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प, अग्नि, विभाग	परिवहन विभाग कार्य	- आपूर्ति विभाग - जिला प्रशासन जिम्मेदारी
परिवहन विभाग	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता नुसार नावों की उपलब्धता	जिला परिवहन
पंचायती राज	बाढ़ से घिरे हेतु व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना	पदाधिकारी/ अनमंडल पदाधिकारी
	अन्य जिलों से प्राप्त नावों/वाहनों आदि को पंजीबद्ध करते हुए मांग के अनुरूप प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराना एवं बाढ़ समाप्ति के बाद प्राप्त नावों आदि की वापसी सुनिश्चित करना। माननीय मंत्री/प्रतिनियोजन माल ढोने हेतु पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी तथा सहाय वितरण हेतु आवश्यकता एवं आदेश के अनुरूप छोटे/बड़े वाहन उपलब्ध कराना। नाव मालिकों/नाविकों का पारिश्रमिक भुगतान साप्ताहिक करना नाव ढोने के लिए व्यवसायिक बड़ी /छोटी वाहनों को चिन्हित कर सूची तैयार करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपलब्ध हो जाये। सभी प्रकार के परिवहन के लिए सरकारी के साथ-साथ निजी एजेंसियों से वाहन लेना और उपलब्ध कराना आकस्मिक सेवाओं में लगे वाहनों को खोजना कार्य मैनेजरों के समन्वयन में बसों एवं अन्य भारी वाहनों एवं उपकरणों की समुचित देख-भाल सुनिश्चित करना मोटरबोट का परिचालन टयूब की व्यवस्था दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।	अंचल पदाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी जीएम मोटरयान निरीक्षक जिला परिवहन अधिकारी
जिला प्रशासन	समूह इन्चार्ज के समन्वयन में हवाई परिवहन के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना समूह इन्चार्ज के समन्वयन में हवाई सहयोग एवं हेलीपैड तैयार करने के लिए सुरक्षित स्थलों की पहचान करना	उप विकास आयुक्त

कोषांग 14 : संचार एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प, आगलगी, आंधी तूफान, ठनका, सुखाड़	जिला नजारत	- विद्युत प्रमण्डल - दूर संचार निगम लिमिटेड - जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	जिला नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करना स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार संवाद बनाये रखना अन्य विभागों और जिले के अन्य नियंत्रण कक्षों के साथ संवाद बनाये रखना	उप विकास आयुक्त
दूरसंचार/टेलीकाम कम्पनियां	जब और जैसी जरूरत हो, संचार सुविधा उपलब्ध कराना जितना शीघ्र संभव हो, प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बहाल करना	जनरल मैनेजर

विद्युत	आवश्यकता पड़ने पर विद्युत आपूर्ति काटना एवं बहाल करना	कार्यपालक अभियन्ता
	खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना	
	आपदा के समय विद्युत व्यवस्था बनाये रखना।	
	सैन्य बलों के ठहराव/राहत शिविरों में विद्युत आपूर्ति	
	पर्याप्त मात्रा में ट्रांसफार्मर/विद्युत पोल/तार का भण्डारण	
	यदि आवश्यकता हो तो लोगों को अपने परिवार/दोस्तों से संवाद बनाने के लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप एवं अन्य विद्युत उपकरणों को चार्ज करने हेतु गतिशील बैटरी चार्जिंग केन्द्र उपलब्ध कराना	जिला प्रशासन

कोषांग 15 : सैन्य बल समन्वय

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प	जिला गोपनीय प्रशाखा	- पुलिस - नजारत - शिक्षा
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
गोपनीय प्रशाखा	सैन्य तथा अन्य बलों की प्राप्ति	विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा
	सैन्य बलों व अन्य बलों को विभिन्न शिविरों में भेजना व सूचनाओं का पंजी में प्रविष्टि	जिला नजारत उप समाहर्ता
	प्राप्त बलों के ठहराव व आवासन की व्यवस्था	
	दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना।	

कोषांग 16 : शिक्षा एवं आंगनबाड़ी केन्द्र

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प, सुखाड़, आगलगी	आई0सी0डी0एस0	- जिला प्रशासन - शिक्षा विभाग - सामाजिक सुरक्षा - पंचायती राज विभाग
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
आई0सी0डी0एस0	गर्भवती/धातृ माताओं का सर्वेक्षण कराना	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
	आपदा के समय गर्भवती/धातृ माताओं की उचित देख-भाल सुनिश्चित करना।	
	विशेषकर महिलाओं व किशोरियों के लिए मोबाइल क्लिनिक एवं मेडिकल पोस्टों को तैयार करना तथा समय से मेडिकल कैंप कराना	
	आंगनबाड़ी केन्द्रों का सफल संचालन करना।	
	आपदा राहत शिविरों में बच्चों के पठन-पाठन, खेलकूद एवं पोषाहार वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करवाना	

कोषांग 17 : नाव घाट संचालन

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़	परिवहन	जिला प्रशासन
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
आपदा प्रबन्धन	नाव पर क्षमता से अधिक लदान नहीं होने देना	अंचल पदाधिकारी
	सरकारी नाव पर “निःशुल्क” लाल अक्षरों में अंकित कराना	
	नाविकों की लाग बुक की जांच/ पंजीकरण संख्या इत्यादि अंकित करना	अनुमंडल पदाधिकारी
	सूर्यास्त के पश्चात् नाव संचालन पर रोक लगाना/प्रतिवेदन देना	

काषांग 17 : एन0जी0ओ0 समन्वय

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
सभी जोखिमों के लिए	जिला प्रशासन/उप विकास आयुक्त	- लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण - जिला उद्योग केन्द्र
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	बाढ़ के समय एन0जी0ओ0 से प्राप्त सामग्रियों का संग्रहण /भण्डार पंजी में प्रविष्टि आपदा के दौरान आवश्यकता आकलन करने में एन0जी0ओ0 से सहयोग लेना राहत व बचाव कार्य में एन0जी0ओ0 विषय विशेषज्ञों का सहयोग लेना। स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई विसंक्रमणीकरण आदि विषय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना आपदा के दौरान विभिन्न हितभागियों व सहयोगी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।	उप विकास आयुक्त

ईएसएफ 19 : कार्मिक

जोखिम	नोडल विभाग	सहयोगी विभाग
बाढ़, भूकम्प	जिला प्रशासन/उप विकास आयुक्त	- जिला प्रशासन - शिक्षा विभाग - विद्युत विभाग - एनडीआरएफ - एसडीआरएफ - स्वैच्छिक संगठन - अन्य सहयोगी विभाग
विभाग	कार्य	जिम्मेदारी
जिला प्रशासन	कार्मिकों का आकलन करना कार्मिकों की मांग करना कार्मिकों का प्रशिक्षण कराना खोज एवं बचाव राहत दल का गठन करना खतरनाक भौतिक दुर्घटना होने की स्थिति में खोज एवं बचाव दल को मानव सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित करना	जिला स्थापना उप समाहर्ता
विद्युत	आवश्यकता पड़ने पर विद्युत आपूर्ति काटना एवं बहाल करना खोज एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना	अनुमंडल पदाधिकारी / विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0	खोज एवं बचाव कार्यों के लिए रास्तों/मलबों/ गिरे हुए मकानों को साफ करना राहत कार्यों के लिए आवश्यक उपकरणों एवं स्वयंसेवकों को उपलब्ध कराना	उप नियंत्रक
स्वास्थ्य	कार्यस्थल पर एम्बुलेन्स की व्यवस्था करना पीड़ितों का प्राथमिक उपचार करना तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना यदि आवश्यक हो तो पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचाना	सिविल सर्जन (मेडिकल) मेडिकल पदाधिकारी
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	यदि आवश्यक हो तो प्रशिक्षित मानव संसाधनों, वाहन चालकों एवं तैराकों की तैनाती करना खोज एवं बचाव कार्यों के लिए नाव, चप्पू, ओबीएम आदि उपलब्ध कराना	आपदा प्रबन्धन पदाधिकारी
रेडक्रास सोसायटी	प्रभावितों को प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना	सचिव, रेडक्रास सोसायटी
बिहार रोडवेज	खोज एवं बचाव कार्यों के लिए वाहनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराना।	जी0एम0 रोडवेज

क्षेत्रीय परिवहन अभिकरण	जब भी जरूरत हो वाहनों को उपलब्ध कराना	सचिव, आरटीए
भारतीय रेलवे	रेल दुर्घटना की स्थिति में, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए मानव संसाधनों एवं उपकरणों को उपलब्ध कराना	रेलवे सुपरिटेण्डेंट

सेना, एन.डी.आर.एफ. / एस.डी.आर.एफ., पुलिस, अग्निषमन व नागरिक सुरक्षा कोर से समन्वय एवं विशिष्ट कार्य

सेना

थल सेना, वायु सेना की आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार निर्धारित प्रक्रिया से उनकी सेवाएं प्राप्त करती है। बिहार राज्य के लिए नोडल इकाई बिहार झारखण्ड सबेरिया मुख्यालय, दानापुर है। जहां अनुरोध करने पर थल सेना की इकाईयां प्राप्त होती हैं। वायुसेना के लिए रक्षा मंत्रालय अथवा शिलांग एवं इलाहाबाद में स्थापित एयर कमान से अनुरोध कर प्राप्त किया जा सकता है। वैसे जिला पदाधिकारी भी अपने जिले में कार्यरत सेना के कार्यालय को अनुरोध कर सकते हैं।

एन0डी0आर0एफ0 / एस0डी0आर0एफ0

एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 केन्द्र व राज्य स्तर पर आपदा के दौरान त्वरित क्रियान्वित होने वाली सशक्त टीम होती है जो केन्द्र व राज्य सरकार के अधीन एवं निर्देशन में केन्द्रीय स्तर पर व अपने राज्य में काम करती और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार की अनुमति पर दूसरे राज्य के आपदा में भी सहयोग करती है।

सहरसा जिला में एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 बटालियनों की प्रतिनियुक्ति नहीं है। जिले में आपदा की स्थिति बनने के दौरान आवश्यकता पड़ने पर पड़ोसी जिले सुपौल में स्थित एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 बटालियन की मांग जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। रिस्पान्स के दौरान इनके द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती हैं—

- किसी भी प्रकार प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा स्थिति में बचाव एवं राहत के लिए विशिष्ट दक्षता के साथ रिस्पान्स का कार्य करना।
- लम्बे समय तक आपदा की स्थिति बने रहने पर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना।
- आपदा प्रभावित क्षेत्र अथवा लोगों को प्रदूषण रहित बनाना।
- मलबों की साफ-सफाई सुनिश्चित करना।
- मृत शरीरों का निस्तारण सुनिश्चित करना।
- आपदा से प्रभावितों/पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
- घायलों को तुरन्त में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना।
- आपदा के दौरान या बाद में राहत वितरण कराने में स्थानीय प्रशासन की मदद करना।
- बचाव एवं राहत कार्यों में लगे अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।

पुलिस

आपदा की दृष्टि से पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुलिस की भूमिका आपदा के दौरान प्रथम उत्तरदाता की होती है अर्थात् किसी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा की स्थिति में आपदास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाला विभाग पुलिस ही होता है। आपदा काल के दौरान पुलिस जिला में कानून-व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के साथ ही बचाव एवं राहत कार्यों में लगी संस्थाओं/एजेन्सियों के साथ भी सहयोग करती है। आपदा के दौरान पुलिस द्वारा की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियां निम्नवत् हैं —

- स्थानीय प्रशासन के निकट सहयोग से खोज-बचाव तथा निष्कासन अभियान में भाग लेना।
- प्रभावी विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा निष्कासित जनसंख्या की सुरक्षा हेतु प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में अपराधिक एवं असामाजिक तत्वों एवं गतिविधियों पर विशेष नजर रखना एवं आवश्यकतानुसार उनके विरुद्ध उचित कदम उठाना।
- राहत शिविरों राहत सामग्रियों एवं प्रभावितों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था करना।
- संवेदनशील तटबंधों एवं अन्य खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा प्रहरी उपबलध कराना।
- आपदा प्रभावित बस्तियों/गृहों की सुरक्षा व्यवस्था करना।
- मुनाफाखोरों, कालाबाजारियों इत्यादि के विरुद्ध अभियान में स्थानीय प्रशासन की मदद करना।
- आपदा से क्षतिग्रस्त सरकारी सम्पत्तियों एवं संरचनाओं की सुरक्षा।
- क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों इत्यादि के आस-पास की आपात् यातायात व्यवस्था का प्रबंधन।
- धिरे हुये व्यक्तियों को बचाने तथा लाशों के निष्पादन में स्थानीय प्रशासन की सहायता करना।
- राहत शिविरों एवं अन्य स्थानों पर राहत सामग्री वितरण के समय भीड़ एवं विधि व्यवस्था पर नियंत्रण।
- भगदड़ संभावित क्षेत्रों, स्थानों, अवसरों की पूर्व पहचान एवं आवश्यक पुलिस व्यवस्था।
- बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों से जनसमुदाय के बचाव हेतु एस0डी0आर0एफ0/अग्निशमन की सहायता सुनिश्चित करना।

अग्नि शमन

- आग की सूचना मिलने पर तत्काल आपदा स्थल पर जाना और जान-माल की सुरक्षा करना।
- समुदाय के बीच निरन्तर जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि कार्यक्रम करना जिससे कि समुदाय प्रशिक्षित और जागरूक हो जाय। विशेषकर स्कूलों कालेजों, व्यवसायिक संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, अस्पतालों आदि में।
- खेतों, खलिहानों में लगने वाली आग से बचाव के लिए थ्रेशर चालकों व मालिकों को जागरूक करना।
- भूकम्प अथवा वैसी आपदा जिसमें किसी भवन इत्यादि से लोगों को सुरक्षित निकालने की आवश्यकता हो, उस समय एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 को सहयोग देना।
- मुख्यालय, प्रमंडल एवं जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना सुनिश्चित करना।

नागरिक सुरक्षा

- यह संगठन भी राज्य में प्रशिक्षित संगठन है, परन्तु इस जिले में गठित नहीं है।

अध्याय : 8

पुनर्निर्माण व पुनर्वास द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Reconstruction and Rehabilitation)

विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद सभी प्रकार की रिकवरी के लिए पुनर्निर्माण के साथ-साथ पुनर्वास कार्यक्रमों को अपनाने की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। पर्याप्त ज्ञान, क्षमता एवं प्रबन्धन कौशल की कमी के कारण अक्सर इस तरह के कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जिनकी वजह से आजीविका और शरणालयों के साथ ही अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे – जल, स्वच्छता, बिजली आदि के पुनर्निर्माण में लम्बा समय लग जाता है। इसलिए आपदाओं के बाद सुरक्षित और स्थाई पुनर्प्राप्ति भविष्य में आने वाली आपदाओं के विरुद्ध अनुकूलता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। पुनर्प्राप्ति हेतु किये जाने वाले पुनर्निर्माण व पुनर्वास के कार्यों को Build Back Better के सिद्धान्त के आधार पर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक होगा। अर्थात् पुनर्निर्माण के कार्यों को पहले की संरचना से बेहतर व आपदारोधी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

8.1 पुनर्निर्माण

आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तात्कालिक गतिविधियों में क्षति आकलन, राज्य आपदा राहत कोष एवं अन्य विशिष्ट योजनाओं के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराना, महामारी की रोक-थाम, क्षतिग्रस्त ढांचों के सुधार, मरम्मत तथा मजबूती से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं, जबकि दीर्घकालिक निर्माणात्मक गतिविधियों में बहु खतरा सुरक्षित आवास निर्माण, आजीविका का पुनर्स्थापन, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि के साथ ही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कृषिगत पुनर्वास सम्मिलित है।

अ. तात्कालिक पुनर्निर्माण गतिविधियां

क्षति का आकलन

- सहाय वितरण के लिए आवश्यक होगा कि गृह क्षति, भूमि क्षति (भूमि पर बालू का जमाव), पशु क्षति, बर्तन एवं वस्त्र आदि की क्षति, फसल क्षति, मछुआरों के नाव-जाल आदि की क्षति आदि का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए। क्षति का आकलन करने के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की जायेंगी तथा सभी प्रकार की क्षति की डिजिटल कैमरे से तिथियुक्त फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करा ली जानी चाहिए।
- भूमि एवं फसल क्षति के आकलन के लिए जिला पदाधिकारी के द्वारा कृषि विभाग के जिला कृषि पदाधिकारी तथा राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को सम्मिलित जवाबदेही दी जानी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जमीन की मापी व जमीन पर स्वामित्व आदि के प्रश्नों को स्थापित कानूनों के अनुसार बिना देर किये हल कर दिया जाये। फसल क्षति हेतु अनुदान रबी की फसल की बुवाई के पहले भुगतान कर दिया जाना चाहिए ताकि जिन किसानों की फसल बाढ़ से बरबाद हो गयी है, उन्हें रबी की फसल उगाने हेतु सहायता मिल सके।
- बाढ़ के दौरान सड़क, पुल- पुलियों, विद्युत संचरण लाइन, दूर संचार माध्यमों, सरकारी भवनों, अस्पतालों/दवाओं, जलापूर्ति योजनाओं, चापाकलों, वन सम्पदा आदि की क्षति का आकलन सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। जिला पदाधिकारी क्षति आकलन का समन्वय करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करेंगे। क्षति के आकलन के उपरान्त उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए सम्बन्धित विभागों को प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए।
- पारदर्शिता बनाये रखने के लिए क्षति के आकलन के समय यथानुसार पंचायत/वार्ड अनुश्रवण एवं निगरानी समिति का सहयोग एवं परामर्श प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

राहत वितरण

- क्षति का आकलन करने के तुरन्त बाद प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित मानदर के अनुसार राहत वितरण का कार्य आरम्भ किया जायेगा। राहत वितरण यथानुसार वार्ड/पंचायत स्तरीय समितियों के पर्यवेक्षण/परामर्श से किया जायेगा। राहत वितरण के साथ-साथ मनुष्य एवं पशुओं के जान की क्षति के लिए भी नियमानुसार क्षति की भरपाई के लिए सहाय मानदर के अनुसार भरपाई की जायेगी। इसी के साथ-साथ मृत एवं घायल व्यक्तियों के परिवारों को भी निर्धारित मानदर के अनुसार सहायता प्रदान की जायेगी।
- आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को एक माह के लिए निर्धारित मानदर के अनुसार खाद्यान्न का वितरण तथा नगद अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए अगले माहों के लिए भी मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की सहमति से खाद्यान्न वितरण आदि का निर्णय लिया जाना चाहिए।
- आपदाग्रस्त क्षेत्र के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रबी की बुवाई हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में रणनीति बना ली जानी चाहिए।
- क्षतिग्रस्त फसल यदि फसल बीमा के अन्तर्गत आच्छादित हो तो सहकारिता विभाग द्वारा यथाशीघ्र फसल बीमा की राशि के भुगतान हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए।
- आपदा के उपरान्त राहत कैम्प/मेगा राहत कैम्पों में राज्य सरकार द्वारा निर्देशित मानकों के अनुरूप राहत सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिए। (इस सन्दर्भ में विभागीय निदेश पत्रांक 2493/आ0प्र0 दिनांक 5.09.08 का सन्दर्भ लिया जायेगा।)

महामारी की रोक-थाम

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने की सर्वाधिक आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महामारी की रोक-थाम हेतु निरोधात्मक कदम उठाये जाने चाहिए।

क्षतिग्रस्त ढांचों का सुधार, मरम्मत तथा मजबूती

सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन आधारभूत संरचनाओं की क्षति के आकलन कराने के पश्चात् उनके त्वरित पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में किये जाने वाले कार्यों को निम्नवत् देख सकते हैं –

क) सुधार : सुधार का मुख्य उद्देश्य भवनों को तुरन्त काम में लाना है। सुधार के लिए निम्न बिन्दु अपनाये जा सकते हैं –

- छोटी-मोटी कमियों को दूर करना, जैसे दीवारों में दरारें, गिरे प्लास्टर को सही करना।
- खिड़कियों, दरवारों की मरम्मत करना।
- बिजली वायरिंग में हुई तकनीकी खामी को जांचना तथा मरम्मत करना।
- गैस पाइप, पानी पाइप, सीवरेज तथा अन्य प्लम्बिंग से जुड़ी सुविधाओं की जांच करना तथा मरम्मत करना।
- टूटे हुए दीवारों, छतों, फर्श में पड़ी दरारों आदि की मरम्मत करना तथा इस पर पुनः रंगाई-पुताई करना।

ख) मरम्मत : इसमें मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त हिस्से को पुनः बनाया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न बिन्दु आते हैं –

- दरार पड़े मोटे-मोटे दीवारों को हटाकर उनके स्थान पर नये पतले एवं कम स्थान घेरने वाले दीवारों को बनाना।
- दरार पड़े दीवारों को दोनों तरफ से मजबूत जाल से बांधकर उसे बढ़िया तरीके से बोल्ट से कस देना ताकि दीवार मजबूत रहे। इसके लिए बहुत से विकल्प उपयोग किये जा सकते हैं।
- दीवारों, कालमों, बीमों आदि के बीच की दरारों को भरने के लिए प्राक्सी सामग्रियों का उपयोग करना।

जहां पर ढांचागत मरम्मत या सुधार जरूरी हो, वहां पर पहले हल्का सुधार कराना सही होता है ताकि सामग्रियों की बरबादी एवं अव्यवस्था से बचने के लिए पर्याप्त नियोजन करने हेतु समय मिल जाये।

ग) मौजूदा भवनों को मजबूत करना : वास्तविक मजबूती को और अधिक उन्नत करने को ही मजबूती प्रदान करना कहते हैं। किसी भी आपदा के बाद जब भवनों का आकलन किया जाता है और यह पाया जाता है कि ये भवन फिलहाल तो मजबूत हैं, लेकिन आगामी किसी भी प्रकार की आपदा को यह सह नहीं पायेंगे तो ऐसी स्थिति में उन्हें और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता होती है। मजबूती की यह प्रक्रिया निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत सम्पादित की जा सकती है –

- दीवारों और कालमों की संख्या बढ़ाकर या दीवार का क्षेत्रफल बढ़ाकर या सुदृढ़ीकरण करते हुए दोनों तरफ से उसे मजबूत बनाया जा रहा है।
- एक दीवार को दूसरी दीवार से या एक कालम को दूसरी कालम से समुचित रूप से जोड़ना ताकि भूकम्प आदि के आने की स्थिति में दीवारों के गिरने की आशंका कम से कम रहे तथा सभी सदस्य सुरक्षित रहें।
- सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना।

ब. दीर्घकालिक गतिविधियां

रिकवरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, मानसिक आघात से उबरने हेतु आवास एवं उससे सम्बद्ध ढांचों का पुनर्निर्माण आपदा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः आपदा प्रभावित समुदायों के स्थाई विकास के लिए इसमें आवास, ढांचा, आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण आदि के पुनर्वास सहित व्यापक व सघन गतिविधियां करनी होंगी। इसके अन्तर्गत प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर निम्नलिखित गतिविधियों एवं माध्यमों को पुनर्निर्माण प्रक्रिया में एक संगठित स्वरूप में शामिल करना होगा। इससे समुदाय का स्थाई विकास सुनिश्चित होगा।

क) डिजाइन एवं सामग्री : आवास के पुनर्निर्माण के लिए उपयुक्त डिजाइन होना चाहिए। जैसे बनने वाले आवास सांस्कृतिक रूप से मान्य, पर्यावरणसम्मत एवं समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने चाहिए। आवास में उपयोग की जाने वाली सामग्री और तकनीक भी आपदा को ध्यान में रखकर होनी चाहिए तथा वह भी समुदाय की जानकारी में होना चाहिए ताकि जब उन्हें आवास दिया जाये तो वे उसकी देख-भाल करने में सक्षम हों। ज्यादा अच्छा होगा कि जिन्हें आवास में रहना है, उनकी देख-रेख में ही आवास बने।

ख) आपदा रोधी (Resilient) निर्माण : आपदा के बाद पुनर्निर्माण की गतिविधियों के अन्तर्गत आपदारोधी आवास बनाने हेतु तकनीकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग एवं अन्य सदस्य होंगे, जो build, back, better के सिद्धान्तों पर आपदारोधी आवास बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये सदस्य बहु आपदारोधी डिजाइन तैयार करने और पूरी निर्माण प्रक्रिया की निगरानी में सहयोग करेंगे। समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आपदारोधी तकनीकों को विभिन्न योजनाओं एवं विकासात्मक परियोजनाओं में शामिल किया जाये जिससे उन योजनाओं के फण्ड को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। उदाहरण के लिए इन्दिरा आवास योजना एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य योजनाएं।

ग) गृहस्वामियों का उन्मुखीकरण : आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए यह एक उल्लेखनीय माध्यम है। इसमें आवास के स्वामी को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी सुविधा के अनुसार आवास बनवा ले। इस तरीके में जिला प्रशासन निर्माण गतिविधि के लिए सिर्फ अनुदान एवं तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराता है। इससे लोगों के अन्दर स्वामित्व की भावना उपजती है तथा उन्हें अपने सामाजिक पूंजी को यथावत बनाये रखने में मदद मिलती है। साथ ही लोगों के जुड़ने से लागत घटाने तथा समुचित निगरानी करने में सहायता मिलती है।

ब.1 आधारभूत सुविधाएं

सभी पुनर्निर्माण एवं रिलोकेशन साइटों पर निम्नलिखित आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सुनिश्चित करेगा—

क) स्वास्थ्य सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- यह समिति स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर विभिन्न निर्माण एजेंसियों एवं विभागों जैसे प्राइवेट एजेंसियों, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, भवन बोर्ड आदि से समन्वय स्थापित करेगी और सभी पुनर्निर्माण साइटों पर आवश्यक ढांचों सहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

- इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि का उपयोग किया जा सकता है।

ख) शिक्षा सुविधाएं :

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- यह समिति शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिले में आपदा प्रभावित बच्चों/छात्रों के लिए शिक्षा देना सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न निर्माण एजेंसियों एवं विभागों जैसे भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग आदि से समन्वय स्थापित करेगी।
- इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे आंगनबाड़ी कार्यक्रम, क्रेच कार्यक्रम, बाल पुस्तकालय आदि का उपयोग किया जा सकता है।

ग) जल

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों पर निरन्तर जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पाइपलाइनों एवं अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग द्वारा पीने एवं अन्य उपयोग हेतु पानी की अबाध आपूर्ति भी यह समिति सुनिश्चित करेगी।
- समुचित जल संग्रहण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इकाई का गठन भी यह समिति विभिन्न पुनर्निर्माण एजेंसियों के साथ मिलकर करेगी।

घ) जल निकासी एवं साफ-सफाई की सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए यथोचित जल निकासी एवं साफ-सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पुनर्वास साइटों पर समुचित ड्रेनेज प्रणाली एवं अन्य हाइजिन एवं सैनिटेशन गतिविधियां सुनिश्चित करने हेतु लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग तथा निर्माण एजेंसियों जैसे — प्राइवेट एजेंसियों, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, आवास बोर्ड आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

च) बिजली

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए बिजली एवं प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- सभी पुनर्वास साइटों पर स्थाई कनेक्शन के साथ बिजली एवं सम्बन्धित ढांचों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु यह समिति बिजली विभाग एवं नगर निगम के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

छ) परिवहन एवं एक से दूसरे सम्पर्क मार्गों को जोड़ने की सुविधाएं

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिले में सभी पुनर्निर्माण साइटों के लिए यथोचित सड़क एवं परिवहन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक समिति का गठन करेगा।
- पुनर्निर्माण साइटों के लिए परिवहन एवं सड़क सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं अभियन्त्रण विभाग, बिहार रोडवेज, भवन एवं सड़क निर्माण विभाग आदि के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

8.2 पुनर्वास

आपदा के बाद पुनर्वास एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आजीविका पुनर्स्थापन, मानसिक देख-भाल, पर्यावरणीय पुनर्वास आदि विभिन्न पहलू शामिल होते हैं। पुनर्वास प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत सम्बन्ध स्थापित करने तथा जिले में समुदाय के साथ काम करने के अवसरों को देखने की आवश्यकता होगी।

पुनर्वास प्रक्रिया में मुख्य तौर पर निम्न बिन्दुओं पर पुनर्वास का खाका तैयार करना होगा—

- **सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास** : सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की आपदा के बाद आजीविका सुनिश्चित करने, आजीविका में स्थाईत्व लाने तथा सुधार करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जायेगा। इस हेतु जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न बिन्दुओं पर काम करेगी-
 - ✓ आजीविका के क्षेत्र में सुधार, आजीविका के नये-नये अवसरों की पहचान तथा इस हेतु विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों (मनरेगा, पशुपालन, बीज उत्पादन आदि) से जुड़ाव सुनिश्चित करना।
 - ✓ समुदाय स्तर पर प्लेस्कूलों आदि की स्थापना करना तथा आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्कूल से पहले शिक्षा, नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण, खेल-कूद एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना।
 - ✓ आपदा प्रभावित विधवाओं, बेसहारा व्यक्तियों को पंजीकृत करना तथा उन्हें समाज कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना।
 - ✓ आपदा के बाद वृद्धों को पुनः सुचारु जीवन-यापन चलाने हेतु व्यवस्था प्रदान करने के लिए वृद्धों का पंजीकरण करना तथा वृद्धावस्था की तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करना।
 - ✓ शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को कृत्रिम हाथ, पैर, सुनाई देने की मशीन, व्हील चेयर्स आदि प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी एजेंसियों जैसे समाज कल्याण विभाग, रेडक्रास सोसायटी आदि से सम्पर्क स्थापित करना तथा इन्हें स्कालरशिप आदि दिलाने की व्यवस्था करना।
 - ✓ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों से जुड़े प्रभावित लोगों की आजीविका में सहयोग करने हेतु समाज कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करना तथा इन्हें तकनीकी कौशल प्रदान करना।
- **मनोवैज्ञानिक पुनर्वास**
 - ✓ आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मानसिक आघात से उबारने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा।
 - ✓ आपदा प्रभावित समुदायों को मानसिक आघात से उबारने हेतु यह समिति स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर समुदाय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित करेगी।
 - ✓ आपदा प्रभावित बच्चों के मनोवैज्ञानिक देख-भाल हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों जैसे बाल भवन, खेल का मैदान, हॉबी क्लासेज आदि प्रयुक्त की जा सकती हैं।
- **कृषिगत पुनर्वास**
 - ✓ जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक कृषिगत पुनर्वास समिति का गठन करेगी, जो आपदा की वजह से मृदा की उर्वरता एवं संरचना में आये बदलाव की स्थिति में मृदा सुधार कार्य सुनिश्चित करेगी।
 - ✓ समिति कृषि विभाग के सहयोग से जिले में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करेगी, जो कृषिगत पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने तथा शोध कार्य करने का काम करेगी।
 - ✓ कृषिगत पुनर्वास पर काम करने के लिए समिति जिले में काम करने वाली स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेगी।
 - ✓ मृदा में आये बदलाव को देखते हुए समिति फसल पद्धति, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उचित संयोजन आदि के बारे में भी सुझाव देगी और इस तरह का एक मॉडल भी तैयार करेगी।
- **पर्यावरणीय पुनर्वास**
 - ✓ जलस्रोतों, हवा, मिट्टी प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं से निपटने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक पर्यावरणीय पुनर्वास समिति का गठन करेगी।
 - ✓ यह समिति प्रदूषण के स्तर की जांच करने, उसे नियंत्रित करने व निगरानी करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगी।
 - ✓ यह समिति पुनर्वास साइटों की निगरानी करेगी और प्रदूषण घटाने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी।

■ सामाजिक पूंजी का पुनर्स्थापन

- ✓ आवास वितरण के दौरान भी लोगों के सामाजिक संबंध पहले की तरह ही बने रहें, इस हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक सामाजिक पूंजी पुनर्स्थापन समिति का गठन करेगी।
- ✓ आवास आवंटन प्रक्रिया से लोगों के सामाजिक संबंधों पर असर न पड़ने देने के लिए समिति वितरण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करेगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिन परिवारों के बीच आपसी ताल-मेल बेहतर है, उन्हें आस-पास के मकान आवंटित किये जायें।

पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है और सभी गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित की जा रही हैं, इस बात की निगरानी का प्रावधान जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत किया गया है।

अध्याय : 9

बजट एवं वित्तीय संसाधन (Budget & Financial Resources)

किसी भी योजना के सफलीभूत होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पान्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं० 32-3/2010-एनडीएम-1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पान्स फण्ड का गठन किया है। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया। 13वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत, कोष की यह व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

एन०डी०आर०एफ० व एस०डी०आर०एफ० फण्ड के उपयोग के सन्दर्भ में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2015 में राज्य के सभी मुख्य सचिव एवं आपदा प्रबन्धन विभाग को जारी दिशा निर्देश के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के बीच सहाय वितरण हेतु मदों की सूची तथा मानदर निर्धारित किया गया है। इसमें माह फरवरी एवं मार्च, 2015 में ओलावृष्टि से फसल क्षति को भी सम्मिलित करते हुए नये मानदर के अनुसार अनुमान्य भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी (संलग्नक 21)। यह मानदर अप्रैल, 2015 से 2020 तक लागू था।

वर्तमान समय में बिहार सरकार आपदा प्रवण क्षेत्रों में मोटरबोटों की खरीदी, वेयर हाउसों के निर्माण, इमरजेन्सी आपरेशन सेण्टरों को मजबूती प्रदान करने, जिले में बाढ़ से बचाव की दृष्टि से महाजाल, लाइफजैकेट आदि की खरीदी करने, संचार सम्बन्धी उपकरणों की खरीदी एवं उसके रख-रखाव तथा आपदा से सम्बन्धित पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने व आपदा न्यूनीकरण के उपर हितभागियों के क्षमता वर्धन कार्यों में निवेश कर रही है। जैसाकि अधिनियम के अन्तर्गत सभी विभागों की अपनी अलग आपदा प्रबन्धन योजना होना अनिवार्य है। अतः ऐसी स्थिति में सभी विभागों द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिए कि वे राज्य स्तर पर अपने-अपने वार्षिक विभागीय योजना में आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अलग से बजट का प्रावधान करें।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जो आपदा प्रबन्धन की दिशा में उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसके अन्तर्गत राज्य में चलाये जा रहे इन्दिरा आवास योजना, मनरेगा, सात निश्चय, शताब्दी अन्न कलश योजना आदि कार्यक्रम हैं। जिनके उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से आपदा प्रबन्धन हेतु बजट की बात नहीं कही गयी है, परन्तु उनके कार्य बिन्दुओं में दिये गये कार्यों को आपदा से रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी, पुनर्निर्माण जैसे आपदा प्रबन्धन के घटकों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार तथा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (Clamity Relief Fund (CRF)) के स्थान पर राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि का गठन भारत सरकार स्तर पर हुआ। राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि की प्रशासकीय व्यवस्था राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के हाथ में होती है। गम्भीर आपदा आने की स्थिति में, जब राज्य आपदा रिस्पान्स निधि से राहत कार्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है, उस समय कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि के मद से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु यह आवश्यक होता है कि राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रवार नुकसान तथा आवश्यक निधि का उल्लेख करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद, एक अन्तर-मंत्रालय केन्द्रीय टीम का गठन कर उन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी जाती है कि वे क्षति का भौतिक आकलन करते हुए मौजूदा सामग्रियों तथा मानकों के अनुसार राहत कार्यों के लिए आवश्यक निधि का आकलन करें। अन्तर-मंत्रालय टीम/राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गृह सचिव द्वारा विचार-विमर्श करने के उपरान्त वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष को मिलाकर गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट तथा अन्तर-मंत्रालय टीम की संस्तुति के

आधार पर राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जाता है और वर्तमान सामग्रियों तथा मानकों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से धनराशि संस्तुत की जाती है। आपदा की स्थितियों में तात्कालिक तौर पर केन्द्र द्वारा राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के अन्तर्गत अपने 75 प्रतिशत अंशदान का शेष भाग उपलब्ध करा दिया जाता है। राज्य आपदा रिस्पान्स निधि/राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से किया जाने वाला खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जो वित्त मंत्रालय के सहयोग के साथ भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राज्य आपदा रिस्पान्स निधि और राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स निधि से किये जाने वाले खर्चों के मानकों एवं पात्र आपदाओं में राहत के लिए आवश्यक वस्तुओं के अनुसार ही खर्च की जाती है।

राज्य आपदा राहत निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार तथा 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आपदा राहत निधि (Clarity Relief Fund (CRF)) के स्थान पर राज्य आपदा रिस्पान्स निधि का गठन हुआ। इस निधि में 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपना अंशदान दो चरणों में जून व दिसम्बर माह में जारी किया जाता है। ठीक इसी प्रकार, राज्य सरकार भी राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के खाते में अपना 25 प्रतिशत अंशदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो चरणों में (जून व दिसम्बर माह में) स्थानान्तरित करता है। किसी विशिष्ट आपदा के आने की आशंका होने की स्थिति में, यदि गृह मंत्रालय उसका संज्ञान लेता है तो राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार आने वाले वर्ष का 25 प्रतिशत अग्रिम में दे सकता है, जिसे आगामी वर्ष के अंशदान में समायोजित कर लिया जायेगा। संविधान के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के प्रशासन के अनुसार बाढ़, भूकम्प, अगलगी, एवं कीटों के आक्रमण से प्रभावितों को फौरी तौर पर राहत उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा रिस्पान्स निधि का उपयोग किया जायेगा। राज्य आपदा रिस्पान्स निधि के राहत से सम्बन्धित सभी तात्कालिक खर्चों से जुड़े विषयों का निर्णय राज्य के प्रमुख सचिव द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री राहत कोष

राज्य स्तर पर, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित, या फिर सड़क, वायु या रेल दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को तत्काल सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष की स्थापना की गयी है।

9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक योजनाएं/कार्यक्रम, जुड़ाव का स्वरूप व कार्यदायी संस्थाएं

तालिका 28 : आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहायक केन्द्र व राज्य की योजनाएं एवं जुड़ाव का स्वरूप

योजना	जुड़ाव का स्वरूप	कार्यदायी संस्था
केन्द्र सहायतित योजना		
अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं को सशक्त करना।	इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बहु आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे किसी भी प्रकार की आपदा में प्रथम रिस्पान्डर के तौर पर रिस्पान्स करने में सक्षम हो सकें। • इसके अन्तर्गत अग्नि आपदा से बचाव सम्बन्धी उपकरणों जैसे अग्निशामक यंत्रों, हौज पाइपों आदि की खरीदी सुनिश्चित करना। • अग्नि बचाव से सम्बन्धित जागरूकता कार्यक्रम व स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम चलाना। • खोज एवं बचाव के ऊपर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण करना। • अगलगी से उत्पन्न खतरों एवं जोखिम का आकलन करना।	गृह विभाग, आपदा विभाग, विभागीय प्रबन्धन विभाग, वित्त विभाग
मनरेगा	इस योजना के अन्तर्गत बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इस योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण, खेत का समतलीकरण, तालाब की खुदाई आदि कार्यों के माध्यम से आपदा को कम करने में सहायता मिलेगी। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खेतों की मेड़बन्दी, चेकडैम, तालाब-पोखरों का गहरीकरण आदि कार्य सूखा आपदा को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे।	ग्रामीण विकास विभाग

नमामि गंगे	इस योजना के तहत गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करते हुए उन्हें संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
रिवर बेसिन मैनेजमेण्ट	केन्द्र सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के मुख्य नदी बेसिन के क्षेत्रीय संसाधनों का मूल्यांकन कर वहां पर चलाये जा रहे योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के सन्दर्भ में मूल्यांकन करना है। बिहार राज्य में इस योजना के माध्यम से गंगा एवं उसकी सहायक नदी (कोसी) में बढ़ते अवसादों (segmentation) के कारण बढ़ रहे बाढ़ के प्रकोप को समझने एवं उसको कम करने के उपाय को अपनाने हेतु सहायक हो सकते हैं।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
नेशनल रिवर कन्जरवेशन प्लान	यह योजना केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत देश के सभी छोटी-बड़ी नदियों एवं नदी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी असंतुलन को कम करने तथा बचाने हेतु राज्य सरकार को यथोचित बुनियादी ढांचों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना	2018 में लागू इस योजना के तहत अनपेक्षित घटनाक्रम (बाढ़, सूखा, आंधी-तुफान) के कारण फसल हानि व क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे किसान विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, प्रतिस्पर्धा में सक्रिय साझेदारी कर सकें।	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला एवं उपजिला स्तर पर सिंचाई साधनों में निवेश कर जल संसाधन का बेहतर उपयोग करना है।	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छ भारत मिशन एक अभियान है, जिसके तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके साथ ही इस मिशन के माध्यम से लोगों को शौचालय बनाने हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से पेयजल एवं भूगर्भ जल के प्रदूषण को कम करते हुए आपदा के दौरान एवं बाद में फैलने वाली जल एवं विषाणु जनित बीमारियों के प्रकोप को कम किया जा सकता है।	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना	आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक प्रभावी योजना है। प्रत्येक वर्ष इन्दिरा आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सार्वजनिक सम्पत्तियों जैसे स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केन्द्रों आदि के पुनरुद्धार के लिए इन योजनाओं के अर्न्तगत दिये गये फण्डों का उपयोग किया जा सकता है।	योजना एवं विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग व वित्त विभाग
jkT; lgk;frr ;kstuk		
बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015	विशेषकर बंटाईदार किसान इस योजना से जुड़ाव कर आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हो सकते हैं।	कृषि विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग
शताब्दी अन्न कलश योजना	बाढ़ व सुखाड़ दोनों परिस्थितियों के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है।	खाद्य आपूर्ति सुरक्षा विभाग
मिड-डे-मील	बाढ़ व सूखा प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खाद्य आपूर्ति की एक बेहतर योजना है।	शिक्षा विभाग, आपदा प्रबन्धन योजना
मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों में आपदा रोक-थाम, शमन, पूर्व तैयारी सहित आपदा प्रबन्धन के सभी घटकों के उपर कौशल विकास एवं क्षमता वर्धन करने का कार्य इस योजना के अन्तर्गत किया जाता है। इसके तहत 'सुरक्षित शनिवार' के नाम से चलाये जा रहे कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार को बच्चों को आपदा प्रबन्धन के किसी एक विषय के ऊपर प्रशिक्षण व माकड्रिल के माध्यम से जागरूक किया जाता है।	शिक्षा विभाग
सात निश्चय	सात निश्चय के अन्तर्गत शामिल कार्यक्रमों – सड़क निर्माण, लगातार बिजली, साफ पीने का पानी, हर घर में शौचालय, युवाओं को रोजगार, पढ़ाई व महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शामिल है। इन सभी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रोक-थाम, शमन व पूर्व तैयारी के उपायों को शामिल कर उनके लिए बजट का प्रावधान किया जा सकता।	शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग

9.2 केन्द्रीय सरकार की गैर योजना कार्यक्रम

प्रधानमंत्री राहत कोष

राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख-भाल पहुंचाने हेतु
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ-सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद रु० 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा रिस्पान्स को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पान्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पान्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग

आपदा प्रबन्धन के सन्दर्भ में देखा जाये तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण के समय वित्तीय संसाधन एवं प्रबन्धन का होना अत्यधिक आवश्यक है। इस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के प्रावधान से अलग गंभीर प्राकृतिक स्थिति होने पर इस कोष का प्रावधान राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स कोष से किया गया है।

9.3 अन्य विकल्प

इसके अलावा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत, पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है। साथ ही अन्य विकल्पों के तौर जोखिम बीमा व आपदा के कारण बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए माइक्रो इन्श्योरेंस, कारपोरेट सोशल रिस्पान्सबिलिटी (CSR) के अन्तर्गत फण्ड को राहत, पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन के कार्यों में सहयोग लिया जा सकता है।

अध्याय : 10

निगरानी, मूल्यांकन एवं जिला आपदा प्रबन्धन योजना का अद्यतन

(Monitoring, Evaluation and Updation of District Disaster Management Plan)

जिला आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण एक निरन्तर प्रक्रिया होती है। जिसकी निरन्तर एवं सघन निगरानी, मूल्यांकन व समय-समय पर उसको अद्यतन किया जाना आवश्यक होता है। निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया न केवल योजना के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहयोग करती है, वरन् इससे कार्यों की भी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। साथ ही साथ निरन्तर निगरानी एवं मूल्यांकन के माध्यम से आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में नये विकल्पों के ऊपर चर्चा करने एवं काम करने का अवसर मिलता है। इस दृष्टिकोण से जिला आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन विभिन्न पहलुओं एवं स्तरों पर किया जाना चाहिए। जिससे योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितभागियों के लिए सुझाये गये कार्यों की प्रगति एवं उसकी वस्तुस्थिति को समझा जा सके तथा विगत आपदाओं के दौरान प्राप्त सीखों एवं अनुभवों के आधार पर कार्यों/उपायों की सफलता-असफलता को जांचते हुए कार्य बिन्दु में बदलाव किया जा सके।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना के उपयुक्त निगरानी, मूल्यांकन एवं अद्यतन करने के लिए जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। जिला आपदा प्रबन्धन योजना की निगरानी, मूल्यांकन एवं अद्यतन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं –

- संसाधनों की उपयुक्तता/उपलब्धता
- विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के बीच समन्वयन
- समुदाय की सहभागिता
- गैर सरकारी संगठनों के साथ सहभाग करना।
- आपदा से सम्बन्धित बीमा योजनाओं पर कार्य करने के लिए बीमा कम्पनियों के साथ सहभाग करना।

10.1 योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देश

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिला आपदा प्रबन्धन योजना के निर्माण से सम्बन्धित धारा 31 की उपधारा 4, 5, 6 एवं 7 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार –

- जिला योजना का वार्षिक रूप से पुनर्विलोकन किया जायेगा और उसे अद्यतन किया जायेगा।
- उपधारा (2) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट जिला योजना की प्रतियां जिले के सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेंगी।
- जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा, जिसे वह राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा।
- जिला प्राधिकरण समय-समय पर, योजना के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा, जिन्हें वह क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन के समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए—

- सभी विकासीय योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मानकों को शामिल किया गया है एवं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- प्रत्येक एक वर्ष पर जिले में उपस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी सभी संसाधनों की सक्रियता एवं पर्याप्तता की निगरानी करना। इसके अन्तर्गत सभी विभागों/एजेन्सियों/सामुदायिक संगठनों के पास उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों की सूची को अद्यतन किया जायेगा और उसे आई0डी0आर0एन0/एस0डी0आर0एन0 की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
- संसाधनों को अद्यतन करने हेतु जिला इमरजेंसी आपरेशन सेण्टर उत्तरदायी होगा, जो सामान्य समय में विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्र कर एन0आई0सी0 के सहयोग से इस कार्य को करेगा।

- जिले में उपस्थित सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तियों का निम्नलिखित आडिटों के माध्यम से निगरानी एवं मूल्यांकन किया जा सकता है—
 - महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए विद्युत सुरक्षा आडिट
 - महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए अग्नि बचाव आडिट
 - सभी सरकारी कार्यालयों एवं भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा आडिट
 - आवासीय भवनों के निर्माण में राष्ट्रीय भवन संहिता का पालन सुनिश्चित कराना।
- यह भी सुनिश्चित करना कि सभी विकासात्मक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों का समावेश किया गया है।
- सभी विभागों, एजेंसियों एवं अन्य हितभागियों के नोडल पदाधिकारियों के बीच समन्वयन को अपडेट करना।
- सभी फ्रण्टलाइन विभागों के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित किये जाने की निगरानी करना।
- जिले के अन्दर बचाव, शमन, पूर्व तैयारी एवं रिस्पान्स से सम्बन्धित सभी कार्यों के उपयुक्त क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा सफल अभ्यासों (Best Practices) का दस्तावेजीकरण करना।
- निगरानी हेतु विभागवार चेकलिस्ट विकसित करना (संलग्नक 22)।
- योजना की उपयोगिता को जानने हेतु नियमित मॉकड्रिल एवं अभ्यास किया जाना।
- आयोजित मॉकड्रिलों एवं अभ्यासों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं अन्य एजेंसियों की नियमित सहभागिता सुनिश्चित करना।
- योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार अधिकारियों एवं अन्य हितभागियों का नियमित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण किया जाना।
- सम्पूर्ण योजना या उसके महत्वपूर्ण भाग को ई-प्लान के तौर पर विकसित कर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करना ताकि योजना की जानकारी अधिक से अधिक हितभागियों तक हो सके। इस प्रक्रिया से योजना के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में और अधिक पारदर्शिता आयेगी।

संलग्नक-22 : प्रशिक्षित राजमिस्त्रीयों की सूची।

भूकंपरोधी भवन के विषय पर सात दिवसीय प्रशिक्षण।								
जिला:-सहरसा								
क्र० सं०	अंचल का नाम	राजमिस्त्री का नाम	पिता का नाम	गाँव का नाम	उम्र	अनुभव	शैक्षणिक योग्यता	मोबाईल नं०
01.	कहरा	फुलकान्त शर्मा	श्री रामस्वरूप शर्मा	सिरादेय महर्ता	40	15	पाँचवीं	8578802703
02.		डोमी शर्मा	जोगेन्द्र शर्मा	महरथा	41	17	दूसरा	9878746422
03.		रमेश यादव	कारी यादव	पटुहा कहरा	50	15	पाँचवीं	7549500365
04.		छोटेलाल दास	बेजु दास	मुरली बसंतपुर	49	20	पाँचवीं	9470255942
05.		अब्दूल कुदवुस	मो० कलीम	विधिया	29	8	सातवीं	6200520927
06.		संदीप कुमार संगम	हरी प्रसाद यादव	भर्राही	42	20	बारहवीं	7631470925
07.		अनिल शर्मा	तनुकी शर्मा	महरथा	38	10	सातवीं	7209653715
08.		पवन देव चौपाल	जगदीश चौपाल	बलुआहा	41	12	दसवीं	8809642405
09.		रिजय यादव	विन्देश्वरी यादव	भर्राही	43	10	दसवीं	9350883626
10.		विभीषण कुमार	बालेश्वर यादव	भर्राही	30	7	आठवीं	8051231886
11.		शंकर यादव	विन्देश्वरी यादव	दिधिया	41	17	आठवीं	6299131606
12.		जय कुमार शर्मा	धुलर शर्मा	महरथा	42	18	पाँचवीं	9608120693
13.		हरिबल्लब कामत	छटु कामत	बसौनी	46	10	आठवीं	9693035631
14.		प्रमोद कुमार	जगदीश दास	भर्राही	37	5	बारहवीं	9525139397
15.		रंजय कुमार शर्मा	पवितर शर्मा	महारथा	30	13	दसवीं	8789180032
16.		मो० जहीर	मो० खलील	दीधिया	33	13	चौथीं	7209116218
17.		सीताराम यादव	गेणु यादव	भर्राही	43	20	आठवीं	8102076452
18.		मधु कुमार शर्मा	बौनू शर्मा	दीधिया	35	5	दसवीं	9608685850
19.		केवल पंडित	विलो पंडित	बसौनी	28	5	आठवीं	9117039275
20.		मो० जमाल हुसेन	मो० उमर फारुक	दिधिया	50	25	अनपढ़	7205116218
21.		रंजीत शर्मा	बम शर्मा	महरथा	31	5	दूसरा	8229853931
22.		मदन ठाकुर	विष्णुदेव ठाकुर	बसौनी	28	3	सातवीं	7558217161
23.		रामाकांत शर्मा	दिनेश शर्मा	महरथा	29	9	बी०ए०	6204339946

24.		अरविन्द शर्मा	शिवनाराण शर्मा	महरथा	33	12	पाँचवीं	8809880564
25.		रविन्द्र यादव	बालेश्वर यादव	भर्राही	32	10	पाँचवीं	6203882289
26.		रामचन्द्र राम	महेन्द्र राम	दिधिया	36	12	आठवीं	7765941171
27.		मलटु ठाकुर	नारायण ठाकुर	भर्राही	35	12	अनपढ़	7858099304
28.		जयराम पासवान	छोटकन पासवान	मानपुर धुधैला	30	5	आठवीं	9576116621
29.		ललीत शर्मा	सत्यनारायण शर्मा	सिरादिपटी	32	5	आठवीं	9345271354
30.		सुरेश चौपाल	रामफल चौपाल	बलुआहा	55	20	पाँचवीं	9572721847
31.		कामेश्वर शर्मा	किशोर शर्मा	चैनपुर	32	12	चौथीं	6207714689
32.		नारायण यादव	तेतर यादव	महरथा	35	10	दूसरा	6201568784
01.	पतरघट	अनिल यादव	जवाहर यादव	उटी	36	12	आठवीं	8178875408
02.		सुभाष राम जनार्दन	जनार्दन राम	ठाडी पस्तपार	47	15	आठवीं	8873412880
03.		रंजीत कुमार	रघुनी राम	मौरकाही	31	7	बी०ए०	7488941782
04.		संजय राम	बिहारी राम	मौरकाही	26	5	दसवीं	6207481087
05.		राकेश राम	रघुनी राम	मौरकाही	23	5	बी०ए०	7352366415
06.		विजय कुमार	चन्देश्वरी यादव	पतरघट	49	15	दसवीं	6203311912
07.		शंभु ठाकुर	गणेश ठाकुर	पतरघट	56	18	पाँचवीं	8221010083
08.		जयकृष्ण कुमार	जनार्दन शर्मा	लक्ष्मीपुर	26	5	नौवीं	9110124750
09.		मो० मुस्ताक	मो० हसबुल	पतरघट	31	8	आठवीं	9572707628
10.		रंजीत कुमार	विधानंद यादव	भागवतपूर	38	12	नौवीं	9548982129
11.		जया पासवान	रामजी पासवान	सहसराम	42	20	दसवीं	9570505046
12.		जय कुमार	रामरूप ठाकुर	पहाड़पुर	29	9	बी०ए० पार्ट-02	9304658846
13.		संतोष राम	उमेश राम	सुरमाहा	25	5	बारहवीं	8434818750
14.		पवन सादा	लखन सादा	टेकनमा	44	13	पाँचवीं	8002613684
15.		विजय कुमार मंडल	लक्ष्मी मंडल	टेकनमा	32	10	बारहवीं	6201357549
16.		डोमी राम	परमेश्वरी	कहरा	38	10	चौथीं	9939382808
17.		मो० नईम	मो० जाहिर	कहरा	26	6	आठवीं	8521352826
18.		रंजीत कुमार	मधुसुदन मंडल	मानिकपुर	41	10	पाँचवीं	8287122862
19.		सबलु कुमार	विश्वदेव राम	पामा	24	5	बारहवीं	7520158585
20.		मो० मिसरोज आलम	अब्बास आलम	लक्ष्मीपुर	24	4	छड़वीं	8084561020

21.		बाल कृष्ण मंडल	बैधनाथ मंडल	मटी	33	9	दसवीं	8294973911
22.		रंजीत कुमार	राजेन्द्र राम	गिरहा	22	4	सातवीं	6207579013
23.		बबलू राम	विष्णु देव राम	पामा	28	5	बारहवीं	9534835492
24.		अभिनंदन राम	छोटनारायण राम	चिनाही	24	4	बारहवीं	9709875544
25.		मनटुन मंडल	रामदेव मंडल	टेकनमा	36	9	आठवीं	7988096685
26.		बलराम ठाकुर	बौकु ठाकुर	विशनपुर	38	10	आठवीं	9304162612
27.		रितेश ठाकुर	बौकु ठाकुर	विशनपुर	27	6	आठवीं	7765047381
28.		जितेन्द्र कुमार	चन्द्रदेव यादव	घोघनपटी	44	9	तीसरीं	9631858633
29.		विवेक राम	जनार्दन राम	ठाढ़ी	28	7	आठवीं	9113392309
30.		अवधेश यादव	चन्द्रेश्वरी यादव	लतीपुर	56	15	बारहवीं	867803124
01.	सिमरी बख्तियारपुर	चन्द्रकिशोर शर्मा	रामजतन शर्मा	शर्मा टोला	36	3	दसवीं	
02.		रंगा कुमार भारती	स्व0 हरेराम शर्मा	शर्मा टोला	33	12	दसवीं	9123478607
03.		राम कुमार शर्मा	केदार शर्मा	माखन टोला	34	15	दसवीं	6202842100
04.		गजेन्द्र राय	अनुयद्ध प्रसाद	मोहनपुर	40	14	---	9016263337
05.		अकुल शर्मा	मिस्त्री शर्मा	सिमरी बख्तियारपुर	56	30	---	7739584896
06.		चंदर कुमार	राम प्रसाद शर्मा	शर्मा टोला	58	10	निरक्षर	7739584896
07.		रमण कुमार	ललन राय	मोहनपुर	28	10	पाँचवीं	9931754022
08.		प्रकाश राम	स्व0 सिताबी राम	सीमरी	40	20	आठवीं	7739058281
09.		चनन्य शर्मा	अनिल शर्मा	शर्मा टोला	33	4	निरक्षर	7667582457
10.		ललित राय	देवेन्द्र राम	मोहनपुर	48	18	नौवीं	8340154190
11.		दिनेश शर्मा	दरोगी शर्मा	सिमरी बख्तियारपुर	49	20	निरक्षर	6206772162
12.		अशरफ आलम	मोहरम	खम्हौती	43	15	निरक्षर	9931358230
13.		अब्दूल मनानन	मो0 इनामुल हक	खम्हौती	27	10	दसवीं	8404951321
14.		केदार पंडित	बलदेव पंडित	सिमरी बख्तियारपुर	58	25	इंटरमिडीएट	8544115642
15.		सनोज पासवान	रामसोगरथ पासवान	आजाद नगर गंज	33	10	आठवीं	9719055824
16.		मनोज कुमार	शिवनारायण	मधुबन	35	20	आठवीं	7903094226

17.		राजेश राज शर्मा	तुलानन्द शर्मा	खम्हौती	35	19	नौवीं	6201190403
18.		सुदीन मुखिया	दुख मुखिया	सिमरी बख्तियारपुर	36	15	निरक्षर	8521708128
19.		ओमप्रकाश यादव	शिवनारायण यादव	मधुबन	46	17	निरक्षर	9709177003
20.		संजय रजक	किशोर रजक	सिमरी	37	15	आठवीं	8877397004
21.		बलवीर शर्मा	अर्जुन शर्मा	खम्हौती	30	12	पाँचवीं	7827103325
22.		मो0 खुशीद आलम	मो0 हासीम	सिमरी वार्ड-12	56	32	आठवीं	8809906000
23.		अंकित कुमार	बिशेश्वर शर्मा	मधुबन	26	5	आठवीं	9523988796
24.		ललन कुमार शर्मा	परमेश्वरी शर्मा	माखन टोला	32	10	आठवीं	7366043184
25.		उदय कुमार	ललीत राय	मोहनपुर	24	3	इंटरमिडीएट	8340154190
26.		जितेन्द्र शर्मा	देबू शर्मा	शर्मा टोला	32	10	आठवीं	9905310508
27.		अकलू शर्मा	दिलेश्वर शर्मा	माखन टोला	44	20	तीसरीं	7987233105
28.		मो0 कैशर	अब्दूल कोदुस	सिमरी	32	15	आठवीं	7739885411
29.		गंगा शर्मा	जगदेव शर्मा	शर्मा टोला	42	10	आठवीं	9113392309
30.		सुमन राय	ललन राय	मोहनपुर	29	4	दसवीं	6200325501
01.	बनमा ईटहरी	विजेन्द्र कुमार	समौली साह	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	7870428478
02.		रामचन्द्र साह	गोदो साह	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	8294438917
03.		गंगा शर्मा	स्व0 शिवनारायण शर्मा	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	6239626473
04.		रामविलास शर्मा	स्व0 शिवनारायण शर्मा	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	8298218026
05.		मो0 निजाम	मो0 इसलाम	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	8581066465
06.		पप्पू शर्मा	चानो शर्मा	सा0 घौड़दौर, पं0 घौड़दौर	---	---	---	7208090475
07.		कैलाश शर्मा	स्व0 गमल शर्मा	सा0 घौड़दौर, पं0 घौड़दौर	---	---	---	9022444193
08.		पारो शर्मा	स्व0 जगत शर्मा	सा0 घौड़दौर, पं0 घौड़दौर	---	---	---	9771882068

09.		मिथिलेश तांती	जतर तांती	सा0 कासिमपुर सरबेला	---	---	---	7061990278
10.		मनतु शर्मा	घोलट शर्मा	सा0 घौड़दौर, पं0 घौड़दौर	---	---	---	8235330490
11.		अरुण रजक	स्व0 तिलो रजक	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	9572242110
12.		मो0 इसराईल	स्व0 मो0 अहमद	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	6299013658
13.		चुनचुन साह	पुरन साह	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	9267918473
14.		मो0 मुस्ताक आलम	स्व0 बसारत हुसैन	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	6207633258
15.		रामू रजक	बन्दे रजक	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	8409413965
16.		मो0 आलम	मो0 सकुर	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	7903094226
17.		जगदेव साह	आनन्दी साह	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	9060612741
18.		विष्णुदेव पासवान	अधिक पासवान	सा0 घौड़दौर, पं0 घौड़दौर	---	---	---	6206726841
19.		अशोक पौधार	स्व0 बुचकुन पौधार	सा0 पहलाम, पं0 घौड़दौर	---	---	---	7654083657
1.	सतरकटैया	दुर्बल चौपाल	कनकीर चौपाल	कटैया	---	---	---	8877712021
2.		पन्नेलाल चौपाल	तारनी चौपाल	सतरकटैया	---	---	---	8245811909
3.		बमभोला पासवान	नन्देव पासवान	मकुना	---	---	---	9771444703
4.		प्रमोद यादव	गुमानी यादव	पनीदाहा	---	---	---	9693682489
5.		सुरेश शर्मा	श्रीचन्द्र शर्मा	कटैया	---	---	---	6299597596
6.		शैलेन्द्र कुमार	खरकन यादव	दूम्मा	---	---	---	9708825544
7.		मो0 आविद	मो0 रजाक	कटैया	---	---	---	6204329093
8.		भूपेन्द्र राम	रामजी राम	मकुना	---	---	---	9523954507
9.		शंभू राम	वासूदेव राम	मकुना	---	---	---	8102506965
10.		मुकेश कुमार	ठको साह	सिहौल	---	---	---	8298607511
11.		नीतिश कुमार	दामोदर यादव	नंदलाली	---	---	---	9798353175
12.		उदगार राम	सहदेव राम	नंदलाली	---	---	---	9102081006
13.		बैजनाथ यादव	दामोदर यादव	नंदलाली	---	---	---	9525122855
14.		राजबल राम	देबू राम	नंदलाली	---	---	---	7070039252

15.		ब्रह्मदेव चौपाल	सोमन चौपाल	सतरकटैया	---	---	---	8709332642
16.		पंकज कुमार	अमल प्रसाद यादव	बिजलपुर	---	---	---	7646066350
17.		डोमी यादव	प्रमेश्वरी यादव	पनीदाहा	---	---	---	9693412748
18.		दिनेश पंडित	राजकुमार पंडित	साहपुर	---	---	---	9473290983
19.		प्रमोद शर्मा	जुगेश्वर शर्मा	पंचगछिया	---	---	---	6205408293
20.		मुगालाल शर्मा	घुरण शर्मा	कटैया	---	---	---	8877385080
21.		सहिन्द्र यादव	मटर यादव	बिजलपुर	---	---	---	8051398832
22.		छेदन शर्मा	दशरथ शर्मा	मुरबल्ला	---	---	---	9508640854
23.		हरिनंदन यादव	गोविन्द यादव	बिजलपुर	---	---	---	7461929681
24.		विरेन्द्र चौपाल	रशिक लाल चौपाल	कटैया	---	---	---	7545931898
25.		विधानन्द यादव	गोविन्द यादव	हासाहकपाड़ा	---	---	---	7321913268
26.		मो0 शारूख	मो0 सकूर	खादीपुर	---	---	---	6201906587
27.		ललन यादव	अर्जुन यादव	खादीपुर	---	---	---	6201906587
28.		सुबन कुमार पंडित	बेचन पंडित	मुरली बसंतपुर	---	---	---	8340494194
29.		पिंदू साह	उपेन्द्र साह	मुरली बसंतपुर	---	---	---	9534761917
30.		रामकुमार यादव	करमचन्द्र यादव	खादीपुर	---	---	---	7631037718

सन्दर्भ सूची

- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2017 “अगलगी पर मानक संचालन प्रक्रिया”
- Govt. of Bihar, 2016, **"Roadmap for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Revised)"**
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2016, **"National Disaster Management Guidelines on School Safety Policy"**
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2016, **"National Disaster Management Guidelines on Hospital Safety"**
- UNISDR, **"Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030"** available at website <<https://www.unisdr.org/we/inform/publications/43291>>
- Gupta, Anil K et. al, 2016, **"Climate Resilient and Disaster Safe Development" Process Framwork Training Manual**, by : GEAG, ISET-USA, 2016
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सुपौल, 2015, “जिला आपदा प्रबन्धन योजना”
- बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, 2015, “‘‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन’’ पर मुखिया, सरपंच एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की हस्तपुस्तिका”
- गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप, 2011, “सूखा स्थितियों से निपटने हेतु सामुदायिक प्रयासों का दस्तावेज”
- National Disaster Management Authority, 2010 **"Guidelines on Management of Dead in the aftermath of disaster"** available at <https://ndma.gov.in/images/guidelines/management-of-Dead-in-the-Aftermath-of-disaster>>
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2010, **"National Disaster Management Guidelines Management of Droughts"**
- राज्य आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, 2010, “बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रिया”
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2008, **"National Disaster Management Guidelines Management of Floods"**
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, 2007, **"National Disaster Management Guidelines Management of Earthquakes"**
- मिश्रा, डी0के0, 2006 “दुई पाटन के बीच में” प्रकाशन : पीपुल्स
- Building Material and Technology Promotion Council, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Government of India, 2006, **"Vulnerability Atlas of India"**
- गोरखपुर एन्वायरन्मेण्टल एक्शन ग्रुप, 2005, “बाढ़ स्थितियों से निपटने हेतु सामुदायिक प्रयासों का दस्तावेज”
- National Disaster Management Authority, Govt. of India, **"National Disaster Management Guidelines on Minimum Standards of Relief"**
- भारत सरकार, 2005, “आपदा प्रबन्धन अधिनियम” अनुभाग (क) भारत का राजपत्र असाधारण 389